खण्ड-211, अंक-9
गुरूवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1882
(24 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री राजनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१३

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया,
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीब दास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नन्दराम, श्री

नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहवलानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजुहुल नबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री, (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीस्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिरिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री

यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री

वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सुक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हुसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खाँ, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

सोशलिस्ट पार्टी की मांगें

**१---श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपया स्पष्ट करेगी कि क्या सोशलिस्ट पार्टी ने मुख्य मंत्री के पास १ मार्च, १९६० तक कुछ मांगों को पूरा करने के लिये निवेदन किया था ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां ।

**२---श्री राजनारायण---यदि हां, तो वे मांगे क्या थीं और उनको पूरा करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वे मांगें इस प्रकार हैं :---

१---दाम ऐसे बांधे जायं कि (१) किसी भी अनाज का दाम दो फसलों के बीच १ आना सेर या १६ प्रति शत से अधिक न हो, (२) कारखानों में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का बिक्री दाम लागत खर्च के डेढ़ से ज्यादा न हो, और (३) किसान को उसके अनाज और कच्चे माल का ऐसा दाम मिले जो लागत खर्च और जीवन निर्वाह को पुसाये ताकि खेतिहर और औद्योगिक चीजों के दामों में सन्तुलन और समता कायम हो । इसलिये गन्ने का दाम २ रुपये मन और चीनी का दाम ३२ रुपये मन किया जाय ।

२---अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल तत्काल बन्द हो---विधायकाओं, सरकारी दफ्तरों, कचहरियों, दैनिक अखबारों और नाम पट्टों से---अंग्रेजी की जरूरी पढ़ाई तत्काल बन्द की जाय और सिर्फ---अंग्रेजी---में---फेल छात्रों को पास किया जाय ।

३---जाति प्रथा के नाश के लिये सार्वजनिक जीवन के चार निर्णायक क्षेत्रों अर्थात् राजनीति पल्टन, व्यापार और ऊंची सरकारी नौकरियों में कम से कम ६० प्रति शत जगहें औरत, शूद्र, हरिजन, आदिवासी और दबे हुये अल्प संख्यकों आदि पिछड़ी जातियों के लिये सुरक्षित की जायं ।

४---न्याय युक्त कर नीति के लिये बिना मुनाफे की खेती से मालगुजारी खत्म की जाय और खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारी जाय ।

५---हिन्दुस्तान की जमीन हमलावरों से वापस की जाय और सीमाओं सहित सारे देश को मजबूत बनाया जाय ।

राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार कुछ मांगों पर कार्यवाही पहिले से ही हो रही है । कुछ मांगें केन्द्रीय सरकार से भी सम्बन्धित हैं और राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है । अधिकांश मांगें अव्यावहारिक हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार वे कौन-कौन सी मांगे हैं जिन पर सरकार पहले से कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसे हिन्दी के लिये पहले से कोशिश की जा रही है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार, जैसे कि हमारी दूसरी मांगे हैं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल बन्द हो, तो इसी अंग्रेजी के इस्तेमाल को बन्द करने के लिये हिन्दी को विकसित करने की कोशिश कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, बराबर इसके लिये कोशिश जारी है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सोशलिस्ट पार्टी की मांगें हैं, इनमें कौन-कौन सी अव्यावहारिक मांगे हैं ? सरकार किन-किन को अव्यावहारिक समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि देखा जाय तो सब की सब मांगें अव्यावहारिक है। (हंसी)

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जो बिना मुनाफे की खेती है उस पर मालगुजारी खत्म करना राज्य सरकार की दृष्टि से क्यों कर अव्यावहारिक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पहली बात तो यह है कि इसमें कहा गया है कि "नियत कर नीति"; तो यह सोचने की बात है कि जो चीज ली जाती है वह कर है या नहीं। यह बड़ा भारी प्रश्न है। जब तक यह तय न हो जाय तब तक कहना कठिन है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, जैसा कि उत्तर दिया गया है, हिन्दी के बारे में, कि कोशिश की जा रही है, तो उसमें अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह "कितनी" एक सापेक्ष शब्द है। हम समझते हैं कि बहुत काफी प्रगति हुई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि पहले जो उन्होंने उत्तर में कहा है कि अधिकांश मांगें अव्यावहारिक हैं और अब उन्होंने कहा है कि "प्रायः सभी अव्यावहारिक हैं" तो इन दोनों में से कौन-सा उत्तर सही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---"अधिकांश" और "प्रायः" इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन्हीं मांगों के सम्बन्ध में दारुलशफा के "बी" अंग में अक्सर मीटिंग होती है, जिसमें नीति के बारे में यह भी चर्चा होती है कि सीता के बाप रावण थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सीता के बाप रावण थे, इसकी चर्चा होती है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है। एक किताब दक्षिण भारत के किसी सज्जन ने लिखी है अंग्रेजी में, वह मेरे देखने में आई थी--कितना उसका प्रचार हुआ, यह मुझे नहीं मालूम--उसमें यह लिखा है कि सीता बहुत ही दुश्चरित्र थीं और यह कहना कि लव और कुश राम के लड़के थे यह गलत है, बल्कि वे रावण के लड़के थे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा जो दारुलशफा "बी०" ब्लाक में इन तमाम मांगों से विधायकों को परिचित कराने के लिये गोष्ठी होती है, उसमें एक प्रवक्ता महाराजसिंह जो दक्षिण भारत हो आये हैं उन्होंने बतलाया कि एक कथा वहां यह प्रचलित कराई जा रही है कि सीता रावण की लड़की थी और रावण सीता को किस ढंग से ले गया उस पर दूसरी व्याख्या की जाती है जो उत्तर भारत में नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---क्या मुख्य मंत्री को भी उसमें निमंत्रित किया था ?

श्री राजनारायण---जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कौन-सी मीटिंग होती है और उसमें क्या-क्या गलत बातें कही जाती हैं, उसका कोई ज्ञान मुझको नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या इसमें जो तीसरी मांग है जो नीति के सम्बन्ध में है, उसके सम्बन्ध में जो कहा गया है कि वह प्रायः अव्यावहारिक है, तो कहां तक व्यावहारिक है क्योंकि "प्रायः" शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसको सरकार स्पष्ट करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं, काफी व्योरे के प्रश्न हैं, यह तो विचार किया जा रहा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फौज में पुरुषों को हटाकर ६० पर सेंट औरतें भर्ती कर दी जायं, यह हमारे हाथ की बात नहीं है, भारत सरकार के सोचने की बात है, क्योंकि पल्टन का इसमें जिक्र है। जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, ६० पर सेंट या १०० पर सेंट अगर औरतें व्यापार करें तो उन्हें कोई रोकता नहीं, सरकार के हाथ में बात नहीं है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, जितनी चाहें औरतें राजनीति में भाग लें, राजनीतिक लीडर बनें और सोशलिस्ट पार्टी में तो कोई महिला लीडर दिखलाई नहीं देती है, और पार्टियों में तो हैं। इसलिये राजनीति में भी कोई रुकावट नहीं है, यह सरकार के करने की चीज नहीं है। ऊंची नौकरियों में जितनी औरतें चाहें वह आ सकती हैं। अगर उनमें योग्यता है, उनको नौकरी मिलती रहेगी।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पूर्व निर्धारित मांगे हैं, उन पर विचार हो रहा है, क्या उन मांगों में ऐसी भी हैं कि खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी तय करने की कोई मांग पूरी की जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खेतिहर मजदूरों के लिये तो हमारे यहां कानून में दैनिक मजदूरी पहले ही से निर्धारित है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी की जो यह मांग है कि महिलाओं को ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, तो सोशलिस्ट पार्टी की विधान सभा में कितनी महिला सदस्य हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण, जवाब दीजिये। (हंसी)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने सही व्यक्ति को इसका जवाब देने के लिये पुकारा है। इसका जवाब देने के लिये हमारी सोशलिस्ट पार्टी की जो मांग है वह तीसरे नम्बर की है जिसमें जाति प्रथा के नाश के लिये सार्वजनिक जीवन के चार निर्णायक स्थानों में—पालीवाल जी सुनें—सार्वजनिक जीवन के चार निर्णायक क्षेत्रों में, राजनीति, पल्टन, व्यापार और ऊंची सरकारी नौकरियों में कम से कम ६० प्रतिशत जगहों में स्त्री, हरिजन और दबे हुये अल्प संख्यक इत्यादि पिछड़ी जाति के लिये सुरक्षित की जायं। तो यह ६० फी सदी जो हैं वह हरिजन, स्त्री, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े हुये लोग, सभी को मिलाकर है, सरकार इसको केवल औरतों के लिये ही क्यों समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि मुसलमानों में भी औरतें होती होंगी, शूद्रों में भी औरतें होती होंगी और हरिजनों में भी औरतें होती होगी, इसलिये डबुल रेप्रेजेन्टेशन दिया जाय, यह बात समझ में नहीं आती। जहां तक पलटन का सवाल है, उसमें औरतें हो सकती हैं, लेकिन उसका केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है। राजनीति हमारे हाथ की चीज नहीं है और व्यापार भी किसी के हाथ की चीज नहीं है। जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है उसमें हरिजन, स्त्री और पुरुष सभी को योग्यता के आधार पर जगहें मिलती हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो जनखे होते हैं, जो जनाने वस्त्र पहनते हैं, उनको किधर रखा गया है, पुरुषों में रखा गया है या स्त्रियों में रखा गया है ? (हंसी; कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली मांग है, जिसमें यह कहा गया है कि किसानों को खलिहान के समय जो गल्ला बेचने की दर तय की जाय वह उनकी लागत और उनके जीवन निर्वाह को उठाने की उचित कीमत हो और किसान जिस भाव पर बेचे उससे एक आना सेर से अधिक भाव पर बाजार में दो फसलों के बीच वह गल्ला न बिक पाये, इसको सरकार अव्यावहारिक कैसे समझती है और इसको कार्यान्वित करने में क्या दिक्कत महसूस करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गल्ले का भाव इस प्रकार से निश्चित किया जाना कोई आसान बात नहीं है । माननीय सदस्यों ने अभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कार्यवाही को पढ़ा होगा और उन्होंने देखा होगा कि वहां पर यह सवाल आया और वहां गल्ले और दूसरी आवश्यक चीजों की कीमत को निर्धारित करने के लिये विचार हो रहा है । केन्द्रीय सरकार भी विचार कर रही है, प्लानिंग कमीशन भी विचार कर रहा है और प्रादेशिक सरकार भी विचार कर रही है। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि जो भी निश्चय होगा वह केवल प्रादेशिक सरकार की ओर से नहीं हो सकता । इसका अधिकतर सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, इसलिये जब तक सारे देश के लिये ऐसा निर्धारण नहीं होगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते।

एटा जिले के श्री रवीन्द्रकुमार को मुन्सिफी में न लेना

३---राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी), **श्री शिवराम** (जिला बिजनौर), **श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा), **श्री भुवनेश भूषण शर्मा** (जिला इटावा), **श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर), तथा **श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आयीं हैं कि सब प्रकार से योग्य होने के बाद भी लोगों को सरकारी नौकरियों में इसलिये नहीं लिया गया कि वे जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रवीन्द्रकुमार, जिला एटा, के जो कि मुन्सफी के कम्पीटीशन में पांचवें नम्बर पर आये थे उनको क्यों नहीं लिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये आपको अलग से नोटिस देनी होगी ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या इस सम्बन्ध में जनसंघ के नेता मुख्य मंत्री जी से मिले थे कि वह मुन्सफी में इसलिये नहीं लिये गये क्योंकि वह आर० एस० एस० एस० के सदस्य थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहरहाल, इस सम्बन्ध में दो-तीन दिन हुये इस सदन में काफी बहस हो चुकी है और सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है । यदि आप आज्ञा दें तो यह भी कह दूं कि जिनका जिक्र किया गया है उन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल की है, इसलिये इस सम्बन्ध में इस वक्त कुछ कहना असम्भव है ।

सूचना विभाग के कर्मचारी द्वारा चाइनीज़ कौंसिल को पहाड़ी सीमा प्रबन्ध विषयक सूचना देने की जांच

४---श्री बेचनराम गुप्त** (जिला वाराणसी) तथा **श्री गौरीशंकर राय**---क्या यह सच है कि सूचना विभाग के किसी कर्मचारी ने बम्बई में चाइनीज कौंसिल में जाकर पहाड़ी सीमा के प्रबन्ध के बारे में कोई सूचना दी थी ? यदि हां, तो वह कर्मचारी कौन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे ने इस प्रकार की शिकायत सभा में की थी । मेरे अनुरोध पर उन्होंने कुछ संकेत दिये जिनके आधार पर सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है । इस समय इससे अधिक सूचना नहीं दी जा सकती ।

श्री बेचनराम गुप्त---बावजूद इस बात के कि माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे ने सूचना के अनुदान पर बोलते हुये कहा था कि वह सज्जन होली की छुट्टियों में बम्बई पुनः गये थे, तो उस व्यक्ति के बारे में सरकार को क्या दिक्कत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने अभी कहा कि सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है, और अधिक कहना इस समय सर्वथा अनुचित होगा ।

श्री गौरीशंकर राय---जिनके लिये माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे ने कहा था उनके लिये क्या सरकार को मालूम है कि वह श्री अशोककुमार नाम के सज्जन उस महकमे में अफसर हैं जो स्टेशन लीव करने की इजाजत लेकर बम्बई गये हैं और वहीं बम्बई में ब्लिट्ज अखबार और चीनी दूतावास में आया जाया करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे अफसोस है कि मैं नाम लेकर किसी की बाबत इस समय कुछ नहीं कह सकता। जांच सभी बातों के बारे में हो रही है।

तारांकित प्रश्न

[मुख्य मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित १० मार्च, १९६० के प्रश्न संख्या ५५-५७]

†**श्री उपाध्यक्ष**---कुमारी श्रद्धादेवी जी की प्रार्थना पर ये प्रश्न वापस लिये गये।

श्री राजनारायण---(श्री उपाध्यक्ष के अगले प्रश्न पुकारने पर) श्रीमन्, हमारी वैधानिक आपत्ति है.....

श्री उपाध्यक्ष---बाद में, १२ बजे, वह ली जायगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारी वैधानिक आपत्ति प्रश्न नम्बर ५५ से ५७ के बारे में है। बाद में उसका महत्व नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष---क्या है ? कदम जी के प्रश्नों के बाद कह लीजिये।

श्री राजनारायण---अच्छा। श्रीमन्, नियमावली के १५वें सफे पर नियम ४१ में लिखा है कि कोई भी सदस्य उस उपवेशन के पूर्व जिसके लिये उसका प्रश्न सूचीबद्ध किया गया हो, सूचना देकर अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समय अपने प्रश्न को वापस ले सकेगा, इत्यादि। सदन का उपवेशन शुरू हो चुका है और हमें इन प्रश्नों में दिलचस्पी है,....

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, ये प्रश्न लिये जावेंगे, मगर बाद में।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

बड़ौत तथा हिलवाड़ी में सट्टे के आरोप में गिरफ्तारी

*१---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि गत ११ जनवरी, को मेरठ के एस० पी० ने बड़ौत, हिलवाड़ी और अन्य कई स्थानों पर रात के समय घरों के ताले तुड़वाकर सट्टे के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें बड़ौत थाने में इकट्ठा करके और पूर्णतया नंगा करके पीटा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बड़ौत तथा हिलवाड़ी में सट्टे के आरोप में गिरफ्तारियां अवश्य हुईं किन्तु लगाये गये आक्षेपों में कोई तथ्य नहीं है।

*२---**आचार्य दीपंकर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त एस० पी० के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता।

---

†इस समय कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री उपस्थित थीं।

आचार्य दीपंकर--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह जांच एस० पी० के जरिये कराई गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि इन एस० पी० के विरुद्ध उनको शिकायतें मिली हैं कि इन्होंने बड़ौत के थाने में इन लोगों को पकड़ कर नंगा करा के बुरी तरह से पीटा और आसपास के लोगों ने भी उनके कराहने की आवाजें सुनीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई । जिनको पीटा कहा गया है, उनमें से किसी ने भी, जहां तक मुझे मालूम है, कोई लिखित शिकायत नहीं की ।

एक अजनबी के सदन में आने पर आपत्ति

श्री राजबिहारीसिंह--मेरा वैधानिक प्रश्न है कि अभी एक अजनबी सज्जन सदन में आकर आचार्य दीपंकर जी के पीछे से किन्हीं सज्जन को उठाकर ले गये ।

श्री उपाध्यक्ष--देखूंगा, हमारे कर्मचारियों ने कार्यवाही की होगी । उसे देखकर बतलाऊंगा ।

[२ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ए० डी० एम० (ई०) रखने के कारण

*१--**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ए० डी० एम० (ई०) [Additional District Magistrate (E)] किन-किन जिलों में हैं और उनके रक्खे जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिलों के नाम संलग्न तालिका (१) में दिये हुए हैं। इन जिलों में उनके रक्खे जाने के कारण ये हैं कि इन बड़े-बड़े जिलों के जिलाधीश विविध कार्यों से मुक्त होकर कानून तथा शान्ति सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक समस्याओं को और अच्छी तरह देख सकें ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९०२ पर)

*२--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ऐसे भी कुछ जिले हैं जिनमें पहले ए० डी० एम० (ई०) रक्खे और बाद में हटा दिये गये ? यदि हां, तो किन-किन जिलों से और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । ऐसे जिलों के नाम संलग्न तालिका (२) में दिये हुये हैं। उनके हटाये जाने का कारण शासकीय व्यय में मितव्ययिता करना था ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०३ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम--जिला मैजिस्ट्रेटों पर जिला परिषदों तथा नियोजन का कार्य-भार अधिक होने के कारण क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रश्न नम्बर १ के उत्तर में दिये हुये आधारों पर उक्त जिलों में और साथ ही झांसी में भी अतिरिक्त जिलाधीश फिर नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर काम ज्यादा है तो नियुक्ति हो सकती है ।

सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति

*३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंडों में जो सहायक विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी पदोन्नति मुस्तकिल रूप से करने के लिये सरकार के क्या आदेश हैं ?

नियोजन उप मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—खण्ड-विकास अधिकारियों के पदों की कुल संख्या के ३३ प्रति शत तक पदों पर लोक सेवा आयोग की सम्मति से सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति की जा सकती है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि भविष्य में ३३ फी सदी के बजाय ५० प्रति शत पदोन्नति हुआ करे ?

श्री सुल्तान आलम खां—सरकार इस पर गौर कर रही है कि बजाय ३३ के ४० फीसदी कर दिया जाय ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन की ओर से यह सुझाव आया है कि नियोजन के कार्य में अनुभवी लोगों को लिया जाय और इसलिये बी० डी० ओज० में से ७५ फी सदी और बाहर से २५ फी सदी लिये जावें ?

श्री सुल्तान आलम खां—मुझे ऐसे सुझाव की खबर नहीं है ।

उद्योग विभाग से संबंधित सूत का स्टाक बेचने के लिए आदेश

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—विधान सभा के प्रथम सत्र १९५९ के ४ थे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १४–१५ तथा १६ के लिखित उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूत का स्टाक बेचे जाने के हेतु संचालक, उद्योग विभाग, के पत्र का उत्तर (३ वर्ष ६ महीने १२ दिन) इतने अधिक समय बाद दिये जाने का और अभी तक सूत के न बेचे जाने का क्या कारण है ?

*५—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त जो सूत का स्टाक शेष है उसकी कुल वैल्यू और वजन क्या है और इस समय उक्त सूत का मार्केट रेट क्या है ?

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय मुद्रणालय की इमारतों में बिना किराये के कर्मचारी

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत इमारतों की क्या संख्या है और उसमें कितने कर्मचारी कब से बिना किराये के रह रहे हैं और क्या यह सत्य है कि उनमें कर्मचारियों के अतिरिक्त भी अन्य लोग रहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इमारतों की संख्या ९७ है । उन कर्मचारियों का विवरण, जिनसे किराया वसूल नहीं किया जाता, सदन की मेज पर रक्खा है । केवल ठेकेदार को, जिसे रिवायरिंग (rewiring) का काम सुपुर्द किया गया है, कार्य-काल की अवधि तक इलाहाबाद प्रेस में दो कमरे दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रहता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०४ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि इन ५५ कर्मचारियों से किराया क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्वार्टर इस हालत में नहीं थे कि उनसे पैसा लिया जाता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या इन आदेशों के बाजूवद भी कि ये इमारतें टूटी-फूटी होने के कारण इनमें रहना ठीक नहीं है, ये लोग रहे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। उनमें से बहुत सारे लोग अपनी तरफ से मरम्मत कराके रहे। इस साल के बजट में हमने उनके बनवाने के लिये पैसा मंजूर किया है।

*७—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[चौदहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८-१०—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किया गया।]

*११-१२—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—[३१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पंडित पुरवा की खांडसारी सहकारी समिति को ऋण

*१३—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष सीतापुर जिले की गुड़ एवं खांडसारी सहकारी समिति, पंडितपुरवा, को २,००० रुपये का कर्ज दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

*१४—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस धन का उपयोग सहकारी समिति द्वारा कब किया गया और किस प्रकार किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—समिति उक्त धन से एक खांडसारी शकर बनाने वाला सेन्ट्रीफ्यूगल खरीद रही है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बतायेगी कि यह धन कितने दिनों के बाद उपयोग में लाने की चेष्टा की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह तो समिति के ऊपर था। १९५८-५९ में उनको रुपया दिया गया था। उनको जल्दी से काम में लाना चाहिये था। सहकारी समितियों में कभी-कभी दिक्कत आती है कि वक्त पर काम नहीं हो पाता।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई के कुओं का निर्माण

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—आजमगढ़ जिले में सिंचाई के पक्के कुओं के निर्माण के बारे में क्या मुख्य मंत्री १२-३-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४-३५ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि ३२५ कुओं में से आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितने-कितने बनाये जा रहे हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—आजमगढ़ जिले में ३२५ कुओं के बजाय अब ४१० कुएं बनाए जा रहे हैं। तहसीलवार ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०५ पर)

*१६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कुओं में से कितने-कितने कुएं अलग-अलग तहसीलों में बन चुके हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—तहसीलवार ब्योरे में यह सूचना भी शामिल है।

*१७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ ने सिंचाई के कुओं के निर्माण में पूरी आर्थिक सहायता करने की मांग सरकार से की है ?

श्री सुल्तान आलम खां—अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़, ने एक प्रस्ताव में सरकार से कुओं के निर्माण के लिय काफी अनुदान स्वीकृत करने की प्रार्थना की थी। नियोजन विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत कुएं बनाने के लिए दिए गए ऋण पर २५ प्रति शत अनुदान दिया जाता है और यह काफी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रत्येक कुएं पर कितना रुपया ऋण दिया जाता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—किसी को ५००, किसी को ७५० और किसी को १,००० रुपया दिया जाता है। इस प्रकार कम से कम ५०० और ज्यादा से ज्यादा १,००० रुपया दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि आज से ३–४ साल पहले पूरी लागत का आधा हिस्सा छूट दिया जाता था ?

श्री सुल्तान आलम खां—पहले की बात तो मालूम नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा है कि अगर वक्त पर कुआ खत्म हो जाता है तो २५ प्रति शत छूट दे दी जाती है।

आजमगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पर लाउडस्पीकर की आवश्यकता

*१८—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पर प्रति दिन कितनी बसें छूटती हैं और आती हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—आजमगढ़ बस स्टेशन से प्रति दिन ९० गाड़ियां छूटती हैं और ९० अन्य स्थानों से वहां आती हैं।

*१९—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज रीजन में आजमगढ़ बस स्टेशन से वर्ष १९५९ में सरकार को कुल कितनी आमदनी हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—६,४४,०५९ [रुपये] ३१] नये पैसे।

*२०—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या रोडवेज बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिये सूचना आदि प्राप्त करने के लिये ध्वनि विस्तारक यन्त्र (loudspeaker) की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं। धनाभाव के कारण।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह देखते हुए कि यहां से ९० गांड़ियां प्रति दिन छूटती हैं और ९० आती हैं तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिये लाउडस्पीकर की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इस बस स्टेशन पर घंटी बजाकर गाड़ियों के छूटने की इत्तिला यात्रियों को दी जाती है। जहां तक लाउडस्पीकर लगाने का प्रश्न है, अगले वर्ष में इस पर विचार किया जायगा।

श्री मुक्तिनाथराय——क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि लाउड स्पीकर की व्यवस्था न होने से काफी यात्रियों की बसें छूट जाती है ? आमदनी इस स्टेशन से सरकार ने बतायी ६,४४,०५९ रुपया होती है, तो क्या सरकार इस बात को देखते हुए लाउडस्पीकर शीघ्र लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य——यात्रियों की गाड़ियां छटने की शिकायत सरकार के पास नहीं आयी। जहां तक लाउड स्पीकर का प्रश्न है, उस पर विचार किया जा रहा है।

खांडसारी कारखानों का लाइसेंस कर

*२१—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने खांडसारी कारखाने हैं और उनमें से किन-किन से कितनी रकम लाईसेंस फीस के रूप में सन् १९५८-५९ में वसूल की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——सूचना एकत्र की जा रही है।

*२२—**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उन क्रशरों पर भी लाइसेंस शुल्क लगाया गया है जो केवल गुड़ बनाते हैं और चीनी नहीं बनाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी हां, केवल उन यंत्रचालित क्रशरों पर जो शकर मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग

*२३—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)——क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तीसरी पंचसाला योजना में बस्ती, गोरखपुर व देवरिया जिलों में कौन से बड़े उद्योग खोलने की योजना है ?

*२४——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के उत्तरांचल (टिहरी-गढ़वाल, कुमायूं डिवीजन) में कौन-कौन से बड़े-बड़े उद्योग खोलने की योजना है ?

*२५——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीसरी पंचसाला योजना में प्रदेश की वाराणसी कमिश्नरी में कौन-कौन से बड़े-बड़े उद्योग खोलने की योजना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा——तीसरी पंचसाला योजना का निश्चित स्वरूप अभी तैयार नहीं हो सका है, इसलिए अभी इन प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कब तक सूचना एकत्र हो जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा——काम में लगे ही हुए हैं।

प्रशासनीय कार्य हिन्दी में करने का अनुरोध

*२६—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**——क्या सरकार इस बात का इरादा रखती है कि ३१ मार्च, १९६१ से प्रदेश का सब प्रशासनीय काम हिन्दी में करावे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——इच्छा है, परन्तु उसका पूरा होना कठिन प्रतीत होता है।

*२७——**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**——क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अब तक प्रादेशिक प्रशासन का कौन-कौन सा काम हिन्दी में नहीं होता है, और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——स्थिति संलग्न *नोट में बता दी गई है।

---

*नोट छापा नहीं गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि संलग्न नोट में जो स्थिति और कठिनाई बतायी गयी है हिन्दी में पूरी तरह से काम न किये जाने के बारे में, उसके अतिरिक्त और कोई कठिनाई तो नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हो सकता है कि और भी हों, लेकिन फिलहाल तो यही ध्यान में आयीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हिन्दी के प्रयोग करने के बारे में अभी तक हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स अपने नोट्स अंग्रेजी में ही लिखते हैं, तो क्या उनको कोई चेतावनी या तम्बीह दी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनको भी वही मजबूरी हो सकती है जो माननीय सदस्य को हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट शब्द के प्रयोग करने में हो सकती है ।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये वह क्या कदम उठाना चाहते हैं और उसके लिये क्या तरीके उन्होंने अपनाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक बहुत बड़ी हमारी कठिनाई यह है कि भारत सरकार का निश्चय यह है कि १९६५ तक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी, उसके बाद क्या होगा, मैं नहीं जानता। जब तक उनकी भाषा अंग्रेजी है तब तक उनसे चिट्ठी-पत्री अंग्रेजी में ही होगी। इसके साथ साथ जो हिसाब-किताब के विभाग हैं, जिनमें ए० जी० और वित्त विभाग आते हैं, उनका काम भी ए० जी० के विभाग के कारण अंग्रेजी में ही होता है। जहां-जहां रुपये पैसे का सवाल आता है, उसको मजबूर होकर अंग्रेजी में ही करना पड़ता है। तीसरी कठिनाई हाई कोर्ट की भाषा की बाबत भी होगी और है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करार जब बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में हो चुका है तो क्या कारण है कि इस प्रदेश से करार नहीं हो पाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने प्रश्न को समझा नहीं, जो इसमें लिखा है सम्भव है भाषा ठीक न हो। इसमें लिखा है कि हमारा समझौता हुआ है इन सरकारों से। इन सरकारों से जो हम चिट्ठी-पत्री करते हैं, हिन्दी में करते हैं।

*२८-२९---**श्री प्रतापसिंह**---[हटा दिये गये।]

*३०-३१---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[३१ मार्च, १९६० को लिये स्थगित किये गये।]

पंचवर्षीय योजनान्तर्गत रोजगार मिलना

*३२---**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित सूचनायें लिखित हों :---

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन कितने व्यक्तियों को सरकार तथा नजी क्षेत्रों में रोजगार देने का लक्ष्य था ?

(ख) अब तक उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग कितने लोगों को रोजगार दिया जा सका है और कितने लोगों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक मिल जायेगा ?

(ग) लक्ष्य तक पहुंचने के लिये सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्या कार्यवाही कर रही है और उसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

उत्तराखंड मण्डल का निर्माण तथा भोटियों की मांगें

*३३—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कुमायूं डिवीजन के अन्दर तीन नये जिलों का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो कुमायूं की किन-किन पट्टियों को लेकर इन जिलों का निर्माण हो रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कुमायूं डिवीजन के कुछ हिस्सों का एक नया डिवीजन बनाया गया है। जिलेवार पट्टियों का विवरण गजट एक्स्ट्राआर्डिनरी, दिनांक २४-२-६०, में दिया गया है जिसकी *प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

*३४—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**—क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि कुमायूं डिवीजन की आम जनता और उसके विधायक सरकार से दीर्घकाल से मांग कर रहे हैं कि इस डिवीजन के समूचे पर्वतीय क्षेत्र को सीमान्त क्षेत्र घोषित किया जाय? यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुमायूं मंडल के कुछ क्षेत्रों का एक नया उत्तराखंड मंडल आवश्यकतानुसार बनाया गया है; और कोई प्रशासकीय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*३५—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कुमायूं के सीमान्त निवासी भोटियों ने अपने पुनर्वास की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार के सामने एक प्रतिवेदन पेश किया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की खास-खास बातों को बताने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इस प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे आवश्यक उद्धरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०६ पर)

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सीमा से लगे हुए कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनको देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी उत्तराखंड में मिलाना अत्यन्त आवश्यक है, उनको मिलाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—देश की सुरक्षा की दृष्टि से किसको मिलाना चाहिये, इसका अकेले हम तो निश्चय नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने सदन में पहले भी निवेदन किया, यह फौज के अधिकारियों की राय से किया गया है। तो ऐसा मानना चाहिये कि सुरक्षा की बात हमारी अपेक्षा वे ज्यादा जानते होंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की सुरक्षा हो, टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल के उत्तरी क्षेत्र की एक सी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति होने के नाते इन तीनों जिलों के साथ चकरौता तहसील को भी बोर्डर एरिया घोषित करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करेंगे?

---

* प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जितना आवश्यक था हो चुका। बोर्डर एरिया शब्द का क्या अर्थ है, मैं ठीक से नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य ने किस अर्थ में उसका प्रयोग किया है। इसलिये मैं उसका ठीक स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सुमन जी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए और इसके महत्व को देखते हुए जो उत्तराखंड डिवीजन बना है, भौगोलिक दृष्टि से नक्शे को देख कर इस बात की जांच करेंगे कि कई पट्टियां तथा दूसरे गांव उत्तराखंड डिवीजन में शामिल किये जा सकते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एकाध पट्टी के इधर-उधर करने की बात हो तो जरूर देखने की बात है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---प्रतिवेदन में दी गयी १० मांगों में से किन-किन मांगों की पूर्ति अब तक हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पूरी तरह से किसी की नहीं हुई है, थोड़ी बहुत सबके लिये कोशिश है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि नया जिला बनने की वजह से उन सब मांगों की, जहां तक सम्भव होगा, पूर्ति हो जायगी।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---भोटियों को पुनर्वासन अनुदान की सहायता देने के क्या-क्या सुझाव हैं, उन्हें उसे माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो मांग में लिखा ही है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यह भी सुझाव आया है कि भोटिये जिनकी तादाद ४०,००० के करीब है उनको तराई-भावर क्षेत्र में बसाया जाय और इस पर क्या विचार किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तराई-भावर क्षेत्र की कुछ सीमायें हैं और उन्हीं में अल्मोड़े के लोग भी बसाये जायं, नैनीताल के भी बसाये जायं, शिल्पकार भी बसाये जायं और भोटिये लोग भी बसाये जायं, यह उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि तराई-भावर क्षेत्र को रबड़ की तरह न फैलाया जा सके। और कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है।

लखीमपुर में अस्थायी सिनेमा के लिये स्वीकृति न मिलना

*३६---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर नगर, जिला खीरी, में इस समय कुल कितने सिनेमाघर चल रहे हैं और उनमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लखीमपुर नगर (जिला खीरी) में इस समय कुल दो सिनेमा, घर चल रहे हैं, जिनमें से एक स्थायी है और एक अस्थायी।

३७---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सिनेमाघरों से सरकार को प्रत्येक सिनेमा से माहवारी कितनी-कितनी आय होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जनवरी, १९६०, में सरकार को इन दोनों सिनेमाघरों से होने वाली आय का ब्यौरा इस प्रकार है :---

(१) स्थायी सिनेमा (श्री कृष्णा टाकीज) ३,५६५ रु० ९८ न० पै०।

(२) अस्थायी सिनेमा (प्रभात टूरिंग टाकीज) २,६७६ रु० ७० न० पै०।

कुल आय .. ६,२४२ रु० ६८ न० पै०

*३८--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि दिसम्बर, सन् १९५९, में अस्थायी सिनेमा चलाने की कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश खीरी को प्राप्त हुई थीं और उनमें कितनी स्वीकृत हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तीन, जिनमें से एक भी स्वीकृत नहीं हुई।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि ये जो ३ दरख्वास्तें खारिज हुईं वे किस कारण से हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार का एक आदेश सारे सूबे के लिये है कि जब तक कोई बहुत विशेष कारण न हो तब तक स्थायी सिनेमा के अलावा अस्थायी सिनेमाओं को इजाजत न दी जाय। जो एक अस्थायी सिनेमा है भी, उसकी भी मियाद ३१ मार्च तक है, उसके आगे उसे भी इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उससे पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था कि २०९ सिनेमा यू० पी० में अस्थायी थे जिनकी आय १,३७,५६,०७५ रुपया थी और अब वह १४७ रह गये हैं, इससे करोड़ों रुपये की सूबे की हानि हुई है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी और उस जी० ओ० में कोई संशोधन करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--इसका नोटिस दिया जाय, याद रखना कठिन है।

सिसवा व देवरिया चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की अधिकता

*३९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केन यूनियनों द्वारा सरकार को यह सूचना मिली है कि सिसवा, देवरिया, भटनी तथा आनन्दनगर चीनी मिलों में उनके क्षेत्रों का अधिक मात्रा में गन्ना खेतों में पड़ा रह जायेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१९५९-६० सीजन के दौरान में जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया, तथा क्षेत्र समीकरण अधिकारी, गोरखपुर, से केवल सिसवा व देवरिया चीनी मिलों के क्षेत्रों में गन्ने की अधिकता की सूचना मिली थी। इस सम्बन्ध में केन यूनियनों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

*४०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--यदि हां, तो सरकार उसके पेरे जाने के लिये कौन-सा प्रयत्न कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस अधिक गन्ने को अन्य मिलों से पेरे जाने की व्यवस्था कराने की चेष्टा की गई है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारियों ने सिसवा तथा देवरिया मिल क्षेत्र के गन्ने की अधिकता के बारे में पहले ही रिपोर्ट की थी और उसके बाद इन मिलों को चलाने की और पूरा गन्ना पेरे जाने की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने आपसे कहा कि क्षेत्र के गन्ने के मिल चलने के बाद हर १५-२० दिन बाद रिपोर्ट आती रहती है और उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी कि क्रशिंग ऐसा चल रहा है कि कुछ गन्ना तो वहीं काम में आ जायगा और जो बचेगा उसमें से कुछ तो दूसरी मिलों को डाईवर्ट हो रहा है और कुछ के बारे में बातचीत हो रही है कि कहां भेजा जाय।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भटनी मिल क्षेत्र के लार सोसाइटी के डायरेक्टरों ने जनवरी में ही प्रस्ताव भेजा था कि गन्ना अधिक है और आधे से ज्यादा गन्ना बाकी रह जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन वह बाकी नहीं रहेगा और मई के अन्तिम सप्ताह तक खत्म हो जायगा।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि गोरखपुर व देवरिया जिलों में सुरक्षित क्षेत्रों का गन्ना कई फैक्टरियों में ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या उसको दूसरी फैक्टरियों में भिजवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस गन्ने को दूसरी फैक्टरियों में डाईवर्ट करने की कोशिश हो रही है। मैं बहस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने श्री रामायणराय जी को कल ही कहा था कि अगर वह उसको लिख कर दें, जो किसानों को भी स्वीकार हो, तो हम उसको करने को तैयार हैं।

गवर्नमेंट प्रेस, लखनऊ व इलाहाबाद के अस्थायी कर्मचारी

*४१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के इलाहाबाद और लखनऊ के सरकारी प्रेसों में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो ३ वर्षों से अस्थायी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्रमशः ३६७ और २९८।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—सरकार बतायेगी कि इतने लोगों को अस्थायी से स्थायी करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कोई दिक्कत नहीं है। जैसे-जैसे जरूरत होती है, होते जा रहे हैं। इस साल भी २६८ के करीब स्थायी किये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मैं पूछना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद में ३६७ कर्मचारी दिखाये गये हैं उनको स्थायी करने में कौन-सी दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष—इसका जवाब तो दिया कि जैसे-जैसे धन मिलता जा रहा है स्थायी करते जाते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—सरकार ने कोई प्रति शत तय कर रखा है कि सालाना इतने लोग स्थायी करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तीन साल से ऊपर की ६६ फी सदी जगहें भर दी जाती हैं, ऐसा साधारणतया सरकार ने निश्चय कर रखा है सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में। लेकिन गवर्नमेंट प्रेस के मामले में हम ऐसा करते हैं कि कोई भी अस्थायी जगह अस्थायी नहीं रह जाती ५वें साल के ऊपर। अगर ऐसी कोई पोस्ट्स होती हैं तो हन्ड्रेड पर सेण्ट उन जगहों को भर लेते हैं और स्थायी कर देते हैं।

देवरिया जिले के लेबर इन्स्पेक्टर आफिस

*४२—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कहां-कहां लेबर इन्स्पेक्टर आफिस हैं और कब से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—देवरिया सदर तथा पडरौना में। देवरिया सदर में ३०-४-५५ तथा पडरौना में ५-३-५३ से यह आफिस स्थापित हुए।

*४३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया सदर में लेबर इन्स्पेक्टर आफिस का वार्षिक व्यय कितना है तथा उसमें कौन-कौन कर्मचारी रहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—८,२४९ रुपया। एक लेबर इन्सपेक्टर, एक लिपिक तथा दो निम्न श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं।

*४४—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या यह सही है कि देवरिया सदर में लेबर इन्सपेक्टर आफिस पर अब तक लेबर इन्सपेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं। लेबर इन्सपेक्टर आफिस स्थापित होने के साथ ही लेबर इन्सपेक्टर की नियुक्ति हो गई थी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जवाब में दिया गया है कि लेबर इंसपेक्टर आफिस स्थापित होने के साथ ही लेबर इन्सपेक्टर की नियुक्ति हो गई थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय देवरिया में कोई लेबर इंसपेक्टर नहीं है जबकि आफ़िस है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अब इस समय की स्थिति का मुझे कोई अन्दाज नहीं हो सकता है। मुमकिन है कि छुट्टी पर हो।

कास्ट-आफ-लिविंग इण्डेक्स

*४५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Cost-of-Living Index को निश्चित करने हेतु प्रदेश के किन-किन शहरों अथवा क्षेत्रों में आंकड़े एकत्र किये जाते हैं और किन के द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से अर्थ एवं संख्या विभाग के अर्थ संख्यान्वेषक मध्यवर्गीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (Urban Middle Class Consumer Price 1ndex) में प्रयोग किये जाने वाले फुटकर भावों को संग्रह करते हैं। ये ही अर्थ संख्यान्वेषक पर्वतीय क्षत्र के प्रत्येक जिले के चार-चार गांवों से और अन्य प्रत्येक जिले के दो-दो ग्रामों से ग्रामीण फुटकर भाव भी संग्रह करन हैं जो कि ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (Rural Consumer Price Index) बनाने में प्रयोग किये जाते हैं।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा बनाये जाने वाले इन उपभोक्ता-भाव सूचकांकों के अतिरिक्त, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, श्रमिक-उपभोक्ता-भाव सूचकांक बनाते हैं जिसमें प्रयोगार्थ वह अपने अन्वेषकों द्वारा कानपुर शहर के चुने हुये प्रमुख श्रमिक क्षेत्रों से फुटकर भाव एकत्र करवाते हैं।

*४६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Central Statistical Institute द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में प्रकाशित आंकड़ों तथा प्रदेशीय Statistics विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में वैषम्य दूर करने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन उपभोक्ता-भाव सूचकांकों (Consumer-Price Indcx) ही को पहले Cost-of-Living Index कहा जाता था। Central Statistical Institute नाम की कोई संस्था देश में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि अब कास्ट-आफ-लिविंग इन्डेक्स किसको कहा जा रहा है और उस से प्रदेश भर का सही कास्ट-आफ-लिविंग इन्डेक्स का अन्दाज लग सके, इस हेतु क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने बताया कि इस वक्त उसको कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स कहते हैं। बाकी सारे प्रदेश का सही अन्दाज लग सके, इसके बारे में निश्चित नहीं कह सकता। वैसे समय-समय पर इस विभाग के केन्द्रीय और प्रान्तीय अधिकारियों की साल भर में कम से कम एक बार मीटिंग होती है और उसमें आपस में तुलना करते हैं कि किस तरह से इंडेक्स बनाये जायं जिनका सब जगह अर्थ एक ही हो सके। इसलिए मैं समझता हूं कि तुलना की जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस बात को देखते हुये कास्ट-आफ-लिविंग इन्डेक्स का देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में ठीक ठीक निर्धारण करेंगे? क्योंकि इसके लिए वित्त व्यवस्था का ठीक तरह से मूल्यांकन और संतुलन करना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए इसके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका अख्तियार किया जायगा जिससे हम सही नतीजे पर पहुंच सकें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी हमारे दिमाग में कोई चीज नहीं है, लेकिन इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज सम्भव है या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा तात्पर्य प्र० सं० ४६ में प्रो० महालोनोबिस की सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन से था। तो इस बात को देखते हुये कि सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन तथा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, यू० पी०, के द्वारा जो पर कैपिटा इनकम आदि के बारे में विभिन्न आंकड़े निकलते रहते हैं, उनके वैषम्य को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रोफेसर महालोनोबिस की जो संस्था है उसका नाम है इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट, और सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन जो है वह केन्द्रीय सरकार की संस्था है। जहां तक केन्द्रीय संस्था की बात है, उसके और हमारे आंकड़ों में विरोध नहीं होता लेकिन इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट जो है वह गैर-सरकारी संस्था है। उसके और हमारे आंकड़े हर जगह मिलते रहें, इसके लिए ठीक तरीका क्या बरता जाय, इस सम्बन्ध में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—केन्द्रीय सरकार को सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन जो है जिसके द्वारा पर कैपिटा इनकम के आंकड़े पंडित जवाहर लाल द्वारा लोक सभा में उद्धृत किये गये हैं, उनमें और हमारे यहां के आंकड़ों में समन्वय लाने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री कोई प्रयत्न करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—लोक सभा में क्या होता है, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन द्वारा हमारे प्रदेश के सम्बन्ध में जो आंकड़े निकाले जाते हैं उनमें और यू० पी० स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट द्वारा निकाले गये आंकड़ों में जो वैषम्य होता है उसको दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कभी-कभी वैषम्य होता रहता है अनेक कारणों से, जैसे परिभाषाओं के सम्बन्ध में। दूसरे यूनिट्स के सम्बन्ध में। सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन और प्रदेशों के जो अधिकारी होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें परिभाषाओं, संग्रह तथा संकलन आदि की विधि में एकता लाने की कोशिश होती है और उसके अनुसार काम होता है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है। मैं समझता हूं कि अब कोई वैषम्य नहीं होगा।

श्री राजनारायण—जो कास्ट-आफ-लिविंग इन्टडेक्स बनता है उसके लिए सरकार कौनसा आधार साल मानती है जिस को आधार मान कर वह चढ़ाव व उतार का अन्दाज करती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहले तो बराबर १९३९ माना जाता था, अब शायद बदल गया है, लेकिन मैं उसे बतला नहीं सकता।

राजकीय बुनाई शिक्षण केन्द्र, आनन्दनगर

*४७—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजकीय बुनाई शिक्षण केन्द्र, आनन्दनगर, जिला गोरखपुर, में ६ दिसम्बर, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कितने लोगों ने बुनाई की शिक्षा पायी?

*४८—क्या यह सही है कि उपरोक्त शिक्षण के लिए १४ माह का कोर्स (टाइम) था जो बीच ही में तोड़ दिया गया? अगर हां, तो क्यों?

*४९—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त राजकीय बुनाई शिक्षण केन्द्र के ट्रेनिंग में कितना रुपया व्यय हुआ है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सूचना एकत्र की जा रही है।

चीनी मिल मजदूर संघ, कटनी, से समझौता

*५०—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या चीनी मिल मजदूर संघ, कटनी, जिला देवरिया ने दिनांक २२-१२-५९ को मिल मालिकों को कोई हड़ताल की नोटिस दी थी? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। नया चीनी मजदूर संघ ने दिनांक २४-१२-५९ को एक हड़ताल-नोटिस सेवायोजकों को दी थी जिसमें दी गयी मांगों की सूची संलग्न तालिका 'क' पर है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०७-९०८ पर)

*५१—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या मिल मालिकों एवं 'संघ' में कोई समझौता उक्त हड़ताल नोटिस के दिये जाने के बाद हुआ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। समझौते की शर्तें संलग्न तालिका 'ख' पर हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९०९-९१० पर)

*५२-५४—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—[३१ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में विकास सेवा खण्ड खोलने की योजना

*५५—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में आगामी अप्रैल मास से कौन-कौन समग्र विकास सेवा खंड खुलेंगे और शेष कब तक खुल जायेंगे?

श्री सुल्तान आलम खां—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९११ पर)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्रम-संख्या १६-सासनी छाया क्षेत्र में बड़े परिश्रम से सिंचाई, कृषि उन्नति, निर्माण तथा विकास कार्यों में सबसे अधिक पिछड़े हुये क्षेत्र को विकसित किया है, तो क्या जनता के प्रोत्साहन के लिए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिए कुछ नियम हैं। जिनको प्रायरिटी दी जाती है उनके लिए सबसे पहले इर्रीगेशन पोटेंशियल सामने रखी जाती है। दूसरे, यह भी देखा जाता है कि किस जिले में कितने ब्लाक्स खुल चुके हैं। ये तमाम चीजें देखने के बाद नये ब्लाक खोलने का विचार किया जाता है। अगर इन शर्तों को पूरा कर दिया गया तो जरूर खोला जायगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि जो क्षेत्र सिंचाई और कृषि उन्नति में सबसे अधिक विकसित हुये हैं उन क्षेत्रों में विकास सेवा खंड खोलने को प्राथमिकता दी जाय? यदि हां, तो क्या सासनी उनमें आता है?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने पहले सवाल के जवाब में भी यह बतलाया था कि जहां इर्रीगेशन पोटेन्शियल ज्यादा है उन ब्लाक्स को खोलने में हम प्रायरिटी देंगे। इसके अलावा किस जिले में कितने ब्लाक्स देंगे यह इस चीज पर निर्भर करता है कि वहां कितने खुल चुके हैं और कितने खोले जाने हैं। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तो जरूर ब्लाक खुल जायगा लेकिन इस वक्त मैं नहीं बतला सकता हूं कि कितने ब्लाक्स खुलेंगे।

*५६—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—[हटा दिया गया।]

*५७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—[३१ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

इण्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी

*५८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में (नैनी) इन्डस्ट्रियल कालोनी में कितने कारखाने और किन-किन सामानों के बनाने के चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९१२ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नैनी इन्ड स्ट्रियल एरिया में बहुत से कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने मशीन बैठा ली हैं और सरकार से लोन भी लिया है लेकिन अब तक चालू नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—किसी उद्योग के चलाने के पहले जिन-जिन चीजों की जरूरत होती है उन सबके जुटाने में दिक्कत होती है। बिजली की भी पहले वहां पर दिक्कत थी। ऐसे ही कई कारण थे जिनकी वजह से उनमें काम चालू नहीं हुआ। लेकिन अब मैं समझता हूं कि वहां के करीब-करीब सभी कारखाने बहुत शीघ्र चालू हो जायेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने कारखाने ऐसे हैं और वे कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, कारखानों के नाम तो जो संलग्न तालिका माननीय सदस्य को दी गयी है उसमें दिये हैं। अब कौन कारखाना किस तारीख में चालू होगा यह अलग-अलग कहना मुश्किल है।

रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर्स तथा हरदोई मोटर आपरेटर्स के विरुद्ध शिकायतें

*५९—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—क्या सरकार प्रान्त के Regional Transport Officers के नाम तथा कितने वर्षों से उस स्थान पर हैं बताने का कष्ट करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९१३ पर)

*६०—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार के पास हरदोई प्राइवेट मोटर आपरेटर्स के विरुद्ध ये शिकायतें आयी हैं कि ५० प्रति शत परमिट किराये पर चलते हैं और एक दो व्यक्ति के पास दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह परमिट किराये पर हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां। शिकायत की जांच हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर्स सबसे अधिक अपने स्थान पर हैं और कौन रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर्स सबसे कम समय के लिए अपने स्थान पर हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---सबसे अधिक समय से जो अपने स्थान पर हैं, वे हैं लखनऊ रीजन में सन् ५७ से, और जो सब से कम समय के हैं वे हैं गोरखपुर रीजन के जो सन् ६० में नियुक्त किये गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट नियमों में कुछ ऐसे नियम भी हैं कि एक ट्रांसपोर्ट अफसर अधिक से अधिक समय तक रह सकता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---यह जो नियम है, तीन वर्ष तक किसी स्थान पर एक अधिकारी के लिए रखने का प्रयत्न रहता है और अधिक रहने पर उसको वहां से स्थानान्तरित किया जाता है और जो तीन वर्ष से अधिक समय से अपने स्थान पर हैं उनको स्थानान्तरित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

१० मार्च, १९६० के स्थगित प्रश्न संख्या ५५-५७--(क्रमागत)

(कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री का नाम पुकारने पर)†

श्री राजनारायण--कुमारी श्रद्धादेवी के प्रश्नों के बारे में हमें दिलचस्पी है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने प्रश्न उठाया था तो मैंने व्यवस्था दी थी कि प्रश्न लिये जायेंगे। लेकिन नाम पुकारने पर माननीय सदस्या नहीं हैं, तो ऐसी दशा में वे कैसे लिये जा सकते हैं ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि माननीया श्रद्धा देवी जी के प्रश्नों के बारे में हमने, नारायणदत्त जी ने, पालीवाल जी ने, सभी ने लिखकर भेज दिया था कि हमारी दिलचस्पी है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये; मैं आपको बताऊं । इस समय माननीय सदस्या नहीं हैं। अनुपस्थित सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं वे कार्यवाही में छाप दिये जाते हैं। इसके अलावा उन पर और कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, जब आपने बुलाया था तो वह सदन में मौजूद थीं। जब उनको पहली बार पुकारा तो वह खड़ी हो गयीं। इसके माने हैं कि प्रश्न तो हाउस के सामने आ चुका और हम लोगों की दिलचस्पी का प्रश्न नहीं है। वह तो आ चुका।

श्री उपाध्यक्ष--जिस समय प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि मैं विदड्रा करना चाहती हूं। मैंने कहा कि ठीक है, विद्ड्राअल परमिटेड। राजनारायण जी ने प्रश्न उठाया, तो मैंने कहा कि लिये जायेंगे। लेकिन जब उनकी बारी आयी तो वह ऐबसेंट हैं। ऐसी हालत में वह ऐबसेंटी हो गयीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यही सवाल हमारे लग चुके हैं, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की तरह। आपके कार्यालय में हम भेज देंगे। वे ले लिये जायं।

---

†इस समय कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री उपस्थित नहीं थीं।

[मुख्य मंत्री द्वारा १० मार्च, १९६० के स्थगित प्रश्न]

सभा सचिवों के बुलन्दशहर के दौरे पर व्यय

*५५—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ सितम्बर, १९५९ से लेकर १५ जनवरी, १९६० तक उत्तर प्रदेश के किन-किन सभा सचिवों ने लखनऊ से बुलन्दशहर का दौरा किया और कितना धन टी० ए०, डी० ए० में अलग-अलग प्रत्येक सभा सचिव पर व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९१४–९१५ पर)

*५६—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सभा सचिवों ने कितने-कितने दिन जिला बुलन्दशहर में १ सितम्बर, १९५९ से १५ जनवरी, १९६० तक सरकारी गाड़ियों का अलग-अलग उपयोग किया तथा प्रत्येक उक्त गाड़ियों पर, जो सभा सचिवों के उपयोग में रहीं, कितना-कितना धन पेट्रोल पर व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९१४–९१५ पर)

*५७–**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त सभा सचिव जिला बुलन्दशहर में अन्तरिम जिला परिषद् के डाक बंगले पर रहे और क्या उन्होंने अपने ठहरने का कोई किराया अदा किया और अपने ठहरने के दौरान में कितने टेलीफोन काल उन्होंने सरकारी खर्चे पर किये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९१४–९१५ पर)

तारांकित प्रश्न—(क्रमागत)

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों को सुविधाएं

*६१—**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ; उनमें अनुसूचित जाति के शिक्षार्थियों को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित हैं, जिनकी †सूची (सूची नं० १) सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है, अनुसूचित जाति के शिक्षार्थियों को प्रवेश एवं छात्रवृत्ति देने में प्राथमिकता दी जाती है ।

*६२—**श्री रामदास आर्य**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर किन-किन उद्योगों की शिक्षा दी जाती है तथा प्रत्येक उद्योग सीखने की भिन्न-भिन्न अवधि क्या है ?

---

†सूची छापी नहीं गयी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जिन-जिन लघु उद्योगों में शिक्षा दी जाती है उनकी तालिका (सूची नं० २) सदन की मेज पर प्रस्तुत है। साबुन तथा टाट पट्टी उद्योगों को छोड़ कर जिनका शिक्षण काल ६ मास है, शेष सभी उद्योगों के लिए प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ९१६ पर)

श्री रामदास आर्य--क्या मंत्री जी हरिजनों की आर्थिक दशा को देखते हुये उचित समझते हैं कि उनको रहने और यातायात की सुविधा दी जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जो सुविधायें सबको दी जाती हैं वे इनको भी दी जाती हैं।

श्री रामदास आर्य--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन सहायक बोर्ड में आश्वासन दिया था कि हरिजनों को २० प्रति शत स्थान प्रत्येक प्रशिक्षण में सुरक्षित किये जायेंगे, उस पर वह विचार कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह बात तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के सिलसिले में थी।

*६३-६५--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--[३१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

अयाना में सेवाखण्ड खोलने की प्रार्थना

*६६--**श्री सुखलाल** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा तहसील औरैया में जो अयाना ब्लाक तोड़ दिया गया है, उसे वह फिर चालू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुल्तान आलम खां--ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सुखलाल--क्या सरकार बतायेगी कि जब हर जिले में नये ब्लाक खुल रहेहैं तो अयाना में न खुलने का क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां--इटावा जिले में १५ ब्लाक थे। उनमें से आयना ब्लाक भी था। बाद में यह खयाल आया कि जमुना नदी इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। इसलिये कुछ गांवों को एक ब्लाक में मिला दिया गया और कुछ को दूसरे ब्लाक में मिला दिया गया। दूसरे, जिला परिषद् ने भी कोई सिफारिश नहीं की कि अजसरे नौ इसको नया कायम कर दिया जाय। इसलिये ऐसा कोई सवाल सरकार के जेरे गौर नहीं है।

संचालक, उद्योग विभाग, के कार्यालय से कुछ कर्मचारियों का हटाया जाना

*६७--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि पिछले तीन महीनों के अन्दर संचालक, उद्योग विभाग, के कार्यालय में कितने लोगों को एक महीने की नोटिस देकर सेवा से मुक्त किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सात लोगों को।

*६८--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या सरकार इन कर्मचारियों की एक तालिका सदन की मेज पर रखेगी कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवायें कितने-कितने साल की थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वांछित तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९१७ पर)

*६९--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह भी सही है कि अधिक अवधि से काम करते हुये लोगों को निकाला गया और अपेक्षाकृत कम दिन से काम करने वाले कार्य कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे, जैसाकि उन्होंने उत्तर में कहा है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेवायें ४, ५, ६ साल की हैं, उनको हटा दिया गया है और कम अवधि के लोग काम करते हैं; तो ऐसा क्यों किया गया कि ज्यादा अवधि के लोगों को हटा दिया गया और कम अवधि के लोगों को नहीं हटाया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसकी पूरी जिम्मेदारी संचालक उद्योग की है । इससे उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है । किसी की अपील आयेगी तो उन कारणों की जांच करेंगे । इस वक्त हम जरूरी नहीं समझते कि उन कारणों को दख ।

*७०--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[३१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

उरई-जगम्मनपुर बस सर्विस

*७१--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन में उरई-जगम्मनपुर सड़क पर चलाने के लिये कितनी प्राइवेट बसों को परमिट दिया गया है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--उरई से जगम्मनपुर के लिये दो स्वीकृत मार्ग हैं । इनमें से उरई-जालौन-माधोगढ़-जगम्मनपुर मार्ग पर ५ प्राइवेट बसों को और उरई, कुकरगांव-अकौली-डमरी-जगम्मनपुर मार्ग पर १ प्राइवेट बस को परमिट दिया गया है ।

*७२--राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त बसों में से कितनी बसें नित्य उरई-जगम्मनपुर तक चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--दो बसें प्रति दिन उरई से जगम्मनपुर, जालौन, माधोगढ़ होकर और एक बस उरई से जगम्मनपुर, कुकरगांव, अकौली होकर चलती है ।

*७३--राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जालौन जिले में जालौन-उमरी सड़क पर पड़ने वाले ग्राम गोहन के निवासियों ने कोई दरख्वास्त इस आशय की दे रखी है कि उनके गांव की आबादी ८,००० होते हुये भी वहां पर बसें नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के इस महत्वपूर्ण स्थान पर बसें खड़ी करने का आदेश उक्त सड़क पर बस चलाने वालों को देगी ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कानपुर इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

अनेहरा तथा भैरोंपुर बस स्टाप

*७४--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि अनेहरा बस स्टाप प्रतापगढ़-कालाकांकर रूट में कब से चालू हुआ ?

डाक्टर सीताराम--जनवरी, १९५८ में ही अनेहरा को प्रार्थना-बस-स्टाप घोषित कर दिया गया था ।

*७५--श्री हरकेशबहादुर--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि भैरोंपुर बस स्टाप या स्टेशन प्रतापगढ़-पट्टी रूट पर कितने लोगों को बैठने के लिये मुसाफिरखाना है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ६९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर सीताराम--भैरोंपुर में मुसाफिरखाना तो नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिये एक कमरा किराये पर ले लिया गया है ।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स

*७६--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त समस्त प्रदेश में कुल कितने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२११ ।

*७७--श्री शिवराज बहादुर--उपरोक्त मैजिस्ट्रेटों में से कितने ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं जो तीन साल से अधिक कार्य करने पर भी अभी तक confirm नहीं हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२१ ।

रोजगार दफ्तरों में नामों की रजिस्ट्री

*७८--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् ५९ से ३१ जनवरी सन् ६० तक कितने व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में नाम रजिस्टर कराया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५,२१,००० है ।

पचपेड़वा में सेवा खण्ड खोलने की योजना

*७९--श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला गोंडा तहसील बलरामपुर के पचपेड़वा तप्पा में एन० ई० एस० ब्लाक खुलने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । पचपेड़वा में ब्लाक खुलेगा लेकिन इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह ब्लाक कब तक खुलेगा ।

छिबरामऊ ब्लाक की इमारतें न बन सकना

*८०--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ ब्लाक को प्रारम्भ हुये ३ साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक इसकी इमारत नहीं बनी है, उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उचित भूमि जल्दी न मिलने तथा कई बार टेन्डर मांगने पर भी कोई टेन्डर न आने व ईंट मिलने में कठिनाई होने के कारणों से छिबरामऊ ब्लाक की इमारतें अभी तक बन कर तैयार नहीं हो सकी हैं ।

मिनिस्टीरियल सर्विस ऐसोसिएशन की मांगें

*८१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वित्त मंत्री के निवास स्थान पर तारीख २३-२-६० को यू० पी० नान गजटेड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो इनकी क्या-क्या मांगें थीं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसियेशन के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री के निवास स्थान पर तारीख २३ फरवरी, १९६० को प्रदर्शन किया था। उनकी मांगें निम्नलिखित थीं--

१--द्वितीय वेतन एवं सेवा आयोग की स्थापना ;

२--राज्य कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों एवं वेतन ढांचे में बुनियादी परिवर्तन ।

३--अन्तरिम काल में प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि ।

चूंकि उक्त संस्था को सरकार द्वारा मान्यता नहीं है, इसलिये उसकी मांगों पर विचार नहीं किया गया ।

उत्तराखंड मण्डल का निर्माण तथा सीमावर्ती विधायक संघ के सुझाव

* ८२---श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं के तीन नये जिले बनाने का आधार क्या है ? इनकी सीमायें क्या हैं और क्या सरकार इन्हें बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सीमान्त क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विकास कार्यक्रम की प्रगति के हेतु तीन नये जिलों का निर्माण किया गया है । इन जिलों की सीमाओं का विवरण गजट एक्स्ट्राआर्डिनरी दिनांक २४-२-६० में दिया गया है, जिसकी †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है । राज्य सरकार का इन जिलों की सीमाओं में अभी कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

*८३---श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार को ज्ञात है कि सीमावर्ती विधायक संघ सर्वदलीय है और उसने सीमावर्ती जिलों की बाबत सरकार से १९५९ में व १९६० में मांगें पेश की हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सीमावर्ती विधायक संघ सर्वदलीय है कि नहीं, इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । संघ ने अपने दिनांक २४-११-५९ के पत्र में सीमावर्ती जिलों की समस्याओं के बारे में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे । उक्त पत्र से सुझाव सम्बन्धित उद्धरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९१८ पर)

* ८४--श्री हिम्मतसिंह---[बसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी में सब-रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस खोलने का निर्णय

*८५---श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने झांसी में असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अफसर का दफ्तर खोलने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो कब और अभी तक उसके न खुलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम---१ अप्रैल, १९५६ से झांसी में सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस खोलने का निर्णय किया गया था पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर (टेक्निकल) के पद के लिये योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण अभी तक यह दफ्तर नहीं खोला जा सका है । शीघ्र ही आफिसर की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जावेगा ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में मुअत्तल कर्मचारियों को बहाल होने पर वेतन

* ८६--श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में १-१-५० से ३१-१२-५६ तक कितने मुअत्तल कर्मचारियों को बहाल होने पर मुअत्तली का वेतन मिला है और कितना ? क्या मन्त्री परिवहन कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या कुछ ऐसे भी मुअत्तल कर्मचारी उक्त अवधि में बहाल हुये जिन्हें उनका वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो उन्हें वेतन न मिलने का क्या कारण है ?

---

† प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

डाक्टर सीताराम---गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में १-१-५० से ३१-१२-५६ तक १५२ मुअत्तल कर्मचारियों को बहाल होने पर ६७,४०८ रु० १४ आना ६ पाई मुअत्तली का वेतन मिला।

उक्त अवधि में केवल ४ ऐसे मुअत्तल कर्मचारी बहाल किये गये जिन्हें कोई मुअत्तली का वेतन नहीं दिया गया। इनमें से ३ ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने बहाली के पहले ही लिखित आश्वासन दिया था कि वे अपने अनुलम्बित समय का वेतन नहीं मांगेंगे क्योंकि उक्त समय में ये लोग दूसरी जगह कार्य करते थे और वहां से इस विभाग से अधिक पैसा पा चुके हैं।

चौथे व्यक्ति को मुअत्तली का वेतन इसलिये नहीं दिया जा सका क्योंकि उसकी बहाली का आदेश कार्यालय को ज्ञात उसके पते पर हस्तगत नहीं हुआ।

सरकारी बसों के नवीन मार्ग

*८७---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से मार्गों पर जिनमें प्राइवेट बसें चलती हैं सरकारी बसें चलाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---आगामी वित्तीय वर्ष में जिन मार्गों के राष्ट्रीयकरण का विचार है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९१९ पर)

नैनीताल जिले में नर-भक्षी चीता

* ८८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या मुख्य मंत्री के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि जिला नैनीताल में कोई Man-Eater लगा है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गत नवम्बर मास से अब तक चीते द्वारा मनुष्यों पर दो-तीन हमलों की रिपोर्ट मिली है, किन्तु इस पशु के man-eater हो जाने के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

* ८९---**श्री प्रतापसिंह**---क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त मैन-ईटर ने अब तक कितने मनुष्यों का संहार किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चीते द्वारा तीन व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है।

* ९०---**श्री प्रतापसिंह**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मैन-ईटर को मारने की क्या व्यवस्था की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चीते के मनुष्य पर हमला करने की पहली सूचना मिलते ही उसे मारने की कोशिश की गई और अब वह मारा भी जा चुका है। कुछ अन्य स्थानों से चीतों द्वारा जानवरों को उठा ले जाने की भी सूचना मिली है। वहां भी शिकारियों को लगा दिया गया है। वन विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है।

चीनी उद्योग से आय

*९१---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी उद्योग से प्रदेश को पिछले वर्ष में निम्न प्रकार की मदों से कितनी आय हुई और चालू वर्ष में कितनी आय होने की संभावना है---(१) चीनी के उत्पादन शुल्क से, (२) चीनी की एक्साइज ड्यूटी से, (३) खांडसारी के उत्पादन तथा एक्साइज शुल्क से, (४) गन्ना परिषदों को कमीशन के रूप में तथा (५) केन सेस के रूप में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चीनी उद्योग से इस प्रदेश को निर्दिष्ट मदों के अन्तर्गत सिवाय उन मदों के जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं और जिनके अन्तर्गत होने वाली आय की सूचना अल्प समय में देना सम्भव नहीं है, पिछले वर्ष में हुई आय तथा चालू वर्ष में होने वाली आय का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ९२० पर)

रोडवेज विभाग में प्रतियोगिता परीक्षा

*९२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में कन्डक्टर, बुकिंग क्लर्क, क्लर्क आदि जगहों के लिये जुलाई, १९५९ में कोई प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने उम्मीदवार शरीक हुये थे और कुल कितने उत्तीर्ण हुये ?

डाक्टर सीताराम—उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में जुलाई, १९५९ में कंडक्टर, बुकिंग क्लर्क, जूनियर क्लर्क और क्लीनर कंडक्टरों के पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षायें केवल देहरादून, रायबरेली, जीरो रोड, इलाहाबाद, मुरादाबाद डिपो, शाहजहांपुर डिपो और गोरखपुर रीजन में हुई थीं ।

उक्त परीक्षाओं में जितने उम्मेदवार शरीक हुये और जो उत्तीर्ण हुये उनकी संख्या निम्न-लिखित है :

	शरीक होने वालों की संख्या	सफल
(१) जूनियर क्लर्क—		
देहरादून	३८६	४२
(२) कंडक्टर —		
(अ) रायबरेली	६	६
(ब) गोरखपुर रीजन	२	१
(स) जीरो रोड	३३	२०
इलाहाबाद रीजन —		
(३) क्लीनर-कम-कंडक्टर —		
(अ) मुरादाबाद	१५	७
(ब) शाहजहांपुर	१२	१२

*९३—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके उपरोक्त विभाग में इससे पहले उत्तीर्ण हुये उम्मीदवारों की भी कोई लिस्ट है जो काम पाने की आशा में अब तक बेकार बैठे हैं ? यदि हां, तो वह कितने आदमियों की लिस्ट है और उनमें से किस विधि से लोग नौकरी में रखे जाते हैं ?

डाक्टर सीताराम—उपरोक्त स्थानों में से केवल रायबरेली और गोरखपुर रीजन में क्रमशः १९ और १६२ व्यक्तियों की पुरानी वेटिंग लिस्टें हैं । उनमें से नियुक्ति ज्येष्ठता (सीनियारिटी) के आधार पर होती है किन्तु परिगणित जाति के व्यक्तियों और स्वातंत्र्य संग्राम के सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है ।

कानपुर में कलेक्टरगंज रोडवेज़ बस स्टेशन की स्थिति

*९४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि कानपुर में कलेक्टर गंज रोडवेज बस स्टेशन बहुत तंग जगह व बहुत ही व्यस्त क्षेत्र में होने के फलस्वरूप बस के यात्रियों व उधर से आने जाने वाली जनता को बसों के यातायात से बड़ी रुकावट व असुविधा होती है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

विकास अधिकारी

*९५—श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के [कितने स्थानापन्न सहायक तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी हैं जो हाई स्कूल पास नहीं हैं?

*९६—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने स्थानापन्न सहायक तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी हैं और वे कितने-कितने दिनों से कार्य करते ह ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खेद है, सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है ।

एक–बुकिंग–क्लर्क वाले फर्रुखाबाद जिले के बस स्टेशन

*९७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज फर्रुखाबाद में कितने ऐसे बस स्टेशन हैं जिन पर सिर्फ एक कर्मचारी (बुकिंग क्लर्क)| रहता है ?

डाक्टर सीताराम—इस प्रकार के ६ बस स्टेशन हैं ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में लिपिकों की परीक्षा

*९८—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि जो परिवहन आयुक्त कार्यालय से विभागीय लिपिकों की परीक्षा १९५९ में हुई उसमें कोई परीक्षा-प्रश्न-पत्र परीक्षा के पूर्व आउट हो गया था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*९९—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सन् १९५९ में लिपिकों का परीक्षा–फल घोषित होने के उपरान्त कितने अनएप्रूव्ड लोग रक्खे गये और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—१०, जिनमें ७ अब भी काम कर रहे हैं । एप्रूव्ड लिस्ट समाप्त हो जाने के बाद छुट्टी इत्यादि के रिक्त पद भरने के लिये अनएप्रूव्ड लोगों के रखने की आवश्यकता हुई ।

मेरठ रोडवेज़ डिवीजन में कण्डक्टरों व ड्राइवरों की सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

*१००—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री परिवहन को ज्ञात है कि मेरठ रोडवेज डिवीजन के (अ) कन्डक्टरों व ड्राइवरों को रीजनल वर्दी अभी तक नहीं मिली है, (ब) उन्हें न तो पेन्शन मिलती है और न फन्ड ही मिलता है, और (स) तथा उनके रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं है और न मकान का भत्ता ही मिलता है ?

डाक्टर सीताराम—(अ) केवल कुछ नये ड्राइवरों और कंडक्टरों को छोड़कर, शेष सभी को वर्दियां मिली हुई हैं ।

(ब) प्रश्न विचाराधीन है ।

(स) इस प्रकार की सुविधा देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

रोडवेज क्षेत्र, आजमगढ़ में कर्मचारियों का बकाया वेतन व भत्ता

*१०१—**श्री श्रीनाथ** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ गवर्नमेन्ट रोडवेज रीजन के कितने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और यात्रा भत्ता कितने वर्षों से बकाया है और अब तक नहीं दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—राजकीय रोडवेज आजमगढ़ में ७४ कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि तथा २२ कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बकाया है । इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

कब से बकाया है	कर्मचारियों की संख्या	
	वेतन वृद्धि	यात्रा भत्ता
१९५५	१	—
१९५६	३	—
१९५७	५	७
१९५८	४६	१२
१९५९	१९	३
..	७४	२२

*१०२—**श्री श्रीनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये भत्ते अभी तक क्यों नहीं दिये गये ? क्या इसका निबटारा शीघ्र करने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम—उक्त कर्मचारियों में से १३ को वेतन वृद्धि का भुगतान इसलिये नहीं हो सका क्योंकि उनकी निजी पत्रावली उपलब्ध नहीं थी । शेष ६१ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का भुगतान इसलिये नहीं हो सका क्योंकि उनकी निजी पत्रावलियों तथा सर्विस बुकों में कुछ कमियां पाई गईं ।

भत्ते का भुगतान न होने का कारण यह है कि बहुत से कर्मचारियों ने बिल देर में प्रस्तुत किये और शेष के बिलों में त्रुटियां पाई गईं ।

इन बिलों के शीघ्र भुगतान के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

फरेंदा मध्य क्षेत्र में विकास कार्य

*१०३—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरेंदा तहसील (गोरखपुर) में विकास कार्य के बारे में विधान सभा के २४-१२-५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ में प्रथम पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले के फरेंदा मध्य क्षेत्र में जो निम्नलिखित विकास कार्य होने वाले थे उसमें से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कौन-कौन से विकास कार्य हो चुके हैं और कौन-कौन विकास कार्य बाकी रह गये हैं :—

(१) कृषि, (२) पशुपालन, (३) शिक्षा, (४) सार्वजनिक निर्माण, (५) जन स्वास्थ्य, (६) सहकारिता, (७) गृह उद्योग ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'थ'] आगे पृष्ठ ९२१–९२३ पर)

विलय राज्य समथर का कोष तथा बिजली न होने की शिकायत

*१०४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समथर (झांसी) उत्तर प्रदेश में कब विलीन हुई थी और उस समय क्या वहां पर बिजली रोशनी चालू हालत में थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—समथर (झांसी), उत्तर प्रदेश में दिनांक २५ जनवरी, १९५० को विलीन हुई थी। वहां पर बिजली की रोशनी के संबंध में स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है ।

*१०५—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समथर के उत्तर प्रदेश में विलीन होते ही उस इमारत में से एक बिजली का इंजिन जिसमें आज कल थाना है पुलिस उठा ले गई थी और उसे अभी तक वापस नहीं किया गया तथा वहां बिजली की रोशनी अभी तक भी बन्द है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१०६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समथर के विलीनीकरण के समय उसे वहां के खजाने से कितना रुपया प्राप्त हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना एक तालिका में दी गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'द', आगे पृष्ठ ९२४ पर)

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में नियुक्तियां

*१०७—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज रीजन गोरखपुर में १९५८ व १९५९ में कुल कितने कन्डक्टर, जूनियर क्लर्क , बुकिंग क्लर्क और ए० टी० आई० नियुक्त किये गये ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ९२५ पर)

*१०८—**श्री मुक्तिनाथराय**—उपरोक्त नियुक्तियां कब-कब की गयीं, कितनी नियुक्तियां चुनाव बोर्ड द्वारा की गईं और कितनी उच्च अधिकारियों द्वारा ?

डाक्टर सीताराम—उपरोक्त नियुक्तियां जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९५९ तक विभिन्न तिथियों में की गईं ।

सहायक जनरल मैनेजर कन्डक्टर पद के नियुक्ति अधिकारी हैं और जनरल मैनेजर, जूनियर क्लर्कों और असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टरों के नियुक्ति अधिकारी हैं । उपरोक्त सभी नियुक्तियां सम्बन्धित नियुक्त अधिकारियों द्वारा की गईं ।

*१०९—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज रीजन गोरखपुर में उक्त पदों के चुनाव करने के लिये चुनाव बोर्ड की कब-कब बैठकें हुईं और उन चुनाव बोर्डों में कौन-कौन सदस्य थे ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ९२६ पर)

उत्तर काशी जिले में औद्योगिक आस्थान खोलने के आदेश

* ११०--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचसाला योजना के शेष काल के अन्दर सरकार का जिला टिहरी-गढ़वाल के अन्दर क्या-क्या उद्योग खोलने का इरादा है और ये उद्योग कहां-कहां खुलेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--योजना के शेष काल में सरकार टेहरी-गढ़वाल में एक औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate) स्थापित कर रही है, जिसके आदश जारी हो चुक हैं । टेहरी-गढ़वाल के उस भाग में, जो अब उत्तर काशी जिला घोषित कर दिया है, १० जल चर्खा और चार कलाओं में ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन केन्द्र (Training-cum-Production Centre) चालू किये जायेंगे । आस्थानों का निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

* १११--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके सामने टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र के अन्दर कुछ उद्योग खोलने का सुझाव आया है ? यदि हां, तो इन सुझावों को अमल में लाने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । उद्योग संचालक इन सुझावों पर विचार कर रहे हैं ।

नियोजन कार्यालय, खीरी में क्लर्कों का इण्टरव्यू

*११२--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला खीरी के प्लानिंग आफिस में दिनांक २६ जनवरी, १९६० को क्लर्कों का इन्टरव्यू हुआ था ? यदि हां, तो कितने प्रार्थी थे और इन्टरव्यू में कितने लोगों ने भाग लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। ४६ प्रार्थी थे जिनमें से ३९ लोगों ने इन्टरव्यू में भाग लिया।

*११३--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त इन्टरव्यू में कितनों के पास इम्पलायमेन्ट एक्सचेंज का कार्ड था और कितनों के पास नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१५ अभ्यर्थियों के पास एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज का कार्ड था और शेष २४ के पास नहीं था ।

जंगल बेलवा तथा देशई देवरिया केन्द्रों में गन्ने की बिक्री रुकना

*११४--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शुगर मिल, बैतालपुर देवरिया के गन्ना विक्रय केन्द्र, जंगल बेलवा तथा देशई देवरिया के गन्ना उत्पादकों ने गत ३१ जनवरी से गन्ना बेचना बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । गन्ने की बिक्री केवल २ फरवरी से १० फरवरी तक बन्द रही ।

* ११५--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि उक्त पर्चेजिंग सेन्टर को गन्ना उत्पादकों के गन्ना न बेचने की सूचना केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, को तार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, दिनांक २-२-६० को कथित क्रय केन्द्रों को गन्ना किसानों के गन्ना न बेचने की सूचना गन्ना आयुक्त को तार द्वारा प्राप्त हुई थी। लेकिन गन्ना अधिकारी के बीच में पड़ने पर मिल इन क्रय केन्द्रों पर १२ नए पैसे प्रति मन की दर से शुरू सीजन से ढुलाई कटौती काट कर १ रु० ५० न० पै० प्रति मन के हिसाब से गन्ने की कीमत देने को राजी हो गई। दोनों केन्द्रों पर ११-२-६० से गन्ना क्रय सुचारु रूप से हो रहा है।

गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिलों में खुलने वाले उद्योग केन्द्र

*११६--श्री उग्रसेन--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले में राज्य सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से उद्योग चालू किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया जिले में उद्योग की उन्नति हेतु खोले जाने वाले केन्द्र निम्नलिखित हैं:--

१--अविकसित क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत--

(क) महिला सिलाई केन्द्र;
(ख) रंगाई छपाई केन्द्र।

२--सघन विकास योजना के अन्तर्गत--

(क) बटन उद्योग केन्द्र;
(ख) सिलाई केन्द्र।

३--औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत--

(क) सिलाई केन्द्र;
(ख) चर्म कला केन्द्र;
(ग) बटन उद्योग केन्द्र;
(घ) वस्त्र बुनाई केन्द्र;
(ङ) काष्ठ कला केन्द्र;
(च) लोहारी केन्द्र।

४--खादी उद्योग।

५--चर्म उद्योग।

६--हस्त करघा वस्त्र उद्योग।

७--गुड़ उद्योग।

८--अन्डी रेशम (Ericulture) उद्योग।

९--रेशम उद्योग (Sericulture)।

१०--करघा वस्त्र चिह्नांकन योजना (Quality Marking Depot for Handloom Fabrics)

११--विभिन्न उद्योगों की सहकारी समितियों का संगठन।

रायबरेली जिले में पुराने गजटेड आफिसर्स

*११७--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में कितने गजेटेड आफिसर ऐसे हैं जिनकी अवधि राय बरेली में रहते हुये ३ साल या इससे ऊपर हो चुकी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नौ।

चीनी मिलों का उत्पादन

*११८—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों में पृथक् पृथक् १४ दिसम्बर, १९५९ लगायत २० दिसम्बर, १९५९ तक रोजाना कितना गन्ना खरीदा गया, कितना गन्ना पेरा गया तथा कितनी चीनी बनी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के विकास खंडों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

*११९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कौन-कौन स्थानों पर प्रथम प्रक्रम (सघन विकास प्रक्रम) और कौन-कौन से द्वितीय प्रक्रम (सघनोत्तर विकास प्रक्रम) चल रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश में इस समय जो प्रथम व द्वितीय श्रेणी के खण्ड चल रहे हैं उनकी सूची (तालिका † "क") मेज पर रख दी गयी है।

*१२०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने के कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रथम प्रक्रमों में स्थापित करने का निश्चय किया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३११ प्रथम प्रक्रमों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया गया था।

*१२१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त निश्चय के अनुसार किन-किन प्रथम प्रक्रमों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, और वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तक कितने और किन-किन प्रथम प्रक्रमों में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१५ प्रथम प्रक्रमों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा १९४ प्रथम प्रक्रमों में एलोपैथिक चिकित्सालय (जो कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंग हैं) स्थापित किये जा चुके हैं। शेष १०२ प्रथम प्रक्रमों में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तक एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित हो जाने की सम्भावना है। इन खण्डों की पृथक् पृथक् सूचियां (तालिकायें† "ख", "ग" तथा "घ") प्रस्तुत हैं।

गौड ट्वाय फैक्टरी, फजलगंज, की कर्ज के लिए दरख्वास्त

*१२२—श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गौड ट्वाय फैक्टरी, फजलगंज, कानपुर, की ओर से ४८ हजार रुपये कर्ज की दरख्वास्त २६-११-५६ को डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को दी गई और डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ने ४८ हजार रुपये के कर्ज देने की सिफारिश यू० पी० फाइनेन्शल कार्पोरेशन, कानपुर, से की, जिसमें कारखाने की इमारत के लिये २० हजार रुपये, मशीनरी के लिये १८ हजार रुपये, तथा वर्किंग कैपिटल के लिये १० हजार रुपये की की?

*१२३—क्या यह सही है कि यू० पी० फाइनेन्शियल कार्पोरेशन ने ४८ हजार रुपये के बजाय ३० हजार रुपये का लोन, जिसमें १३ हजार रुपये जमीन व १७ हजार रुपये फैक्टरी की बिल्डिंग के लिये था, मंजूर किया तथा मशीनरी व वर्किंग कैपिटल के लिये रुपया नहीं मंजूर किया और जमीन वाले १३ हजार रुपये में से ८ हजार रुपया डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर, को पहले का कर्ज, जो रिहाइशी मकान के सम्बन्ध में लिया गया था, सीधे दे दिया गया?

---

* †तालिकायें छापी नहीं गईं।

*१२४--क्या यह भी सही है कि इस कम्पनी द्वारा ३०-९-५८ को फैक्टरी बिल्डिंग पूरी करने के लिये एडीशनल लोन का १० हजार रुपये की दरख्वास्त डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज को दी गई थी जो अभी तक मंजूर नहीं हुई है? यदि हां, तो किस कारण ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

बढ़नी तथा इटवा विकास खंडों में सिंचाई के कार्य

*१२५--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बस्ती के विकास खण्ड, बढ़नी तथा इटवा में सिंचाई योजना में कौन-कौन से कार्य अब तक किये गये या किये जा रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी गई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ९२७ पर)

कानपुर में खनिज परीक्षण केन्द्र तथा अल्मोड़ा में औद्योगिक आस्थान खोलने की योजना

*१२६--श्री रामदास आर्य--क्या मुख्य मन्त्री के समक्ष कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में या अनुभव के तौर पर कुछ जिलों में घरेलू लघु उद्योग धन्धे जैसे चमड़े, सूत, ऊन, लकड़ी, धातु, कांच, चीनी आदि से उत्पादित वस्तुओं और गुड़ के बिक्री केन्द्र खोले जायें जिनमें उनके उत्पादकों को उनकी वस्तुओं का ७५ प्रति शत मूल्य वस्तु के केन्द्र पर आते ही और शेष २५ प्रति शत वस्तु की बिक्री के पश्चात् प्राप्त हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक उद्योग विभाग का सम्बन्ध है, ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष नहीं है।

*१२७--श्री रामदास आर्य--क्या यह सही है कि सरकार १९६० व १९६१ में कुछ औद्योगिक परीक्षण केन्द्र तथा औद्योगिक आस्थान खोलन की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो ये कहां-कहां खोले जावेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। सन् १९६०-६१ में खनिज परीक्षण हेतु एक पाइलट प्लाण्ट एच० बी० टी० आई० कानपुर में तथा एक औद्योगिक-आस्थान अल्मोड़ा में खोलने का आयोजन किया जा रहा है।

देवरिया जिले में उद्योग विभाग से सहायता

*१२८--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में उद्योग विभाग से कितना धन ऋण के रूप में व कितना अनुदान इस वित्तीय वर्ष में दिया गया है? यह धन किन-किन व्यक्तियों को कैसे वितरित हुआ है और क्या इसकी सहायता से कुछ उद्योग प्रारम्भ हो गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रतापगढ़ जिले में विकास मेलों पर व्यय

*१२९--श्री हरकेशबहादुर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक विकास मेले में जिला प्रतापगढ़ में १९५९ के सितम्बर माह से फरवरी, १९६० तक कितना व्यय किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'फ', आगे पृष्ठ ९२८ पर)

*१३०—श्री हरकेशबहादुर—क्या प्रतापगढ़ जिले में किसी छाया क्षेत्र में भी विकास मेला पिछले तीन सालों में लगाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*१३१—श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उक्त जिले के छाया क्षेत्रों में ३१ मार्च, १९६० तक कोई विकास मेला लगाने का विचार है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

रोडवेज विभाग में नौकरी के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार

*१३२—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के रोडवेज विभाग में डिवीजनवार कितने-कितने तथा किस-किस पद के लिये १ जनवरी, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने दिये और उनमें कितने तथा किस-किस पद के प्रार्थना-पत्र कामयाब हुये ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है।

आजमगढ़ रोडवेज क्षेत्र में बस कण्डक्टरी के उम्मीदवार

*१३३—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय आजमगढ़ रीजन में बस कंडक्टरी पाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र वेटिंग लिस्ट में हैं ?

डाक्टर सीताराम—१३९ ।

सीतापुर जिले की चीनी मिलों से सम्बन्धित गन्ने की ढुलाई का बकाया

*१३४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अवध शुगर मिल, हरगांव, लक्ष्मी शुगर मिल, महोली और सेक्सरिया शुगर फैक्ट्री बिसवां के गन्ने खरीदे जाने के वित्तीय वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में ऐसे कितने सेंटर रहे हैं जिनकी ढुलाई (यातायात कटौती) उपरोक्त मिल वालों को देनी पड़ी है ? यह ढुलाई गन्ना उत्पादकों को कब दी गयी तथा कितनी धनराशि थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गन्ना मिल वालों को ढुलाई नहीं देनी पड़ती बल्कि किसान जो रोड सेंटर पर गन्ना देते हैं उनके गन्ने के मूल्य से मिल ढुलाई काटती है; अतः इस प्रश्न का दूसरा भाग भी नहीं उठता।

*१३५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि उक्त तीनों मिलों ने गन्ना के खरीद किये जाने वाले सेंटर से मिलों का फासला कम लिखकर गन्ना उत्पादकों को उक्त वर्ष में ढुलाई बहुत कम दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न भी नहीं उठता क्योंकि गन्ना उत्पादकों को ढुलाई नहीं दी जाती ।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

*१३६---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ऐसे सेंटरों की नाप-जोख की गई है जिसके परिणाम स्वरूप लाखों रुपये का गन्ना उत्पादकों का उक्त वित्तीय वर्ष का मिलों पर वाजिब निकलता है जिसे मिल वाले दे नहीं रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह प्रश्न भी इस रूप में नहीं उठता। अलबत्ता १९५८-५९ सीजन में केवल हरगांव तथा महोली चीनी मिलों ने अपने कुछ रोड सेंटर्स से स्वीकृत दर से अधिक संलग्न तालिका में उल्लिखित ढुलाई की कटौती गन्ना किसानों के मूल्य से कर ली थी और इस अधिक कटौती की गई रकम को किसानों को लौटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ९२९ पर)

गुड़, खांडसारी तथा राब उद्योग पर नियंत्रण

*१३७---श्री गेंदासिंह---क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गुड़, खांडसारी तथा राब उद्योग पर प्रतिबन्ध लगाने वाले सरकारी आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कुछ मुकदमे दायर हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*१३८---श्री गेंदासिंह---उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश के विरुद्ध जो निर्णय दिया है उसको देखते हुये सरकार उक्त उद्योगों का किस प्रकार नियन्त्रण कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त उद्योगों का नियन्त्रण उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६० तथा निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है---

१---उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अधिनियम, १९६०, तथा

२---उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६०।

*१३९---श्री गेंदासिंह---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीशों, कमिश्नरों, कप्तान तथा एस० डी० एम० को क्या घोड़े की सवारी करने से मना कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

खांडसारी का उत्पादन

*१४०---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत या उनकी जानकारी में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कोई ऐसी एजेन्सी है या पिछले दस वर्षों में रही है जो उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष खांडसारी शक्कर के उपज के आंकड़े रखती रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

*१४१---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पादित खांडसारी शक्कर का अनुमान बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना १९४८-४९ से लेकर १९५७-५८ तक की संलग्न है। आगे की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ९३० पर)

अतारांकित प्रश्न
बदायूं जिले में कुओं की बोरिंग

१--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में १९५७-५८ में कितने रुपये कुओं को बोरिंग्स के लिये अग्रिम जमा हुये उनमें से कितने बोरिंग हुये, १९५८-५९ में कितने रुपये जमा हुये और कितने बोरिंग हो सके?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन*

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रतिनिहत विधायन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का चतुर्थ प्रतिवदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं दो-एक बातें माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सदन का ध्यान इस प्रतिवेदन की ओर विषेष रूप से आकर्षित करूंगा कि ३४ पृष्ठ के प्रतिवेदन में २० पृष्ठ इस सदन के सदस्यों से सम्बन्धित ह---सदस्यों से, मंत्रिमंडल से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सम्बन्धित हैं। इस कारण मेरा सदन से निवेदन होगा कि इस प्रतिवेदन का विशेष रूप से अध्ययन करके अपने विचार निश्चित करें।

दूसरी बात यह है कि समिति के सदस्यों को सन्तोष है कि सरकार द्वारा इस समिति के प्रतिवेदनों और संस्तुतियों पर विशेष रूप से ध्यान देकर विचार किया जाता ह। संस्तुतियों के सम्बन्ध में सरकार से हमें जो स्पष्टोकरण प्राप्त हुए हैं, अधिकांश में सरकार सहमत हुई है। कुछ संस्तुतियां ऐसी हैं जिनके सम्बध में सरकार असहमत है। किन्तु संतोष यह है कि सरकार द्वारा जो उत्तर हमें प्राप्त हुये हैं उनमें सरकार ने समाधान करने का प्रयत्न अपने कारणों से किया है, जिसके ऊपर समिति को विचार करना है।

तीसरी बात जो मुझे सरकार से निवेदन करनी है वह यह है कि जो संस्तुतियां इस समिति के द्वारा भेजी जाती हैं सरकार को, उनके स्पष्टोकरण भेजने में बहुत विलम्ब होता है।

श्री उपाध्यक्ष---सदन की बाईं तरफ, हाल में काफी माननीय सदस्य लाबी का काम ले रहे हैं। अगर काम ज्यादा हो तो लाबी में चले जायं।

श्री मदनमोहन---श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो संस्तुतियां समिति द्वारा सरकार के पास भेजी जाती हैं उनके उत्तर में स्पष्टीकरण में बड़ा विलम्ब होता ह। इसमें इस बात की आशंका रहती ह कि यदि नियम त्रुटिपूर्ण हों तो दीर्घकाल तक बिना ठीक किये हुए प्रभावी रहते हैं और हो सकता है कि उनके कारण कुछ मुकदमों में कठिनाइयां पैदा हों या हो सकता है कि जो व्यक्ति उन नियमों से सम्बन्धित हों उनके अधिकारों पर उसका कुप्रभाव पड़े। तो मेरा निवेदन है कि चूंकि नियम भी विधि का प्रभाव रखते हैं और गलत कानून दीर्घकाल तक प्रचलित रहे यह उचित नहीं मालूम होता है, अतः सरकार से निवेदन यह है कि शीघ्रातिशीघ्र इन संस्तुतियों पर विचार किया जाय और उनका स्पष्टीकरण भेजने की कृपा की जाय।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है और वह एक साधारण-सी बात है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जो अपना स्पष्टोकरण अब भी अंग्रेजी में ही भेजते हैं यद्यपि हमारी सिफारिशें हिन्दी में होती हैं। श्रीमन्, समाज कल्याण मंत्री की ओर से अंग्रेजी में स्पष्टीकरण आये, यह कुछ असंगत-सा मालूम होता है। परिवहन विभाग से भी अंग्रेजी में स्पष्टीकरण आते रहे हैं। मेरा

---

*प्रतिवेदन छापा नहीं गया।

ऐसा विचार है जब कि कैबिनेट ने भी हिन्दी में ही काम करने की घोषणा की है, इसलिए विशेष निवेदन है कि हिन्दी में हमारे पास सिफारिशों के स्पष्टीकरण आयें तो अधिक उपयुक्त होगा।

अन्त में, श्रीमन्, एक बात और कहनी है, और वह यह है कि प्रायः जो भी नियम बनाये जाते हैं, वह जिस समय भी गजट में प्रकाशित हो जायं प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन सदन के समक्ष वे बहुत विलम्ब से रखे जाते हैं। कुछ इस सम्बन्ध में साहित्य पढ़ते हुए मुझे यह मालूम हुआ कि इंगलैण्ड में जैसे, अगर सदन के समक्ष ऐसी विज्ञप्तियां विलम्ब स आती हैं तो सरकार के लिए यह अनिवार्य होता है कि उस विलम्ब का कारण बताये ; और यह भी शोचनीय बात हो जाती है जब देर पर देर हो जाती है। कुछ काल विलम्ब से तो सदन के समक्ष वह नियम आते हैं, उसके पश्चात् विधायन समिति के समक्ष समय लगता है, जब संस्तुतियां दी जाती हैं और फिर उन संस्तुतियों पर विचार करने में भी दीर्घकाल सरकार को लग जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि त्रुटिपूर्ण नियम बहुत दिनों तक प्रभावी रहें जो अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय वर्मा जी ने जो एक बात कही कि इस ३४ पज की पुस्तिका में २० पृष्ठ हम लोगों से, यानी चेयर से, या सरकार से, या माननीय सदस्यों से सम्बन्धित हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह आज तक की रिपोर्ट रही है। उन्होंने यह भी निवेदन किया था आपसे कि इस पर हम लोग सब विचार करें। तो विचार करने का मौका, श्रीमन्, घर में तो हुआ नहीं करता क्योंकि खुद पढ़ लिया और खुद विचार कर लिया तो यह तो कोई मानी नहीं रखता। इसलिए चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, माननीय नेता सदन भी राजी हो जायं तो कोई टाइम एक-दो घंटे का निकाल कर इसके ऊपर विचार करने के लिए दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ लूंगा और यदि नियमों में कोई व्यवस्था होगी तो इस बात की व्यवस्था की जायगी।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--मैं आपका ध्यान नियम २१७ (३) की तरफ दिलाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि मिनिस्टर कंसर्न्ड जो हैं वह स्टेटमेंट आज देंगे या बाद में देंगे इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है। यह नियम २१७ (३) में लिखा है जो आपने कहा है। मैं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कोई वक्तव्य आज देने के लिए तैयार हैं या बाद में देंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं। इसका सम्बन्ध तो शायद सभी मंत्रियों स होगा। तो कौन मंत्री बयान देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--मैंने समझा कि माननीय मंत्रिगण को इसकी जानकारी होगी। लेकिन अब चूंकि रिपोर्ट आज ही आयी है, इसका अध्ययन पहले कर लिया जाय कि किसको ऐड्रेस किया जाय और उसके बाद जांच-पड़ताल करने के बाद मुख्य मंत्री से समय तय करके मैं मौका दे दूंगा।

सदस्यों के सदन से चले जाने पर उनके प्रश्नों के लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के नियम ३७ के अनुसार यदि किसी भी सदस्य की यहां पर उपस्थिति प्रदर्शित हो जाय और क्रमानुसार उसके प्रश्नों की प्राथमिकता भी प्रकट हो जाय और ऐसी स्थिति में वह सदस्य,

[श्री शिवप्रसाद नागर]

जब उनके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का समय आये, उठ कर बाहर चले जायं, तो उस समय वह प्रश्न स्थगित कर दिये जायंगे या वह प्रश्न हाउस में लिये जायंगे, जब कि उपाध्यक्ष महोदय की यह व्यवस्था हो चुकी है और हाउस भी इस बात को जान चुका है कि ये प्रश्न सदन में अवश्य लिये जायंगे और उन पर अनुपूरक प्रश्न होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से नियम जानना चाहता हूं कि जिस नियम के मुताबिक माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी माननीय सदस्य को या सदस्या को बाध्य कर सकते हैं कि वह सदन में जरूर मौजूद रहें। मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी थी कि आप लोग इस पर पूरा विचार करें तब सब बातें स्पष्ट हो जायंगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--- मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय का आया है। इस सम्बन्ध में माननीय झारखंडे राय जी मुझ से मिल लें। इसमें कुछ बातें साफ नहीं हैं। इसको मैं कल के लिये रख देता हूं, उनसे बात करने के बाद यह लिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत तीन प्रस्ताव मेरे सामने उपस्थित हैं। उन तीनों प्रस्तावों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको स्वीकार किया जा सके। पहली प्रथा के अनुसार जैसी मैंने हिदायत दी थी अगर माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उपस्थित करेंगे तो मैं उनके लिये जो तारीख निश्चित करूंगा उसके अनुसार उस तारीख तक अवश्य उनको उत्तर मिल जायगा इसके लिये मैं मंत्रिगण से निवेदन कर चुका हूं।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--- श्रीमन्, मैं यह निवेदन ....

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग इस पर विचार कर लें। मेरा निवेदन यह है कि उपाध्यक्ष जब एक व्यवस्था दे चुके तो फिर आप विचार कर लें। तब उसके ऊपर विचार हो जायगा।

सदस्यों को पार्टी के अनुपात तथा उनकी संख्या के अनुसार बोलने का अवसर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--- श्रीमन्, मेरा निवेदन तो उस चार्ट के सम्बन्ध में है जिसमें कल समय पार्टियों को बोलने के सम्बन्ध में आपने दिया था। समय के बटवारे के सम्बन्ध में देखने से साफ जाहिर होता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, उसकी संख्या को देखते हुये कम समय मिल पाया है और मैंने समय-समय पर इस ओर आपका ध्यान दिलाया है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में कम से कम हमारी संख्या को देखते हुए हमको ठीक समय मिला करे।

श्री उपाध्यक्ष--- आपकी मांग उपयुक्त है। मैं राजनारायण जी का बहुत अनुगृहीत हूं कि ऐसा प्रश्न यहां पर उपस्थित करके स्थिति को इस हाउस के सामने रखने का अवसर मिला। मैं भविष्य में इस बात का प्रयत्न करूंगा कि सदस्यों को पार्टी के अनुपात से, सदस्यों की संख्या के अनुसार, उनको मौका दिया जाय।

मिश्रिख में श्री दधीचनाथ के मेले में अनधिकृत सिनेमा शो के कारण सरकारी आय में कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--- अब माननीय शिव प्रसाद नागर के नियम ५२ के अन्तर्गत २२ मार्च, १९६० के प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझको ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है उसका कारण यह है कि उनको ठीक-ठीक सूचना नहीं मिल सकी। उनका यह कहना सही है कि उस मेले में चार सिनेमा घर थे लेकिन यह उनको सूचना गलत है कि उन सिनेमाओं से रुपया नहीं लिया गया और सरकार को रुपय का नुकसान हुआ, ऐसी बात नहीं ह। पहले नौ घूमते फिरते सिनेमा वालों ने दरख्वास्त की थी उस मेले में इजाजत के लिये लेकिन वक्त पर चार ही उपस्थित हुये। उन चारों को, जो वहां पर मेले के इञ्चार्ज सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अनुमति आने की आशा से खेल करने की इजाजत दे दी। उन चारों से नियम के अनुसार जमानत के तौर पर रुपया जमा करा लिया गया और जहां तक रुपये की वसूली की बात है, एक तो गोपाल सिनेमा था उससे ३०० रुपया जमा करा लिया गया और उस पर जो इन्टरटेनमेंट टैक्स का जो ५७३ रुपया होता था वह भी जमा करा लिया गया। वह पूरा वसूल हो गया। जमानत और टैक्स सब। एक दूसरा सिनेमा था राजा नाम का उससे ४०० रुपया जमा करा लिया गया। उस पर इन्टरटेनमेंट का टैक्स ६६० रुपया होता था वह पूरा वसूल हो गया। एक है मैजिस्टिक। उससे २०० रुपया जमानत का जमा कराया गया। ३१३ रुपया ७९ नया पैसा उससे इंटरटेनमेंट टैक्स का जो था वह पूरा का पूरा वसूल हो गया। इसके अलावा एक है परवेश, उससे ५०० रुपये जमानत का जमा कराया गया और ९०६ रुपये ४६ नये पैसे इंटरटेनमेंट टैक्स का हुआ। ६४४ रुपये ५६ नये पैसे उससे वसल हो चुका है और इस तरह से उस पर २७१ रुपये ९० पैसे बाकी हैं। लेकिन उसका ५०० रुपया सेक्योरिटी का जमा है और इसलिये उसके वसूल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि जिस समय वे नियम ५२ या कार्य-स्थगन का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत करें तो कही-सुनी बातों के आधार पर वे प्रश्न न उपस्थित किये जायं। माननीय नागर जी मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि २०,००० रुपये का दुरुपयोग किया गया है, तो मैंने सोचा कि सचमुच में एक महत्व का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो प्रश्न उठत हैं उनकी सचचाई क बारे में पूरी जानकारी की जिम्मेदारी माननीय सदस्य को लेनी चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--- उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब यह सिनेमा वहां लगाये गये तो उस समय उनको कोई परमिशन नहीं मिली थी और जब यह सिनेमा वहां से चले गये तो "बी" फार्म इन सिनेमाओं से इंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पक्टर ने खयाल से ले लिया कि अगर कोई एतराज होगा तो "बी" फार्म पर कार्यवाही करके उसे दाखिल कर दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो रकम जमा की गयी है, क्या इंटरटेनमेंट टैक्स ऐक्ट के मुताबिक "बी" फार्म में जिस क्रम से जमा होनी चाहिये थी उसी क्रम से जमा हुई है या बाद में जमा हुई है इस प्रश्न के उठने के बाद? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या वे इसकी जांच और उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास लिखित रिपोर्ट भी आयी थी पर आज सबेरे कलेक्टर से मैंन बातचीत भी की। उन्होंने बतलाया कि जो मैंने पहले बतलाया था, वह सही है। कलेक्टर की अनुमति आने से पहले सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने इन ऐंटीसिपेशन आफ दि सैंक्शन, हर साल जैसे सिनेमाओं को परमीशन मिलती रही है कि कलेक्टर की अनुमति आ जायगी, अपनी तरफ से उन्हें इजाजत दे दी थी। लेकिन इसके अलावा और कोई भी कार्यवाही ऐसी नहीं हुई कि जो अनियमित हो।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध, प्रश्नों का उत्तर विलम्ब से देने पर,विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा, इत्तफाक से मुख्य मंत्री जी भी यहां हैं। मैं आपका और मुख्य मंत्री जी का ध्यान प्रश्न ३२ की ओर दिलाना चाहता हूं। यह प्रश्न मैंने जहां तक मुझे याद है "अल्प सूचित तारांकित" करके दिया था; लेकिन सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया और १६ फरवरी को आपने उसे स्वीकार करके सरकार के पास भेज दिया। आज उसका उत्तर यह है, १ महीने ८ दिन के बाद, कि इस सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं प्रश्न में पूछ रहा हूं कि पंच-वर्षीय योजना में एम्प्लायमेंट का लक्ष्य क्या है और कहां तक वह पूरा हुआ है? अगर सरकार को यही सूचना देनी थी तो उसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को न तो इन्कार करने की जरूरत थी और न यह १ महीने ८ दिन का समय ही लेने की आवश्यकता थी। यह सम्बन्ध रखता है माननीय मुख्य मंत्री जी से। मैं बहुत दुःख के साथ इस बात को कहता हूं और इसके साथ आप से रक्षा चाहता हूं इस सदन के अधिकारों की। नियम ३१ के अनुसार २० दिन का अवसर उत्तर देने के लिये मिलना चाहिये सरकार को। अगर इस प्रकार की सूचना सरकार को देनी है तो १ महीना ८ दिन लगाने की और नियमों की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से नियमों की अवहेलना होती है तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिये मैं अर्लियेस्ट अपार्चुनिटी लेता हूं और माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं स्थिति को देख लूंगा कि क्या है और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री से भी जांच पड़ताल करूंगा कि किन कारणों से इतनी देर लगी और फिर मैं सदन को सूचित करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, इस कार्यक्रम में एक दूसरा प्रश्न भी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय उपनेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि मैंने माननीय गेंदासिंह जी की काफी व्यग्रता देखी, इसलिये मैंने विशेष तौर पर उनको अनुमति दी। मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि वे इस प्रकार के प्रश्न लिख कर दें ताकि मैं फाइल चला कर सरकार से पूछ सकूं। यहां इस तरह पर जो बातें हो जाती हैं वे सब प्रोसीडिंग्स में आ जाती हैं और वह डेढ़ महीने बाद छप कर हमारे सामने आती हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात लिख कर भेज दें।

कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि कल तक तो यह हाउस बजट का कार्य करेगा। उसके बाद छुट्टियां पड़ रही हैं। अब उसके बाद सदन का क्या कार्यक्रम होगा वह हमें मालूम नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---आप केवल सूचना चाहते हैं तो यह भाषण क्यों दे रहे हैं? आप कृपया बैठिये। नियमों का पालन होगा और उनके मुताबिक सरकार के साथ जरा भी रियायत नहीं की जाएगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, प्रोग्राम का तो पता चल जाय ताकि हम उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष---सरकार की तरफ से प्रोग्राम आ गया है वह प्रेस छपने गया है। कल सभी माननीय सदस्यों को मिल जायेगा। कल के बाद ५ दिन की छुट्टी पड़ रही है। उसके बाद ३१ को नान-आफिशियल दिन है। इस बीच आपको अपनी तैयारी करने का काफी मौका मिल जायगा।

सहारनपुर नगरपालिका द्वारा लाऊड-स्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन उप-मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय राजनारायण जी के प्रश्न पर, सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में, माननीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री अपना स्पष्टीकरण उपस्थित करें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका सहारनपुर, में लाउड-स्पीकरों के प्रयोग से सम्बन्धित जो विधियां बनायी गयी हैं उनके सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया है। शासन ने नगरपालिकाओं को गाइडेन्स के लिये माडेल बाई लाज बनाये हैं जिनके अनुसार वे अपनी अपनी उप-विधियां बनाती हैं। लाउड स्पीकरों के प्रयोग से रोजमर्रा के कामों में कोई खलल न हो सके। इस उद्देश्य से शासन में आदर्श, उपविधियों में कुछ संशोधन सर्कुलेट किया है जिसके द्वारा लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर कुछ रोक लगायी गयी है। लेकिन उसमें यह व्यवस्था रखी गयी है कि पब्लिक मीटिंगों के लिये इजाजत दी जा सकती है और उसमें लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया जा सकता है। यह इजाजत नगरपालिका के सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव आफिसर दे सकते हैं। इन्हीं संशोधित उप-विधियों के अनुसार नगरपालिका सहारनपुर, ने अपने उपनियम बनाये हैं और उन्हीं के अनुसार वह कार्य कर रही हैं। अपने उन्हीं नियमों के अनुसार नगरपालिकाएं अपना कार्य करती हैं और उसके लिये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नगरपालिका ने अपनी उप-विधियों में यह जरूर रखा है कि पब्लिक मीटिंस के लिये भी जो इजाजत दी जावेगी वह रात में ९ बजे के बाद के लिये नहीं होगी। अब वहां पर इसके लिये जो भी दरख्वास्तें दी जाती हैं उनको परमीशन दे दी जाती है। उसमें किसी पार्टी के साथ कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। माननीय राजनारायण सिंह जी का यह कहना कि उनकी पार्टी को इस मामले में तंग किया जाता है, उनकी तरफ से जो इजाजत मांगी जाती है उसमें उन्हें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, ये बातें बिलकुल निराधार हैं। अभी तक सिर्फ तीन मामले ऐसे हुये जिनमें उनका चालान करना पड़ा। इनमें दो मामले तो ऐसे थे कि उनको इजाजत दी गयी थी रात के ९ बजे तक के लिए किन्तु वे बाद में भी उसका प्रयोग करते रहे। ९ बजे के बाद प्रयोग के लिये उनको पहले मना किया गया। लेकिन जब मना करने पर भी वह न माने तो उनका चालान किया गया।

तीसरा मामला यह था कि इजाजत किसी दूसरे के नाम थी किन्तु उसका प्रयोग दूसरा आदमी कर रहा था। जब वह प्रयोग करते हुए पाये गये, उनसे पूछा गया तो दूसरे आदमी के नाम जो परमीशन थी वह भी परमीशन उनके पास नहीं थी। इसमें उनका भी चालान किया गया। इन तीनों केसेज में से १ का फैसला हो गया है जिसमें केवल १० रुपया जुर्माना हुआ और दो मामले अब भी विचाराधीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष---नम्बर २ में लिखा गया था कि बिना नगरपालिका की पूर्व स्वीकृति के कोई विषय ऐलान नहीं किया जा सकता, तो वह बाई-ला क्या है, उसको पढ़ दें। ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि जिससे लाउड-स्पीकर बन्द कर दिये गये?

श्री जयराम वर्मा---यह है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग नगरपालिका की सीमा के अन्दर नहीं हो सकेगा, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि पब्लिक मीटिंगों के लिए सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव आफिसर द्वारा परमीशन दी जा सकेगी और सरकारी कामके लिए भी बिला किसी परमीशन के लाउड-स्पीकर का प्रयोग हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न संख्या २ में माननीय राजनारायण ने पूछा है कि बिना नगरपालिका की पूर्व स्वीकृति के कोई विषय ऐलान नहीं किया जा सकता, तो विषय के बारे में कोई बाई-ला है और जो ऐलीगेशन माननीय राजनारायण ने लगाया है, वह कहां तक सही है?

श्री जयराम वर्मा---विषय के बारे में नहीं है, लाउड स्पीकर के बारे में है कि बगैर परमीशन के उसका प्रयोग नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) आपने सुन लिया, अब आप सोच लें कि क्या तरीका हो सकता है। नियम ५२ के प्रस्ताव की तरह प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता किन्तु मैंने विषय परिस्थिति में वह सूचना एकत्रित करायी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं दूसरी बात कहना चाहता था। मैंने आपको एग्जिक्यूटिव आफिसर के आर्डर को दिखा दिया था और आपने देखा कि आपकी जानकारी में माननीय मंत्री जी गलत बोल रहे हैं, अब आप निर्णय कीजिये कि कौन-सा तरीका हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री जयराम वर्मा से)---आप बाई-लाज की एक कापी जो सरकार ने मंजूर की है, वह सर्टिफाइड कापी माननीय राजनारायण को भेज दीजिये।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९, २८ अगस्त, १९५९ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति का प्रतिवेदन २७ नवम्बर, १९५९ तक उपस्थित होना चाहिए था; परन्तु चूंकि समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी, अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि २१ दिसम्बर, १९५९ को ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ायी गयी। इस अवधि में भी कार्य सम्पूर्ण होने की आशा नहीं है। अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ३१ जुलाई, १९६० तक बढ़ा दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह विधेयक २८ अगस्त को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था और इस बीच में संयुक्त प्रवर समिति ने ११ दिन तक इसके ऊपर विचार किया और जब पिछली बार २१ दिसम्बर को मैंने इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त की थी तब भी मैंने सदन के सामने यह कहा था कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न समिति के सामने थे उनके ऊपर समिति बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही थी और समिति का यह इरादा था कि यह ऐसा बिल बने जिससे जो जिला परिषद् बन रही हैं वह सुचारु रूप से काम कर सकें और उनको बार-बार तरमीम करने की जरूरत न पड़े, इस वजह से समिति ने समय मांगा था कि इसकी धाराओं पर पूरी तरह विचार करके एक अच्छी शक्ल में अपनी रिपोर्ट दे सके।

उसके बाद समिति ने इस पर विचार किया, लेकिन इस बीच में जैसा कि माननीय सदस्य इस सदन के जानते हैं और सदन में जिक्र आ चुका है कि सरकार इस बारे में सोच रही है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी के जो सुझाव हैं उनके आधार पर और जो सारे देश में जिला परिषदों का एक स्वरूप होना चाहिए उसके अनुसार, हमारे प्रदेश में ये बनायी जायं और उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन ने एक पत्र जो इस समिति के चेयरमैन हैं, उनको लिखा था। उसमें इस बात की दरख्वास्त की गयी कि जब तक सरकार इस बारे में निश्चित न कर ले कि किस प्रकार का स्वरूप हो तब तक समिति इस बारे में विचार न करे। अगर आज्ञा हो तो उसे पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष---अवश्य पढ़ दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरसेन—उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र सभापति, संयुक्त प्रवर समिति (जिला परिषद् बिल) को ऐड्रेस किया गया है, श्री विचित्रनारायण शर्मा, स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से। इसमें लिखा है:

"सम्भवतः आप को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, के सम्बन्ध में, जिस के द्वारा जिला स्तर पर शासन के विकेन्द्रीयकरण हेतु जिला परिषदें बनाने की प्रस्तावना है, कुछ लोगों की यह राय है कि बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जैसा कि कुछ अन्य प्रदेशों में किया गया है, जिला स्तर की अपेक्षा ब्लाक स्तर पर संगठित समिति को अधिक अधिकार दिये जायं। शासन द्वारा इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और यदि अन्ततः उक्त राय के पक्ष में निर्णय हुआ तो जिला परिषद् विधेयक में काफी महत्वपूर्ण और विस्तृत परिवर्तन करने पड़ेंगे या उसके स्थान पर एक दूसरा विधेयक लाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मुझे आपसे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि अच्छा होगा यदि इस सम्बन्ध में शासकीय निर्णय होने तक संयुक्त प्रवर समिति की बैठक न बुलायी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस पत्र के बाद समिति ने यह समझा कि दो तरीके से इसके ऊपर ऐक्शन लिया जा सकता है, दो आल्टरनेटिव्ज हो सकते हैं--एक तो यह कि सरकार इस विधेयक को सदन से वापस ले ले और दूसरे यह कि संयुक्त प्रवर समिति में वह ऐसे संशोधन पेश कर दे और समिति ही उन पर विचार करके बिल में तरमीम कर दे। लेकिन दूसरी हालत में प्रवर समिति के लिए सिर्फ यही रास्ता था कि वह तब तक इन्तजार करे जब तक कि वह संशोधन समिति के सामने न आ जायं, सरकार की तरफ से। अगर इसी रास्ते पर चलना है तो संयुक्त प्रवर समिति के लिए जरूरी है कि तब तक वह इन्तजार करे और सदन से दरख्वास्त करे कि वह उस की अवधि को बढ़ा दे। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि मैं सदन से दरख्वास्त करूं कि जब तक सरकार इस बारे में निश्चय करे तब तक समिति को कार्य करने की अवधि बढ़ा दी जाय और जैसा कि मैंने प्रस्ताव में ३१ जुलाई तक के लिए कहा है, तब तक इस समिति की अवधि बढ़ा दी जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, अनेक महत्वपूर्ण कारणों से जनहित में और जनतन्त्र के हित में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव का इतिहास इस सरकार का बहुत कालिमापूर्ण रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव पिछली मर्तबा सन् १९४८ में हुआ था। उन चुनावों को हुये आज १२ वर्ष हो चुके हैं और राम राम कर के कुछ वर्ष पहले सरकार ने चुनाव न करा कर अन्तरिम जिला परिषद् नाम की एक व्यवस्था की। उसका परिणाम यह हुआ कि अन्तरिम जिला परिषद् जिला बोर्डों से अधिक प्रतिक्रियावादी हो गये, उसमें पार्टीकरण भी रहा और नौकरशाही पहले से ज्यादा हो गयी। अन्तरिम जिला परिषदों की आज हालत यह है, मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं कि उसकी एक बैठक में शामिल होने के बाद और उसकी दशा को देखकर मैं ने उस में जाना छोड़ दिया है क्योंकि मैं उसमें जाना अपने समय को नष्ट करना समझता हूं क्योंकि वहां पर कोई भी काम जनतन्त्र के आधार पर या जनहित में नहीं होता, सब अधिकार पार्टी विशेष और अधिकारियों को दे दिये गये हैं। तो इस तरह से अब भी सरकार चुनावों को टालना चाहती है। और बलवन्त राय मेहता कमेटी की जो बात कही जाती है, वह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण इसका विरोध किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक भाषण में कह चुका हूं कि आज योजनाओं के आधार पर प्रादेशिक सरकार जो कि आटोनामस बाडी कही जाती हैं उसकी हालत डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों से भी बदतर हो गयी है। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

की ग्रान्ट के आधार पर प्रादेशिक सरकारें अपने हाथ में रखती हैं उसी तरह से योजनाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकारों को अपना गुलाम बना लिया है। बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट अन्तरिम जिला परिषद् बनने से पहले आ चुकी थी। उस समय प्रादेशिक सरकार ने उसके अनुसार काम करना उचित नहीं समझा लेकिन अब जब अनुशासन का डंडा आया और उस सरकार को मजबूर किया गया तब यह सरकार अपने पुराने निर्णयों को काट रही है, और वह इसलिए क्योंकि इस सरकार की स्वाधीनता नहीं रह गयी है, इसको विवश होकर काम करना पड़ता है। तो सरकार अगर इस विधेयक को वापिस लेना चाहे तो ले ले क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, जनमत के सामने उसको करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रस्ताव को बिना विरोध हुये पास होना दूसरी बात होगी। फिर प्रश्न यह होगा कि संयुक्त प्रवर समिति पुरानी ही क्यों रहे। यह भी हो सकता है कि सरकार विधेयक पेश करे और उस पर जनरल डिस्कशन हो और फिर दूसरी संयुक्त प्रवर समिति बनायी जाय, यह बात समझ में आती है। पुरानी समिति को ही अवधि बढ़ायी जाय, यह बात अनुचित है। इसके अलावा मैं कह देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में बलवन्त राय कमेटी के बारे में एक आपत्ति की है। जहां तक मेरी सूचना है संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ अच्छी बातें भी रखी हैं और बलवन्त राय मेहता कमेटी ने जो यह सुझाव दिया है कि विकास खंडों के हाथ में अधिक अधिकार रखे जायं, उससे वे सुझाव अधिक अच्छे होंगे।

श्री उपाध्यक्ष----प्रवर समिति के क्या सुझाव हैं, आप इसका जिक्र न करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं यह कह सकता हूं कि बलवन्तराय कमेटी की सिफारशों को मानने के माने यह होंगे कि अधिकारीतंत्र बराबर जारी रहे। जैसा कि हम ने महानगरपालिका के चुनावों में देखा है, वहां भी नौकरशाही का राज्य रहेगा और विकेन्द्रीकरण न होकर केन्द्रीकरण हो जायगा। मुझे आशा है कि सदन के सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जिला बोर्डों में अधिकारीकरण न रहें और जन प्रतिनिधियों के हाथ में अधिकार रहें। जो विभागीय अधिकारी इसमें काम करें वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन रहें। अगर विकास खंडों के अधीन यह काम कर दिया जायगा तो अधिकारीकरण हो जायगा। इन सब कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसको वापस ले लेगी। जैसा कि सरकार का विचार है कि वह आपस में बातचीत करना चाहती है तो बातचीत करके विधेयक को वापस ले ले और जो उस बातचीत में निर्णय हो उसको कार्यान्वित करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)----श्रीमन्, मेरी एक व्यवस्था है। इस प्रस्ताव को पेश करके एक विवाद को छोड़ दिया गया है। इस पर सभी लोग कुछ न कुछ कहना चाहेंगे और मेरी भी इच्छा है। अगर इस विवाद को आगे बढ़ाया जायगा तो चिकित्सा और जनस्वास्थ्य का जो अनुदान है उस पर पूरी तरह से हम बहस नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस को ५ बजे के बाद रख दिया जाय और इस के लिए निश्चित समय कर दिया जाय, क्योंकि इस पर सभी सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---इस में मुख्य प्रश्न यह है कि प्रवर समिति का समय बढ़ाया जाय अथवा नहीं। पालीवाल जी ने मूलभूत बातों को तो कह ही दिया है और समय बढ़ाने के प्रस्ताव में भी आम तौर से १५--२० मिनट लग ही जाते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि एक-एक पार्टी के प्रतिनिधि स्वरूप एक-एक माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहें, कह दें और उसके बाद सदन-निर्णय ले लें। इसके पहले यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी या स्वशासन मन्त्री जी बीच में बोलना चाहें तो कर लें ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय, मैं उनको बोलने की इजाजत दे सकता हूं।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी के भाषण को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बलवन्तराय मेहता कमेटी के नाम से कसम नहीं खायी है। इस सदन में दो बार यह सवाल आ चुका है। एक बार जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में और फिर एक दिन उस पर प्रश्न हुआ था। उस प्रश्न के उत्तर में माननीय स्वशासन मन्त्री ने मेरा हवाला भी दिया। मैंने उसको स्पष्ट कर दिया था। मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमन जो बिल बनाया है वह प्रवर समिति के पास गया हुआ है जिसके अनुसार ही जिला परिषदों के हाथ में अधिक अधिकार दिये जायंगे। जनरल डिसकशन में और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के डिसकशन में कई माननीय सदस्यों ने यह खयाल प्रकट किया और इधर के ही नहीं, सामने बैठे हुये कई माननीय सदस्यों ने यह खयाल प्रकट किया कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाना है तो जो ब्लाक्स हैं उनको भी अधिकार देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह खयाल है, अब मेरे दिल में कोई जिद नहीं है। हमने बिल बनाया और उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया, लेकिन अगर सदन के अधिकांश सदस्य इस बात को मानते हैं कि ब्लाक्स के हाथ में अधिकार होना चाहिए तो इस पर विचार करना ठीक है। इस पर सोचा जाय और अगर अधिकांश लोगों को यह पसन्द है तो मुझे कोई आग्रह नहीं है कि मैं कहूं कि एक बिल बन गया है, इसलिए उसे पास करना ही है। उसकी बहस नहीं है।

शायद पालीवाल जी भूल गये, मेरी उनसे इस सम्बन्ध में बातचीत हुई और मैं उन को याद दिलाता हूं कि मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि इसके होने के पहले एक दिन जितने भी सामने दल बैठे हुये हैं उन सब के नेताओं की आपस में बात हो जाय। उसके लिए इधर के कई लोग मौजूद नहीं थ। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह तय किया है कि ३१ मार्च को या पहली अप्रैल को सब लोगों को बुला लिया जाय और आपस में बातचीत करके देखा जाय कि अधिकांश लोगों की क्या राय है और उसी के अनुसार काम किया जाय। मैं यह भी याद दिला दूं कि मैंने उस दिन कहा था कि जब तक नया बिल न बने तब तक जो भी शासन का प्रबन्ध हम करें, करना होगा। अगर मौजूदा शासन में आप परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके लिए दूसरा बिल लाना पसन्द करते हैं तो उस में कोई बहस की बात नहीं है, जो तरीका आप पसन्द करें, मुझे कोई जिद् नहीं है। लेकिन यहां तो सवाल यह है कि जो मौजूदा प्रवर समिति है उसको जिन्दगी को ३१ मार्च के बाद बढ़ा दिया जाय। आज २४ तारीख है जिसमें कुछ बजट का काम होना है, कल भी बजट का ही काम होना है, फिर ५ दिन की छुट्टी है और ३१ मार्च को इस प्रवर समिति की मियाद खतम हो रही है तो फिर आगे क्या होगा, अगर आप इजाजत नहीं देते हैं कि प्रवर समिति की जिन्दगी कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दी जाय। इस बीच में आप तय कर लें कि क्या नयी व्यवस्था की जाय ? जाहिर है कि जब प्रवर समिति पुरानी है और आप अन्तरिम जिला परिषद् से ब्लाक कमेटी को अधिकार देने की बात रखेंगे तो आमूल परिवर्तन होने की दशा में पुरानी समिति नहीं रहेगी। उसकी जगह पर नयी प्रवर समिति बनेगी और मौजूदा बिल को विदड्रा करना होगा। तो यह सोचने की बात है कि प्रवर समिति की जिन्दगी कुछ समय के लिए और बढ़ा दी जाय और ३१ मार्च को आप मिलने पर कोई नयी व्यवस्था सोचें तो उचित होगा। लेकिन इसके मेरिट पर बहस करना गलत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरी बातों से यद्यपि माननीय मुख्य मन्त्री जी को आश्चर्य हुआ लेकिन मैं समझता हूं कि जो चीज मैं चाहता था उसे मैंने हासिल कर लिया। मैं यह चाहता था कि प्रस्तावक महोदय ने जो बात कही, वहां बलवन्त राय कमेटी की बात कही, तो मुझे यह देखना था कि सरकार का रुख उसके बारे में क्या है। मैं यह भी चाहता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से मेरी जो आपस में निजी बातचीत हुई उसको वे सदन के सामने दोहराते हैं या नहीं जिससे सदन को जानकारी हो जाय कि स्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

क्या है, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। मेरी बातों से जो उनको आश्चर्य हुआ उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, अभी जो कठिनाई माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बतलायी उसको समझ कर मैं ऐप्रिशियेट करता हूं। एक बात यह है कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने जहां ३१ मार्च तक अवधि बढ़ाने की चर्चा की है वहां यह नहीं बतलाया है कि उसके बाद कितनी अवधि वे और चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---३१ जुलाई लिखा है।

श्री गेंदासिंह-----यह ३१ जुलाई जो है मैं समझता हूं कि यह एक बहुत लम्बी अवधि है और ३१ तारीख को अगर बातचीत हो सकती तो उस के बाद तुरन्त ऐसा हो सकता है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट आये। आज मैं इन बातों को कहते हुये जरा सी बात और कहूंगा और और उसके मेरिट पर मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रवर समिति ने कुछ ऐसे संशोधन किये हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, जो कम से कम इस सरकारी पक्ष को नापसन्द हैं और हमें इस बात का डर है कि वह इसको एक ऐसी अवस्था में छोड़ देंगे कि कुछ न हो, यह चुनाव ४८ से ५२ में होने चाहिए थे, लेकिन ५२ से ६० तक कोई राय कायम नहीं हुई। अब ऐसी भी कम उम्मीद है कि दस बीस दिन या एक महीने में कोई राय कायम हो जायगी, ऐसा हम नहीं समझते। बलवन्त राय मेहता कमेटी की क्या बात है, वह रिपोर्ट तो इस बिल के आने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। अगर मन्त्री जी को कुछ उसी कमेटी से लेना था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वह चीज पहले भी आ सकती थी। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि आप गौर करें कि प्रशासन मन्त्री जी को इस प्रकार का पत्र प्रवर समिति को लिखना क्या उचित है? मैं समझता हूं कि स्वशासन मन्त्री जी बेहतर होता कि आपको इस प्रकार का पत्र लिखते, बहैसियत चेयरमैन सेलेक्ट कमेटी नहीं, बल्कि बहैसियत अध्यक्ष के और उसमें अपनी दिक्कतें वह बताते। उन्हें इस औचित्य का भी ध्यान रखना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इन तमाम कारणों से यह जिला बोर्डों के चुनाव इतने पुराने पड़ गये हैं कि अब देर करना उचित नहीं है। मैं भी दो तीन मीटिंगों के बाद नहीं जाता, मुझे तो चेतावनी मिली है कि मेरा तो उन मीटिंगों में आचरण बिगड़ गया है कि आगे से खबरदार आचरण ठीक करो...

श्री उपाध्यक्ष-----आचरण से अंग्रेजी शब्द "कानडक्ट" का आशय होगा।

श्री गेंदासिंह-----मेरा आचरण खराब हो गया, इसीलिए मुझे चेतावनी मिली, इसलिए मैं समझता हूं कि अब ऐसा आचरण रखकर जाऊं कि मेरी खबर न ली जाय। इसलिए मैं समझता हूं कि इन जिला परिषदों को ज्यादा दिन तक किसी व्यवस्था से निष्क्रिय न रखा जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव आया है मैं इसका विरोध करता हूं और मेरे विरोध के कई कारण हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---आप, ३१ मार्च के बाद समय न बढ़ाया जाय, इस पर ही सीमित रहें।

श्री राजनारायण---अच्छा है आपने सहारा दे दिया, मुझे वह तारीख याद है, उस समय मैं कानपुर जेल में बन्द था, सन् ५७ के मई आन्दोलन के सम्बन्ध में। मेरे पास वहां माननीय मुख्यमन्त्री जी की ओर से भेजा गया एक आमन्त्रण पत्र गया, उसके सम्बन्ध में माननीय राम-स्वरूप जी मुझसे जेल में मिलने गये। वह पत्र इस प्रकार का था जैसा कि आज यह प्रस्ताव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसमें लिखा था कि २६ नवम्बर को हमारे बंगले पर तमाम विरोधी दलों के नेता एकत्रित हो जायं और इन जिला बोर्डों की क्या व्यवस्था हो, इस सम्बन्ध में हम कुछ विचार विनिमय करना चाहते हैं। उसके बाद २४ मई को मैं छूटा और यहां आया और मैंने एक लम्बा पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि यह-यह बातें हम चाहते हैं और उसमें कहा कि इस आधार पर आप व्यवस्था कर दीजिये, यही बातें मैंने सदन में भी कही हैं उन्हीं के आधार पर आप कर दें, मुझे आपके निवास-स्थान पर आकर आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें कि सरकार एक समस्या पैदा करती है, जिस समय उलझन में फंसती है तो हमसे कहती है हमारा मार्ग-दर्शन करो। तो हम तब भी मार्ग-दर्शन देने को तैयार हैं। लेकिन यह कौन सी मर्यादा है? क्या यह जनतांत्रिक है, जनतांत्रिक प्रणालीजन्य मर्यादा है? नहीं, यह तानाशाही मनोवृत्ति की द्योतक है। अब की बार भी हमारे मन में इच्छा हुई थी जो ११ तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने यहां कमरे में मीटिंग बुलायी थी उस में जायं। शायद ४, ६, आदमियों के बीच में मुख्य मन्त्री जी से बातचीत की जाय तो वह ज्यादा सुनें। मगर १० तारीख की शाम को एक दूसरा पत्र प्राप्त होता है, पहले पत्र में लिखा था कि ११ तारीख को मुख्य मन्त्री चाहते हैं अपने विधान सचिवालय के कमरे में तमाम विरोधी दलों के नेताओं से बात करना इस सम्बन्ध में कि जिला परिषद् की क्या व्यवस्था हो और जो उलझनें सामने आ रही हैं, उन्हें कैसे हल किया जाय। सोचता था कि सारी बातें उनके सामने रखी जायंगी। मगर १० तारीख की शाम को एक दूसरा पत्र मिलता है कि ११ तारीख की बैठक स्थगित की जा रही है क्योंकि उस दिन सम्भव है कि बहुत से विरोधी दलों के सदस्य यहां उपस्थित न रह सकें, इसलिए १ अप्रैल को मीटिंग होगी।

श्री उपाध्यक्ष---डेट के बारे में आपको कोई एतराज नहीं है।

श्री राजनारायण---सरकार जिस तरह की है उसी तरह की तारीख भी निश्चित की है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोगों की इस विषय पर सम्मति जाननी थी तो क्या यह बैठक पहले नहीं बुलायी जा सकती थी, कल, परसों नहीं बुलायी जा सकती थी, ३१ मार्च के पूर्व नहीं बुलायी जा सकती थी और जब ३१ मार्च को सदन की बैठक होने जा रही है तो उस दिन यह प्रस्ताव नहीं आ सकता था? कहने का मतलब यह है मुझे मालूम नहीं किस तरह की परिस्थिति में सरकार अपने दिमाग को बनाती रहती है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है करीब ८० हजार रुपया संयुक्त प्रवर समिति की बैठकों में खर्च हो चुका है और आगे संयुक्त प्रवर समिति बने या प्रवर समिति बने इस पर भी बड़ा विवाद है, मगर उस पर भी तो खर्चा होगा ही। क्या यह सब जनहित में हो रहा है? इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए भी मैं इसका विरोधी हूं। यह प्रस्ताव आ रहा है, इसमें प्रस्तावक महोदय ने लिखा है कि कै बार इस सदन में प्रस्ताव लाया गया, एक बार, दो बार और अब तीसरी बार आ रहा है। एक चुनाव हो गया जिला परिषद् के द्वारा जो कि पूर्वांखंड है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। कम से कम हर जिला परिषद् में १/३ सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी संक्षेप में कहिये।

श्री राजनारायण---आप स्वतः जानते हैं कि मैं अपने को चेक कर रहा हूं अन्यथा अब तक तो कहां से कहां पहुंच जाता।

तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी आदत है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को माननीय पालीवाल जी की बातों से आश्चर्य हुआ, लेकिन उस से माननीय पालीवाल जी को प्रसन्नता भी हो गयी कि उन्होंने सदन में उनसे अकेले में हुई बातचीत को कहला दिया। मगर घोषणा क्या हुई? मुख्य मन्त्री जी ने सिर्फ शब्दावली का जाल रचा। आज सदन में कौन सी निश्चित घोषणा की? इस समय सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे सेलेक्ट कमेटी के बाहर की बात हो, दो विचार चल रहे हैं। एक विचार यह कि जिला परिषद् का चुनाव डायरेक्ट तरीके से हो या जिला परिषद् का चुनाव सीधे-सीधे न हो...

श्री उपाध्यक्ष---आप तो अब मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---मैं इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव किसी तरह नहीं टाला जाना चाहिए। मान लिया जाय मैं इस मत का हूं कि और निश्चित हूं जिला परिषद् का चुनाव जनता से सीधे हो। तो क्या अगर जिला परिषद् का चुनाव डायरेक्ट हो जायगा तो कोई यह विरोध खड़ा होगा कि ब्लाक लेविल पर डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा कमेटी का। ब्लाक लेविल पर डायरेक्ट चुनाव हो सकता है, उसमें दूसरे लोग जा सकते हैं; जिले के स्तर पर डायरेक्ट चुनाव हो सकता है और उस में दूसरे लोग जा सकते हैं। दोनों के कार्यों का बंटन हो जायगा। जिला परिषद् जिले के स्तर पर कौन सा कार्य करे और ब्लाक ब्लाक लेविल पर कौन सा कार्य करे, इससे चुनाव प्रणाली में कोई दोष नहीं दिखायी देता जिसके लिए माननीय मन्त्री जी ज्यादा समय चाहते हों। मैंने उस विधेयक को पढ़ा है जो संयुक्त प्रवर समिति में गया था..

श्री उपाध्यक्ष---उस विधेयक के बारे में मत कहिये। थोड़ा संक्षेप में कहिये।

श्री राजनारायण---मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन आपके द्वारा बार-बार टोकने पर समय लग जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---देखता हूं कि कितनी जल्दी आप खत्म कर देते हैं।

श्री राजनारायण---बीच में आप टोकते हैं तो क्रम टूट जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---क्रम टूट जाता है तब तो यह हाल है, अगर न टूटे तो क्या होगा ?

श्री राजनारायण---कहा गया कि ३१ मार्च की तारीख आगे को बढ़ा दी जाय। सरकार डायरेक्ट चुनाव प्रणाली को मान ले। जिला परिषद् का चुनाव डायरेक्ट चुनाव पद्धति से कराये। बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट का हौवा खड़ा किया जा रहा है। इसमें क्या कोई ऐसी चीज आयेगी जिस की कल्पना नहीं की जा सकती ? ऐसी बात नहीं है। बलवन्त राय मेहता कमेटी से अच्छे सुझाव पेश किये गये हैं इस सदन में, उन पर विचार किया जाय। दो दिन और बैठ कर सभी चीजें अन्तिम स्वरूप में आ जातीं और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के दिमाग में उलझन नहीं है और सरकार सीधा चुनाव करा कर कार्य को प्रगति में लाना चाहती है तो इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता नहीं है। वह डायरेक्ट चुनाव को मान ले जिले के स्तर पर और ब्लाक के स्तर पर। कार्य का बंटन हो ही जायगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ताकि धन का दुरुपयोग न हो। जिला परिषद् में १/३ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेते हैं। अभी पूर्वांखंड में जो विधान परिषद् का चुनाव हुआ था उसमें भी वे हिस्सा ले चुके हैं और आग भी लेंगे। तो यह गैर-जनतांत्रिक प्रणाली चल रही है। इसको खत्म होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम इस विधेयक को अन्तरिम जिला परिषद् संयुक्त प्रवर समिति द्वारा विचार करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि १२ वर्ष की आजादी के बाद भी जिला स्तर पर प्रशासन का क्या ढंग हो, उसकी क्या रूपरेखा हो, उसका फैसला आज तक नहीं हो सका। यह मुख्य मन्त्री की विद्वता को, उनकी सरकार की सामूहिक समझदारी को, शासन पार्टी की पूरी बुद्धिमत्ता को एक चुनौती है। १२ वर्ष के बाद अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर, शासन का ढांचा एवं प्रकार सब तय हो जाने के बाद बीच की एक जिला स्तर की कड़ी कैसी होगी यह तै नहीं हो सका, यह बड़े शर्म की बात है। यह गम्भीर विषय है, इस पर सरकार को उसी रूप में सोचना चाहिए। वही ढुलमुलपना, वही असमंजस्यता, वही अनिश्चितता जो पहले थी आज भी है कि चुनाव डायरेक्ट हो या इन्डायरेक्ट हो, सरकारी अधिकारी

उस के मेम्बर रहें या न रहें, उनको वोट का अधिकार हो या न हो, विधायक और एम० पीज० उस के मेम्बर हों न या हों, जिन प्रश्नों पर पहले विचार हो चुका था उन्हीं पर आज भी विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के लाने के बजाय सरकार की ओर से यह प्रस्ताव आता कि वह सिलेक्ट कमेटी में पड़े बिल को वापस कर रहे हैं। उसकी झलक खुद मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य से हमको एक दिन इसी सदन में मिली थी और इसके वापस लिये जाने की सम्भावना की चर्चा बाहरी जगत तथा लाबीज में पहले से उठ न रही थी। तो मौजूदा प्रस्ताव से अच्छा होता कि बिल की वापसी का ही प्रस्ताव आया होता। इस तरह से चीज को असमंजस में रखना, जैसा आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि १२ वर्ष के बाद भी चुनाव नहीं हुये, यह सत्य है और कठोर सत्य है और उचित नहीं है। इससे अच्छा होता कि पुराने ऐक्ट के मुताबिक एक बार चुनाव हो गया होता। इन तमाम चीजों की बुनियाद पर मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस होना चाहिए और इसकी जगह यह बात आनी चाहिए हमारे सामने कि कब तक इसकी पूरी रूपरेखा के साथ चुनाव कराने की बात सरकार सोचती है।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---मान्यवर, जिला परिषद् के सवाल को लेकर महज विरोध पक्ष के सदस्यों में और आम जनता में यह धारणा बैठी हुई है कि सरकार किसी न किसी तरीके से जिला परिषदों के चुनाव टालने का कोई न कोई बहाना ढूंढ कर लाती है और इसी वजह से, चाहे वह कोई अच्छे इरादे से ही कोई प्रस्ताव लाये या किसी जरूरत से प्रेरित हो कर प्रस्ताव लाये, हर समय यही खयाल रहता है कि सरकार जिला परिषदों के चुनाव को टालना चाहती है। एक इन्स्टीट्यूशन जो आज से १२-१३ वर्ष पहले संगठित किया गया उसी को बार-बार पंच-अप करके किसी न किसी तरह सरकार चलाना चाहती है। या तो सरकार यह निश्चित कर ले कि जिला परिषदों को भंग करना है, अगर ऐसा करना है तो वह प्रस्ताव भी सदन के सामने स्पष्ट रूप से आना चाहिए। आज सब को इस बात का भय है कि अब अन्तरिम जिला परिषद् अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही के हाथों में सौंप दिये गये हैं और उन को किसी भी प्रकार से जिलाधीश या प्लानिंग अफसर को एन्लार्ज्ड बाडी बना कर अन्तरिम जिला परिषद् के रूप में संगठित किया गया है। यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह समझते हैं कि इस प्रस्ताव के लाने का आशय यह नहीं है कि जिला परिषदों के चुनाव को टालना चाहते हैं तो हम लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि थोड़ा बहुत हेर-फेर करके उस चीज को स्वीकार कर लिया जाय। लेकिन इस सरकार के ऊपर यह तो किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं होता कि वह जिला परिषदों का चुनाव पुराने ऐक्ट के मुताबिक या नया ऐक्ट, जो कभी भी इस सदन में पेश होने वाला नहीं है, उसके मुताबिक करायेगी। जिला परिषदों के चुनाव को किसी न किसी तरीके से स्थगित करने का जो बहाना ढूंढा जाता है उसके कारण हम समझते हैं कि यह सदन अपना नैतिक समर्थन इस प्रस्ताव को पास करके चुनाव को टालने को नहीं दे सकता। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूं।

*श्री वीरसेन---उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था तो मैं यह जानता था कि इसका विरोध अवश्य होगा। पिछली बार भी जब मैंने प्रस्ताव किया था तब भी सभी दलों के नेताओं ने उसका विरोध किया था। लेकिन इस बात को जानते हुये भी मैंने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करने के सिलसिले में कुछ मजबूरियां हैं। माननीय सदस्यों ने जिन्होंने विरोध किया उन मजबूरियों का खयाल नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जो बिल कमेटी को सुपुर्द किया गया था उसके ऊपर कमेटी ने अपना विचार पूरा कर लिया है और अब तो कमेटी के सामने सिर्फ इतनी बात है कि अन्तिम सीटिंग करके और उसके ऊपर हस्ताक्षर करके सदन में पेश कर दे। अगर समिति इस विषय में यह तय करे कि पेश कर दिया जाय तो आप समझते हैं कि इस मामले में प्रिंटिंग वगैरा में काफी खर्च

---

*वक्ताओं ने भाषणों का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरसेन]

हो जायगा। यह भी जाहिर है कि सरकार, एक हफ्ते में या जल्दी ही इस प्रश्न पर कोई फैसला नहीं ले सकती। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी जनता से ताल्लुक रखने वाला नहीं है बल्कि सारे प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला है और इसके ऊपर सारे प्रदेश का भविष्य निर्भर है। तो इन सब चीजों के ऊपर एक या दो दिन में विचार नहीं हो सकता।

माननीय राजनारायण जी ने शिकायत की कि समिति की बैठक करके जल्दी से जल्दी क्यों नहीं तय कर लिया गया। मैं समझता हूं कि इसके बारे में पहले से भी विचार हो जाता या माननीय नेताओं की मीटिंग हो जाती तब भी बिल का ड्राफ्ट बनाने में वक्त जरूर लगता। सिर्फ दो बातें हो सकती थीं। एक तो यह कि सरकार तय करती कि मौजूदा बिल में ही तरमीमें कर दी जायं और वह ऐसी हों जो नेताओं की राय हो। अगर इस प्रकार का सरकार निश्चय लेती तब तो यह कमेटी काम कर सकती थी। अगर सरकार यह निश्चय करती कि नया बिल पेश किया जाय तो फिर वही चीज होती जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा कि पुरानी समिति की क्या जरूरत है? नई समिति की जरूरत होती। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार इस समय फैसला नहीं कर सकती है। इसलिये जरूरी है कि प्रिंटिंग वगैरा का खर्चा रोकना चाहिये और इसके लिये समिति की अवधि ३१ जुलाई तक बढ़ा दी जाय। इससे कोई हानि सदन की नहीं होती है। जो फैसला सरकार करेगी वह सदन के सामने जायेगा और अगर सरकार निश्चय करती है कि इसको वापस कर लिया जाय तब भी यह सदन के हाथ में होगा कि उसको माने या न माने।

पालीवाल जी ने एक बात कही कि केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के अनुसार यह सरकार काम करती है। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान की बात सब जानते हैं कि कोई भी हमारे सदन को या सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। हर एक राज्य की अलग-अलग शक्ति है। हम किसी की सलाह मान लें यह बात दूसरी है। लेकिन यह कहना कि हम किसी की आज्ञा मानते हैं, मैं समझता हूं कि इसमें सरकार का अपमान है और सदन का भी अपमान है। मैं समझता हूं कि और कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका मैं उत्तर दूं। मैं सदन में दरख्वास्त करूंगा कि इन बातों का खयाल रखते हुये वह समिति की अवधि बढ़ाये और इस प्रस्ताव को पास करे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं अधिक समय न लेकर केवल आप का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहूंगा कि प्रश्न यह है कि समिति की अवधि ३१ जुलाई तक बढ़ाई जाय .....

श्री उपाध्यक्ष---भाषण देने की इजाजत नहीं हो सकती है, कोई सुझाव दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं सुझाव ही दे रहा हूं,। आप पूरा सुन लें तब आज्ञा दें। मेरा निवेदन यह है कि जिन सिद्धान्तों की बात कही गई उन से मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन जब यह दिखायी देता है कि पांच दिनों में समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर सकती है और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की उसका अर्थ यह लगता है कि वह मीटिंग तय करेगी कि जिला परिषदों का क्या स्वरूप होना चाहिये। दूसरा यह कि सभी पार्टियों से राय लेकर समिति तय करेगी कि यह विधेयक वापस लिया जाय या न लिया जाय। और यह मीटिंग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो जायगी। इसलिये मुख्य मन्त्री जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार रहते हुये जैसा कि मैं कह रहा हूं और इस बात को देखते हुये कि समिति काम नहीं कर सकती है। इसलिये मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि बजाय ३१ जुलाई के ३० अप्रैल, १९६० रखा जाय। मुझे आशा है कि सभी लोग मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। मुख्य मन्त्री जी, जो मैंने भाष्य किया उसको लेकर और इस बात को देखते हुये कि चुनाव इसी वर्ष कराने की उनकी इच्छा है, मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---हमारी शंका यह है जैसा कि नारायणदत्त जी ने अभी सुझाव दिया है ३० अप्रैल का और हमारी जानकारी है कि १७ अप्रैल को विधान परिषद् का चुनाव होगा।

श्री उपाध्यक्ष---१४ अप्रैल को होगा ।

श्री राजनारायण---और पहले आ गया। १४ अप्रैल को सरकारी कर्मचारी वोट देंगे और उसमें सरकार को क्या करना चाहिये, यह देखने की बात है। क्या सरकार इस बीच में कोई व्यवस्था कर चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, कानून को बदलने का मुझको अधिकार नहीं है। जिसको कानून में अधिकार होगा, वह होगा।

श्री उपाध्यक्ष---नारायणदत्त जी का जो सुझाव है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह मुझे स्वीकार है, अगर माननीय प्रस्तावक को स्वीकार हो।

श्री वीरसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि यह वक्त कम है। मान लीजिये कि ३१ जुलाई तक अवधि रहे और इस बीच में पास हो जाय, तो इस सदन को वापस लेने का कोई बन्धन नहीं है। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री ने स्वीकार कर लिया है, इस लिये मैं भी स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---तो ३० अप्रैल रख दिया जाय ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, २८ अगस्त, १९५९ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति का प्रतिवेदन २७ नवम्बर, १९५९ तक उपस्थित होना चाहिये था। परन्तु चूंकि समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकती, अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि २१ दिसम्बर, १९५९ को ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ायी गयी। इस अवधि में भी कार्य सम्पूर्ण होने की आशा नहीं है। अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ३० अप्रैल, १९६० तक बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री राजनारायण---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जब डिवीजन चल रहा है .....

श्री राजनारायण---डिवीजन के लिये ही मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि डिवीजन कैसे हो। आप हम पर हावी हो जाते हैं, हम कुछ कह नहीं पाते।

श्री उपाध्यक्ष---आपको इतने स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार करना चाहिये।

श्री राजनारायण---जो सत्य है उसको मैं स्वीकार क्यों न करूं ? यह मैं चाहता हूं कि यह सदन यह स्वीकार करे कि आप हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं करते। तो मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से सन् ५७ से लगातार इसमें तिथियां घटाई बढ़ाई जा रही हैं और माननीय मन्त्री जी की ओर से कुछ ऐसी परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---आप चाहते क्या हैं?

श्री राजनारायण---मैं चाहता हूं कि इसमें लाबी में भेजकर दस्तखत करवा लिया जाय कि कौन किस पक्ष में हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इस विषय को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता कि उसे लाबी में भेजने की आवश्यकता हो। इसलिये मैं इसको लाबी में नहीं भेजता और हाथ उठवा कर वोट लूंगा।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकार हुआ---

पक्ष में---१७४,

विपक्ष में---१४।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इधर १५ हैं, काउंटिग में गलती हुई है। सुधार करा लिया जाय। हम कोई एतराज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भूल हुई उसका सुधार करा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो वह हो गया। एक से क्या फर्क पड़ता है ? और आपने समय के अन्दर नहीं कहा और शायद एक ने हाथ न उठाया हो।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २१---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २२---लेखा शीर्षक ३९---जन-स्वास्थ्य

श्री उपाध्यक्ष---माननीय न्याय मन्त्री, अब आप दोनों अनुदान एक साथ पेश करें।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१-चिकित्सा-लेखा-शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत ५,०२,१६,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-जन-स्वास्थ्य---लेखा शीर्षक ३९-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३,०१,७५,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, कल भू-राजस्व और स्केयरसिटी के अनुदानों को पेश करने के सिलसिले में मैंने यह कह दिया था कि मैं समझता हूं कि मेरा इंतजाम बहुत अच्छा है। इससे हमारे मित्र बलिया जिले के जो हैं उनको बड़ा आघात पहुंचा और दिली चोट पहुंची।

श्री उपाध्यक्ष---आपने बलिया जिले को ही क्यों अपना मित्र समझा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बलिया की रिश्तेदारी कुछ ऐसी नाजुक है और क्योंकि उन्हीं को चोट पहुंची थी और दिल पर चोट पहुंची थी। आज कल दिल की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। तो आज मैं उसे दोहराऊंगा नहीं और ज्यादा मैं कोई बात नहीं कहूंगा। मुमकिन है कि उनको और ज्यादा आघात पहुंच जाय। दवा हमीं को करानी पड़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य कुछ इधर बैठते हैं और कुछ उधर भी बैठते हैं। ज्यादा बीमार उधर की तरफ के ही रहते हैं। वह लोग मुझसे कहा करते हैं कि आपके स्वास्थ्य विभाग का और चिकित्सा विभाग का इन्तजाम अच्छा है। तो उनकी बातें सुनकर मैं यह नहीं चाहता कि कुछ ज्यादा कहूं। आज वैसे ही १ १/४ घन्टा उस प्रस्ताव में खत्म हो गया। अब हमारे लिये ३।।। या ३।। घंटा बाकी है। इस कारण मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसा मैंने कल कहा था हम अपने मित्रों की बात सुनना चाहते हैं। अगर हमारे इन्तजाम में कुछ त्रुटियां हैं तो उनको सुझाएं और सुझावों को हमको बतलायें। अगर माकूल सुझाव होंगे तो उनको कबूल करने पर विचार किया जायगा और अगर माकूल नहीं होंगे तो फिर हमारे लिये मजबूरी होगी।

हम अगर समझेंगे कि ठीक सुझाव नहीं हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जायगा। लेकिन हम कभी ऐसा खयाल नहीं करते कि हमारे उधर के बैठने वाले सब गलत बातें ही कहते रहेंगे। ठीक बातें भी कहते हैं और उनकी बातों को हम पसन्द भी करते हैं। तो इतनी बात कहने के बाद मैं इस्तदुआ करूंगा कि सदन इस पर विचार करे और जिस सावधानी के साथ कल वायुमन्डल अच्छा रहा, हम समझते हैं, हाउस का आज भी वायुमण्डल अच्छा रहेगा। लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, हमने ही नहीं बल्कि सब लोगों ने कहा कि इस सदन में डिबेट का स्टैंडर्ड कल अच्छा था। हम आशा करते हैं कि वह डिबेट का स्टैंडर्ड आज भी कायम रखेंगे और इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कट तः के प्रस्ताव के लिये, चूंकि समय कम हो गया है, १५ मिनट और माननीय सदस्यों के भाषण के लिये ७ मिनट और विशेष परिस्थिति में एक दो मिनट और भी दिया जा सकता है। यह व्यवस्था, मैं समझता हूं, ठीक रहेगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)––श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २१–चिकित्सा– लेखा शीर्षक ३८ तथा अनुदान संख्या २२––जन-स्वास्थ्य लेखा––शीर्षक ३९ में एक-एक रुपये के कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

जहां तक इस कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है प्रारम्भ में ही मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि अभी स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने इस अनुदान को प्रस्तुत करते हुये कहा कि उधर के लोग बीमार पड़ते हैं और बीमारी की हालत में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, उसकी हमसे चर्चा करते हैं। तो केवल इधर के लोगों की बीमारी की अवस्था में नहीं बल्कि उधर के बड़े-बड़े लोगों के बीमार होने पर मन्त्री तक के बीमार होने पर, हमारे चिकित्सकों ने और चिकित्सालय में काम करने वालों ने उनके साथ कितनी सतर्कता के साथ काम किया है इसे मैंने स्वयं देखा है लेकिन इसके साथ ही यदि हम ऐसा मान लें कि इस विभाग के उस प्रमुख लक्ष्य में हमने प्राप्त कर लिया है तो शायद यह आत्मश्लाघा होगी और सत्य को छिपाना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि राजा को कभी भी ऐसा सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये .....

श्री उपाध्यक्ष––माननीय सदस्य कृपया अपना दूसरा कटौती का प्रस्ताव भी पेश कर दें।

श्री रामायणराय––मैंने दोनों कटौतियों को एक साथ पेश कर दिया है। अनुदान २१ और २२ दोनों पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रख दिया है।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

श्री रामायणराय––मैं ऐसा समझता हूं कि इस विभाग का लक्ष्य हमारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य नहीं है। काफी प्राचीन काल से ऐसा कहा जाता है कि किसी भी समाज के स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य यह होना चाहिये कि उस समाज में कोई भी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित न हो। उपनिषदों का जो सबसे बड़ा आदर्श है वह है 'सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराभया। इसकी तरफ हम कहां तक गये है। इधर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें कुछ कमियां दिखायी देती हैं और उनकी ओर मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे काफी उदारतापूर्वक हमारे सुझावों को सुनते हैं और मैं समझता हूं कि वे उन पर अवश्य विचार करेंगे।

सबसे पहली बात जिससे मुझे हैरानी होती है, यह है कि हमारे सामने जो बजट का साहित्य है उसमें चिकित्सा के बजट में यह दिखाया गया है कि जो पिछले वर्ष हमारा इस विभाग का बजट था उसमें १७ लाख ७५ हजार रुपया खर्च नहीं हो सका। क्षय रोगियों के लिये जो धन

[श्री रामायणराय]

दिया गया था वह पूरा का पूरा खर्च नहीं किया जा सका। हम जो योजनायें चला रहे थे, उन योजनाओं को जितनी तीव्र गति से हमको ले जाना चाहिये था, उतनी तीव्र गति से हम नहीं ले गये और उसका परिणाम यह हुआ कि जो भी धन इस विभाग को मिला था वह खर्च नहीं हुआ। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारे राज्य में इस विभाग के बजट का जो अंश है वह बहुत ही थोड़ा है। बंगाल में पूरे बजट का साढ़े बारह प्रतिशत इस विभाग के बजट पर खर्च होता है, लेकिन हमारे यहां पूरा बजट १३३.२३ करोड़ का है और उसमें से महज ८ करोड़ रुपया हम इस विभाग पर खर्च करने जा रहे हैं और वह भी हम पूरा का पूरा साल भर में खर्च नहीं कर पाते। इससे मैं क्या ऐसा समझ लूं कि हमारे यहां लोग बीमार कम पड़े या इस विभाग की जितनी आवश्यकतायें थीं, वे पूरी हो गईं, इसलिये हमारा वह पैसा खर्च नहीं हुआ। यह कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी। माननीय मन्त्री जी भी इसको स्वीकार करेंगे कि आज गांव के चिकित्सालयों को जितना हमें अनुदान देना चाहिये, उनकी जो आवश्यकतायें हैं, उनपर जनसंख्या का जो भार है उसके अनुपात में हम उनको ग्रान्ट नहीं दे पाते। इस सिलसिले में एक आध बात की ओर मैं संकेत करना चाहता हूं।

गांव के चिकित्सालयों में आपने ४०, रुपये माहवार के रसोईये की व्यवस्था कर दी है, कहार की भी व्यवस्था कर दी है, लेकिन रोगियों के लिये जहां तक भोजन का प्रश्न है आपने पूरे वर्ष के लिये, पूरे अस्पताल के लिये ४०, ५० रुपये की रकम केवल रखी है। ऐसे ही बार-बार इस सदन में चर्चा होती है, कि क्या कारण है कि राज्य में हमारे जितने भी अस्पताल खुले हैं उनके लिये जितने डाक्टरों की आवश्यकता थी वह हमको नहीं मिल सके। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रश्न के साथ दो-तीन मोटी-मोटी बातें लगी हुई हैं। अगर उन बातों पर यह विभाग ध्यान दे तो हमारे राज्य में जो सबसे बड़ी आवश्यकता डाक्टरों की है वह पूरी हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि इन डाक्टरों को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है उन परिस्थितियों को हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सेवायें उनके द्वारा संपादित होती हैं उनके बदले में हम उन्हें क्या पुरस्कार देते हैं, उस पुरस्कार पर भी हमको विचार करना चाहिये और उन सेवाओं के लिये क्या साधन हमने उनको दे रखे हैं इसके लिये भी हमें सोचना चाहिये। आज बी० एस० सी० या आई० एस० सी० पास करने के बाद एक आदमी मेडिकल कालेज का विद्यार्थी बनता है। इन परिश्रम करने वाले विद्यार्थियों को ५ साल का कठिन परिश्रम करने के पश्चात् एम० बी० बी० एस० डिग्री मिलती है। ५ साल बाद वे उसे पास कर पाते हैं। उसके बाद उसको पी० एम० एस० (२) में लिया जाता है और उन्हें २०० रुपया वेतन मिलता है। दो सौ रुपये से उसका जीवन प्रारम्भ होता है। बरखिलाफ इसके जब वह मेडिकल कालेज में भरती होता है, पढ़ने के लिये जाता है, तो उसी दिन से उसके घरवाले यह समझते हैं कि हमारा बच्चा इतना प्रतिभाशाली है कि जिस दिन वह जीवन में प्रवेश करेगा उस दिन हमारे घर में सोने की वर्षा होगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो पी० एम० एस० (२) का ग्रेड है वह एबालिश होना चाहिये और मैं यह आशा करूंगा कि आज माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट घोषणा करें अपनी नीति को, क्योंकि कानून कोई अंधे की लाठी तो है नहीं। आज बी०ए० पास आदमी बी०डी०ओ० हो जाता है, हाई स्कूल पास आदमी बी० डी० ओ० हो जाता है। एक आदमी को इतनी तनख्वाह दी जाय और दूसरा जो इतनी तपस्या करने के बाद एम० बी० बी० एस० हो उसे इतनी कम तनख्वाह मिले यह गलत बात है। मैं यह कहूंगा कि वह आदमी जो इतना परिश्रम करने के बाद एम० बी० बी० एस० पास करता है वह हमारे समाज की सेवा करने के लिये आगे बढ़ता है, वह सारे समाज के कोढ़ को धोने का बीड़ा उठाता है, और अगर वह नाम मात्र का पैसा पाता है तो गलत ही है, यह उचित नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये जहां माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अधिक मेडिकल कालेज खोले जायंगे, वहां मैं उनसे यह भी कहूंगा कि डाक्टरों की जो कंडीशन आफ सर्विस है उसको भी सुधारा जाय। यह समस्या आसानी से सुलझाई जा सकती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि डाक्टरों के नीचे यह जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाय। यह दिखलाया गया है कि हमने नर्सेज को ट्रेनिंग के लिये जितना रुपया रखा था वह खर्च नहीं हो सका क्योंकि हमको जितनी आवश्यकता थी उतनी नर्सेज हमें नहीं मिलीं। ऐसा क्यों है? हमें इस पर भी विचार करना चाहिये। मैं मानता हूं कि पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने कुछ उदारता दिखलाई और उनकी तनख्वाहों में कुछ वृद्धि हुई। किन्तु वह नाम मात्र ही थी। वस्तुतः जो काम हम उनसे लेना चाहते हैं उसके मुकाबले में उनका पुरस्कार उनकी मर्यादा के लिये और उनकी सेवाओं के लिये समुचित नहीं है।

जहां तक औषधियों का प्रश्न है उसके संबंध में भी मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक अजीब बात हमें देखने को मिलती है। इस कटमोशन की तैयारी के सिलसिले में मैंने कुछ साहित्य इस विभाग से संबंधित देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि आज से कुछ वर्ष पूर्व लगभग ५० ऐसे लोग हमारे राज्य में थे जो औषधियों का निर्माण करते थे, किन्तु धीरे-धीरे वे काफी तादाद में बम्बई चले गये और अब करीब २० संस्थायें ऐसी हैं जो हमारे राज्य में औषधियां बनाती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि समाजवादी समाज की कल्पना करने वालों के लिये जहां भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक है वहां चिकित्सा की आवश्यकताओं को भी पूरा करना आवश्यक होता है। चिकित्सा और औषधियों के क्षेत्र में, खासकर औषधियों के क्षेत्र में, राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। आज बाजारों में असली दवाइयां मुश्किल से मिल पाती हैं। इसके कारण न जाने कितने लोगों के प्राण नहीं बच पाते हैं, क्योंकि उनको जाली दवाइयां मिलती हैं। तो मेरा यह प्रभावशाली सुझाव है कि राष्ट्रीयकरण इस संबंध में हो। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को सस्ती और अच्छी दवायें मिल सकें तो इस चीज को आप तुरन्त साहस के साथ अपने हाथ में लें। आज बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है इस क्षेत्र में। यह मैं मानता हूं कि हम विधायकों के लिये आपने जिला अस्पतालों में एम० एल० ए० स्टोर्स कायम कर रखे हैं। लेकिन उस पिपुल जन-समाज के लिये जिसके लिये हमने और आपने बीड़ा उठाया है कि हम उनकी सेवा करेंगे और जिनके आशीर्वाद से हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस अनुदान पर आज यहां विचार प्रगट करें उनकी ऐसी मांग है कि औषधि के क्षेत्र में जो ऐनार्की है हम उसको समाप्त करें और वह तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक उसके उत्पादन और वितरण का दायित्व सरकार अपने कंधों पर लेने के लिये तैयार न हो जाय। यह कोई कहे कि हमारे राज्य की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ी इसलिये वे चले गये तो आप जानते हैं कि हम ऐसे प्रदेश के रहने वाले हैं जहां प्रत्येक प्रकार की जलवायु उपलब्ध है और उनमें से बहुत सी औषधियों के लिये रा मैटिरियल भी मिलता है, पर्वतीय प्रदेश में जड़ी-बूटियां काफी भरी पड़ी हैं। मैंने अपने साथी प्रताप सिंह जी के साथ वहां जाकर देखा कि वहां बहुत सी वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां विद्यमान हैं जिनके सहारे से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यहां सीमावर्ती क्षेत्र की बहुत चर्चा होती है। क्यों नहीं सरकार ऐसा करती है कि दवाई के कारखाने उन स्थानों में स्थापित करे?

मान्यवर, आये दिन डाक्टरों के ट्रांसफर के सम्बन्ध में भी चर्चा सुनता रहता हूं। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब उनके ट्रांसफर की बात कही जाती है, इसलिये कि मैंने थोड़ा बहुत इस विद्या से अपना नाता रखा है, थोड़ा बहुत चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान मैंने भी हासिल किया है। मुझे मालूम है कि हमारे देश को छोड़ कर दूसरे देशों में फैमिली डाक्टर्स का इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहा है। वहां पर एक खास भू-भाग के निवासियों का सम्बन्ध एक विशेष डाक्टर से हुआ करता है। वह डाक्टर जानता है कि किस परिवार के अन्दर कौन सी कमियां हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि डाक्टरी विद्या कोई ज्योतिष है कि डाक्टर देखते ही समझ जायगा कि कौन सा रोग हुआ है, वह लोग तो कह सकते हैं कि डिप्टी कलक्टर की तरह उसको बदलते रहो। आज यहां, कल वहां, परसों पहाड़ पर भेज दो, लेकिन डाक्टरों के मामले में जो यह कानून बना कि

[श्री रामायणराय]

३ वर्ष में ट्रांसफर होना चाहिये, मुझे यह बेढंगा मालूम हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डाक्टर के ट्रांसफर के सम्बन्ध में जो शासन का दृष्टिकोण है वह बदलना चाहिये, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा काम होता है जिसके कारण उनका एक स्थान पर रहना जरूरी है । हां, अगर कोई अपराध करता है तो दूसरी बात है ।

मान्यवर, आज इन डाक्टरों के साथ एक और अजीब बात हो रही है, जिसकी जानकारी, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी को भी होगी । बड़ी हैरानी हुई मुझे जानकर कि बी०डी०ओज० के अन्डर में इन डाक्टरों को रखा गया है । एक बी० डी० ओ० ने जौनपुर में एक प्रेस कानफरेंस में बड़े गर्व से कहा कि मैं तो डाक्टर के भी ऊपर का अफसर हूं । जब यह सही है कि हाई स्कूल पास आदमी भी बी० डी० ओ० हो सकता है, तो उसके अन्डर आज डाक्टरों को करके आपने बहुत बड़ी भूल की है । बी० डी० ओ० जिस समय छुट्टी लेकर जाते हैं तो सैनिटरी इंसपेक्टर को वह चार्ज दे जाते हैं और तब वह सैनिटरी इंस्पेक्टर उस डाक्टर का कैरेक्टर रोल रखेगा । यह जो अव्यवस्था है इसको माननीय मंत्री जी दूर करने की कृपा करें । मेरा उनसे इसके लिये विशेष आग्रह है ।

एक सबसे बड़ी बात जिस पर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है चिकित्सा की नीति के प्रति । अभी आज से कुछ दिन पूर्व यह कहा गया और आपने भी अपने बजट भाषण में स्वयं कहा था कि सभी प्रकार की पद्धतियां एक साथ विकसित हों । मैं समझता हूं यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है । सम्भव है कि मेरे कथन के कुछ लोग गलत अर्थ लगायें, लेकिन मैंने देखा है कि आज अगर वैद्य भी बीमार पड़ते हैं तो वह एलोपैथिक की शरण में जाते हैं । लखनऊ के सबसे बड़े होमियोपैथिक डाक्टर को मैंने देखा कि वह यहां के एक उच्च एलोपैथिक चिकित्सालय की शरण में कई कई अर्से तक रहे । मैंने जब इस पर विचार किया तो मेरे सामने एक ही बात आई कि यह कोई अनोखी बात नहीं है, इंग्लैंड में अगर आप देखें या यूरोप के दूसरे देशों में देखें तो वहां पर चिकित्सक की डिग्री प्राप्त करने के लिये सबसे पहले एम० बी० बी० एस० का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है । इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह किसी एक विशेष क्षेत्र में कोई अनुसन्धान करना चाहते हों, एलोपैथिक मैडिसिन में, यूनानी मेडिसिन में या होम्यो-पैथिक मेडिसिन में करना चाहते हों तो उसको कर सकते हैं । आखिर एम० बी-बी० एस० है क्या ? वहां पर लोगों को एनाटामी, फिजियोलाजी, शरीर रचना बताई जाती है, औषधियों का ज्ञान कराया जाता है । कम से कम इतना ज्ञान तो हर डाक्टर के अन्दर होना चाहिये । लेकिन यहां पर तो लोग ६ महीने में सर्टिफिकेट लेकर डाक्टर बन बैठते हैं जिनको चिकित्सा करने का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह चिकित्सा करने लगते हैं । माननीय मुख्य मंत्री ने शायद एक कमेटी बनाकर नैनीताल में विचार विनिमय किया था लेकिन मेरी समझ में यह विचार विनिमय एकांगी था और वह इसलिये, क्योंकि उसमें केवल वही लोग बुलाये गये थे जो एक ही विधि के जानकार थे । वह सही सलाह क्या दे सकते थे ? वहां पर केवल आयुर्वेद के शास्त्री ही इकट्ठा किये गये थे । माननीय मुख्य मंत्री भी थे, लेकिन वहां पर ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिये था जो प्रत्येक प्रकार की विधि की जानकारी रखते थे । ऐसा नहीं किया गया । आज आवश्यकता इस बात की थी कि, जैसा कि मैंने सन् १९५७ में अपने प्रारम्भिक भाषण में निर्देश किया था, कि हमें सिन्थेसिस करने की कोशिश करनी चाहिये थी जिसका प्रयास कुछ पहले किया गया था, लेकिन आज वह प्रयास बिखर चला है । होमियोपैथी कहीं चली गई, आयुर्वेद कहीं चला गया । आज हमारे देश में प्रभावकारी औषधियों का निर्माण किया गया है । सिन्थेसिस का मतलब कभी जोड़ नहीं हुआ करता, इसका अर्थ है दो प्रकार की चीजों से एक सुपीरियर चीज बने ।

जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं । स्वास्थ्य विभाग कुछ काम कर रहा है, मलेरिया कन्ट्रोल कर रहा है और फाइलेरिया को

समाप्त कर रहा है लेकिन वह इस सम्बन्ध में कितना काम कर रहा है इसकी चर्चा करके मैं सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा । एक बात जो सर्वमान्य है जिसे मंत्री जो भी कबूल करेंगे उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । क्या यह विभाग इतने वर्षों में भी भोजन की वस्तुओं में जो मिलावट होती है उसको रोकने में समर्थ हो सका है ? मंत्री जी ने अपने विभाग के साहित्य में यह अवश्य लिखा है कि इतने लोग पकड़े गये, इतने लोगों पर मुकदमे चले लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ ? क्या आज भी प्रदेश की इस राजधानी में भी शुद्ध घी तथा खाद्य पदार्थ कहीं मिल सकता है ? नहीं मिल सकता है । तो मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इन प्रश्नों पर जो आज के सबसे बड़े प्रश्न हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उन पर गहराई से विचार होना चाहिये ।

मुझे और भी सुझाव देने हैं किन्तु समयाभाव से अन्त में मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं । मैं मंत्री जी को एक सुझाव दे रहा हूं जिससे उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुये भूभाग का संबंध है--पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां की जन-संख्या करीब डेढ़ करोड़ की होगी । उस पूरे प्रदेश के अन्दर एक भी मेडिकल कालेज नहीं है । जन-संख्या का घनत्व वहां पर इतना अधिक है, जिसके कारण पेट की बीमारियां, फाइलेरिया और न जाने क्या-क्या रोग पैदा हो गये हैं । मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं, और माननीय सदस्यों ने भी लिखकर मंत्रीजी से आग्रह किया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में मंत्री जी गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज जरूर खोलें क्योंकि वह भी स्वीकार करते हैं कि वहां पर चिकित्सा का अभाव है और इस अभाव की पूर्ति के लिये गोरखपुर का मेडिकल कालेज बहुत सहायक सिद्ध होगा । यह मेरा सबसे बड़ा आग्रह है ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय मंत्री जी ने जिस दिलचस्पी से काम लिया है और जिस तत्परता के साथ इस डिपार्टमेंट की शिकायतों को सुना है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । मैं तो डाक्टरों को और इस विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी बधाई के पात्र समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे इस गरीब देश के मरीजों के साथ इसी तरह से सहानुभूति के साथ काम करते रहेंगे जैसे वे कर रहे हैं । जितने और विभागों के कर्मचारी हैं उनके मुकाबले में मेडिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की कर्टसी, सद्भावना, कार्य-तत्परता और संलग्नता अद्वितीय है । माननीय मंत्री की कर्टसी की छाप उनके ऊपर लगी हुई है और ऐसा होना भी चाहिये । मैं यह भी देख रहा हूं कि इस देश में बड़े-बड़े रोग, जैसे कालरा और प्लेग, भयंकर रूप में अपना प्रकोप दिखाया करते थे, अब वह बात सुनने में नहीं आती है । इसके लिये भी मेडिकल डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है ।

जिस चीज की मैं कमी देखता हूं वह यह है कि यहां की जनता ८० फीसदी देहातों में रहती है । शहरों में केवल ८६ या ८७ लाख आदमी रहते हैं । जितने शफाखाने शहरों में खुल रहे हैं उनके हिसाब से देहात में खुलने वाले एक तालाब में एक बूंद के समान हैं । शहरों में तो मालदार आदमी रहते हैं । वहां के लोगों की आय प्रति व्यक्ति अधिक होती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि देहातों में अधिक शफाखाने खोले जावें ।

एक बात मुझे अपने इलाके के बारे में कहनी है । वह यह है कि मैं तहसील दातागंज में रहता हूं, जिसकी आबादी लगभग ३ लाख है । उस आबादी के लिये केवल ३ शफाखाने हैं । उनमें से दो कस्बे में हैं और एक गांव में है । गांव के शफाखाने में, जो १०, १२ साल से खुला है, कुल टोटल मिलाकर शायद हो २ वर्ष से ज्यादा वहां डाक्टर रहा हो । अब ८ महीने से वहां डाक्टर नहीं है । आजकल चूंकि औरतों ने घरेलू काम करना, चक्की पीसना बन्द कर दिया है, इसलिये वे बीमार अधिक रहने लगी हैं । मेरे क्षेत्र में उनके लिये भी कम से कम एक अस्पताल होना चाहिये ।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

दूसरी बात यह है कि गांवों में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते चूंकि सुख के साधन वहां उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये कुछ डाक्टर इस तरह से पढ़ाये जावें कि उनसे मुआहिदा करा लिया जावे कि उन्हें गांव में कम से कम ३ या ४ वर्ष नौकरी करनी होगी। इस किस्म के भी कुछ डाक्टर पढ़ाये जावें कि २, ३ वर्ष पढ़ने के बाद वे गांवों में काम कर सकें। यदि ऐसा नहीं होता है तो गांवों के शफाखाने खाली पड़े रहेंगे और वहां की पब्लिक को कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामायणराय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद तो देना चाहता हूं कि वह इस विभाग में बड़ी तत्परता से काम लेते हैं परन्तु मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। बधाई इसलिये नहीं दे सकता कि जितना प्रयत्न वह करते हैं उतनी सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। इसमें शक नहीं कि उन्होंने सरप्राइज विजिट्स कीं और अस्पतालों पर आतंक छाया। उन्होंने ट्रांसफर करने को सजा नहीं समझा, चाहे इधर के सदस्यों ने और उधर के सदस्यों ने निवेदन किया हो। उसे उन्होंने न मानकर ट्रांसफर कर दिये और कह दिया कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। मेरा हृदय कहता है कि मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूं परन्तु बधाई नहीं दे सकता, उसमें मैं संकोच करता हूं। मैं इसलिये और भी बधाई नहीं देना चाहता हूं कि मैंने लखीमपुर के सदर अस्पताल के बारे में जुलाई, १९५९ में एक शिकायत भेजी जिसमें मैंने स्पेसिफिक एलीगेशन्स लगाये। मगर जब यहां से माननीय मंत्री जी ने उसकी जांच के लिये डाइरेक्टर साहेब को भेजा तो उन्होंने एक डाक बंगले पर मुझे बुलाया और इस तरह से उसकी जांच की। मालूम होता था कि वह जांच करने नहीं आये थे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज होकर वहां फैसला करने गये थे। उन्होंने जांच के समय उन लोगों तक को नहीं बुलाया जिनके विरुद्ध मेरी शिकायत थी ताकि उनका और मेरा आमना-सामना होकर सच्ची बात मालूम हो जाती।

एक चार्ज आइटम नम्बर दो पर लगाया गया है। एक सरकारी कर्मचारी को ४ महीने तक यह सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है कि इसके दोनों लंग्स एफेक्टेड हैं, यह तपेदिक का मरीज है, काम करने के काबिल नहीं है। चार महीने के बाद एक दिन यह लिखा गया कि इसकी कंडीशन सीरियस है मगर ठीक दूसरे दिन उसके लिये यह लिख दिया गया फिट फार ड्यूटी है। यह लखीमपुर जिले के चिकित्सा विभाग के हैड आफ दि डिपार्टमेंट की करतूत है। वह ड्यूटी पर जाता है और दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि एक आदमी दूसरे ही दिन मौत के मुंह में जाने वाला है उसके लिये लिखा जाय कि यह "फिट फार ड्यूटी" है। जब मैंने उसकी शिकायत की तो विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने उसके ऊपर मोटा सा पर्दा डाल दिया और मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया कि शिकायत निराधार है। यह बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी इस प्रकार से सच्ची चीज पर पर्दा डालता है। जिस विभाग के इतने सचेष्ट मंत्री हैं उस विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से उनकी आंखों में धूल डाली जाती है। इसलिये यद्यपि माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरन्त जांच कराई, लेकिन बधाई इसी कारण से मैं उनको नहीं दे सका कि सच्चाई होते हुये भी जांच में उसको झूठ कर दिया गया।

लखीमपुर से दो मील साढ़े चार फर्लांग दूर एक महिलागंज नामक मुकाम है मगर लागबुक में उसके लिये लिखा गया है १४ मील है। यह तो लागबुक में लिखा हुआ है लेकिन जब उसकी शिकायत की गई तो जवाब दिया गया कि शिकायत निराधार है। जो चीज तहरीर में है और शिकायत करने वाला मौजूद है फिर भी वह चीज झूठ ठहरा दी जाती है। बड़े-बड़े अधिकारी एक सच्ची बात पर पर्दा डालते हैं। लखीमपुर से ओयल पक्की डामर रोड है जो १० मील है, लेकिन लाग बुक में ४० मील लिखा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे बड़ा अ वम्भा मुझे तब हुआ जब कि २३ सितम्बर, १९५७ के दिन यह लिख दिया गया कि गाड़ी निघा ान गई। मैं दावा करता हूं और मंत्री जो, डायरेक्टर और गवर्नर तक से मैं दावा करता हूं कि अगर सितम्बर के महीने में कोई गाड़ी निघासन चली जाय तो मैं अपना सारा वेतन और एलाउन्स हारने के लिये तैयार हूं। उस समय दरिया ५ मील लम्बा होता है, न साइकिल जा सकतो है और न नाव ही चलतो है। जो पैन्टून ब्रिज है वह भी तोड़ दिया जाता है और सरकार को तरफ से यह रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि खतरा है, इधर से जाना खतरे से खालो नहीं है। लेकिन वान चलो गयी। पांच मील लम्बे फ ट को फलांग कर चलो गयी। लाग बुक में साफ लिखा हुआ है कि २१ सितम्बर को गाड़ी निघासन गयी, इसको सुनकर मुझे हैरत होतो है। उसको जांच के लिये सबसे बड़ा आ फिसर जाता है और उस पर एक मोटा-सा पर्दा डाल देता है। मुझे शर्म है इस बात पर कि मैंने शिकायत की और उसका कोई परिणाम नहीं निकला, और मुझे शर्म आतो है उन पर जिन्होंने इसको जांच को और जांच करके उस पर बड़ा भारी पर्दा डाल दिया। मैं इसके लिये मंत्रो जो को कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने तत्परता से काम लिया और जांच के लिये फौरन ही आर्डर दिया। लेकिन वे विवश हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्होंने विश्वास करके जांच करायी, उनका वह विश्वास गलत निकला। इसलिये उनको इसमें कोई खता नहीं है।

मैं एक बात को तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। २६ सितम्बर, १९५७ की लागबुक में लिखा हुआ है निघासन-वीरा रोड, लेकिन जिला खीरो में वीरा रोड नाम की कोई सड़क ही नहीं है। साथ ही लखीमपुर एक मील के रेडियस में बसा हुआ है उसके एक मील इधर-उधर कोई माइलेज स्टोन नहीं है, लेकिन लागबुक में लिखा हुआ है कि लखीमपुर से बढ़ई के यहां जाने में १० मील की दूरी तय करनी पड़ी।

*श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)––अधिष्ठाता महोदय, यह स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में जो अनुदान माननीय स्वास्थ्य मंत्रो ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान विभाग है। कृषि और सिंचाई विभाग के बाद मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा यही विभाग करता है और हमारे प्रदेश के लिये सबसे अधिक लाभदायक है। पिछले १०, १२ साल में इस विभाग ने बहुत बड़ी प्रगति की है, औ उसके कर्मचारियों ने प्रदेश की बड़ी महान सेवा की है। मैंने तो यह देखा है कि अब से १०–१२ साल पहले जहां टी० बी० के क्लीनिक शायद ही एक दो जगह थे वहां अब हर जिले के हेड क्वार्टर में टी० बी० क्लीनिक बने हुए हैं और उस तरह से बहुत बड़ी संख्या में लोग जिला के हेडक्वाटरों पर इलाज के लिये जाते हैं। पहले जहां २,४ या १०,१२ मरीजों के रहने के लिये ही जगह थी वहां अब ५०, ५० और १००, १०० मरीजों के रहने की व्यवस्था कर दी गयो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काफी प्रगति हुई है। देहातों में भी काफी अस्पताल खुले हैं तथा स्वास्थ्य केन्द्र भी खुले हैं, हेल्थ यूनिट्स भी बहुत खुलो हैं तथा मलेरिया आदि को रोकने के लिये भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रबन्ध किया गया है। लेकिन सब से बड़ी कठिनाई जो हम देखते हैं वह यह है कि देहातों की तरफ इस सिलसिले में बहुत कम ध्यान दिया गया है।

माननीय मंत्री जी देखें कि जन-संख्या के हिसाब से देहातों में इन सब चीजों का प्रबन्ध बहुत ही कम है। आबादी को देखते हुए देहातों में जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के जो साधन हैं उनको बढ़ाना चाहिये। एक शिकायत आमतौर पर सब जगह है कि चाहे स्वास्थ्य कन्द्र हों, चाहे अस्पताल हों, वहां डाक्टरों और मिडवाइफों की बड़ी भारी कमी रहती है। वहां अस्पताल दवाई होते हुए भी खालो पड़े रहते हैं, बजाय इसके कि वहां की जनता को उससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीरसिंह]

कुछ फायदा पहुंचे इसकी वजह से वहां की जनता में बराबर असन्तोष बढ़ता जाता है। इसके लिये सरकार को डाक्टरों तथा मिडवाइफों की तादाद बढ़ानी चाहिये, ज्यादा मेडिकल कालेज खोलने चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि डाक्टरों की तनख्वाह बढ़ा दी जाय तो वे देहातों में जाकर रह सकते हैं, लेकिन मैं इस सुझाव को ज्यादा अच्छा नहीं समझता। क्योंकि मैंने देखा है कि एक स्कूल मास्टर जिसे शहर में १०० रु० तनख्वाह मिलती है अगर उसे देहात में जाने के लिये १५० रु० देना चाहते हैं तो वह शहर छोड़ कर जाने के लिये तैयार नहीं है। मैं अपने तजुर्बे की बात बतला रहा हूं। शहर के वातावरण और देहात के वातावरण में बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिये मैं यह सुझाव सरकार के सामने रखता हूं कि आयन्दा जो मेडिकल कालेज खोले जांय वे शहर से बहुत दूर बिलकुल ग्रामीण क्षेत्र में खोले जांय और उन मेडिकल कालेजों में जो दाखिला हो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लड़कों को प्रिफरेंस दिया जाय। इस तरह से वहां का वातावरण बिलकुल गांव वाला होगा। उन लोगों की देहातों में नियुक्ति होगी तो वह वहां रह सकेंगे। अबतक यह कालेज केवल शहरों में खोले जाते हैं जहां का शहरी वातावरण होता है और नतीजा यह होता है कि वहां से पढ़कर डाक्टर देहातों में जाना नहीं चाहते।

दूसरे, जो अस्पताल देहातों में हैं भी उनमें दवाओं की बहुत कमी है और अक्सर २०--२० और ३०--३० मील देहात के लोगों को चलकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है, कभी-कभी तो आदमी सख्त बीमार हो जाते हैं और अस्पताल तक दूरी के कारण नहीं पहुंच पाते और रास्ते में या घर पर ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा गांव के लोगों को अस्पताल में दाखिल होने में भी बड़ी दिक्कत होती है, वहां सारी सहूलियतें पहले शहर वालों को दी जाती हैं और गांव वालों का बाद में नम्बर आता है और गरीब लोग खुले में, लू, सर्दी में बाहर पड़े रह जाते हैं, बरामदों में पड़े रहते हैं या वापस हो जाते हैं और उन्हें जगह नहीं मिलती। इसलिये मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार का इस तरफ ध्यान जाना चाहिये कि मेडिकल कालेज देहातों में ही खोले जांय और उन में पढ़ने के लिये देहात के लड़कों को ही शहर के लोगों पर तरजीह दी जाय और उन के साथ यह शर्त रखी जाय कि जबतक वह पास करने के बाद ५ साल तक देहात के अस्पतालों में नौकरी करने को राजी न होंगे तब तक उनको दाखिल न किया जायगा। इस तरह से डाक्टरों की समस्या हल हो सकती है।

हमारा मेरठ जिला बहुत बड़ा जिला है और उसके आसपास भी बहुत बड़े बड़े जिले हैं, वहां की २३ लाख की जनसंख्या है, वहां पर डिग्री कालेज और इन्टर कालेज बहुत बड़ी संख्या में हैं। वहां की सारी जनता और जितने वहां के इधर के और उधर के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, सभी की यह मांग है कि मेरठ में भी एक मेडिकल कालेज खोला जाय। हमारी यह जोरदार मांग है कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही एक मेडिकल कालेज की स्थापना मेरठ में की जाय और जहां तक हो वह देहात में ही खोला जाय और वह स्थान शहर से काफी दूर हो।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का, जो पेश किया गया है, समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस प्रदेश की जन-संख्या ६ करोड़ ४० लाख के करीब है जिसमें से हमारी ८० प्रतिशत जनता देहात में रहती है, लेकिन जो रुपया इस विभाग के द्वारा मन्त्री जी की तरफ से व्यय हो रहा है उसके आंकड़े देखने से पता लगता है कि उससे जनता का ठीक लाभ नहीं हो रहा है। बड़ी दुहाई दी जाती है जनतन्त्र की और कहा जाता है कि हम देहाती जनता का इलाज करने में संलग्न हैं, लेकिन इस रकम को देखकर मुझे ताज्जुब से कहना पड़ता है कि शहर में जो १४, १५ प्रतिशत जनता रहती है उस पर अधिक खर्च हो रहा है और एलोपैथिक संस्थाओं में २,३३,११,८०० रुपया खर्च हो रहा है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों पर केवल ३६,९९,००० रुपया खर्च हो रहा है। अगर हमारी प्राचीन पद्धति को देखा जाय तो पहले सारे देश में मनुष्यों का इलाज आयुर्वेद चिकित्सा से ही होता था और बहुत बढ़िया इलाज होता था और यहां से बाहर के देशों के लोग भी दवा ले जाकर अपने यहां इलाज करते थे; लेकिन आज विदेशी दवाओं को हम महंगा खरीदते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रधानता नहीं दे रहे हैं और उनका प्रयोग दिन प्रति दिन घटता जा रहा है और सरकार का इस तरफ विशेष ध्यान नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि आयर्वेदिक चिकित्सा को आगे विशेष स्थान दिया जाय तभी देश या प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता का कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में मैंने देखा ही नहीं है बल्कि मन्त्री जी को पत्र भी मैंने लिखा था कि इस तरह की जो डिस-पेंसरीज देहातों में हैं, उनमें किसी-किसी में जैसे मैनपुरी जिले में हिन्दूपुर डिस्पेंसरी में एक कम्पाउन्डर १२–१३ साल से काम कर रहा है लेकिन वह स्थायी नहीं किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा समय बिताने के बाद भी एक कर्मचारी को स्थायी न किया जाय तो बड़े दुख की बात है। इस के बाद सरकार ने आयु की औसत के आंकड़े दिये हैं, पहले २७ साल, उस के बाद ३२ साल और इस साल ४२ साल का औसत लिया। लेकिन यह आंकड़े बिलकुल निराधार हैं क्योंकि पता नहीं किस पैमाने पर सरकार ने इसको निश्चित किया है। मैं चाहूंगा कि तरकार इस औसत को ठीक करे और आधार बताये।

प्रदेश में चार प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं; एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि एलोपैथिक दवाइयों की बनिस्बत आयुर्वेदिक दवाइयों पर, जिसका अधिक सम्बन्ध देहात की जनता से है, ज्यादा रुपया खर्च किया जाय क्योंकि हमारे प्रदेश की अधिकतर जनता देहातों में ही रहती है। देहातों की तरफ सरकार का अधिक ध्यान जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र में औषधालयों को जो राजकीय सहायता दी जाती है उससे पता चलता है कि सरकार दिन प्रति दिन उस रकम को कम करती चली जा रही है। १९५९–६० में ६,६५,००० रु० देशी औषधालयों को ग्रामीण क्षेत्र में सहायता दी गयी। अब १९६०–६१ में ६,६१,००० रु० ही दी जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय सहायता प्राप्त औषधालयों को १९५९–६० में १,४५,००० रु० दिया गया, अब १९६०–६१ में १,३०,००० रु०, यानी १५,००० रु० कम दिया जायगा। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि देहात की जनता के साथ इस प्रकार की अपनी भावना जाहिर न करें बल्कि उसके लिए विशेष ध्यान दें।

आज के युग में कुष्ठ रोग और फाइलेरिया बढ़ता चला जा रहा है पर उसके लिए रुपया बहुत कम दिया जा रहा है। पिछले साल कुष्ठ रोग के लिए ३,१२,००० रु० दिया गया था लेकिन इस साल २,६४,००० रु० दिया गया।

मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस विभाग में कुछ धांधा-गर्दियां भी हुई हैं जैसे सैनिटरी इन्स्पेक्टर, पुखरायां के खिलाफ सरकारी गबन के सम्बन्ध में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने शिकायत की थी उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

देहात की जनता के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखा जाय। गांव के किनारे जो तालाब होते हैं वहीं पर गांव का कूड़ा-करकट पड़ता है। मेरा सुझाव है कि देहात की सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा जाय और रोगों की रोकथाम की जाय।

अब मैं इटावा जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। अभी अभी मेरी स्त्री की तबियत खराब हो गयी थी। उनको लेकर मैं जनाने अस्पताल में गया और देखा कि वहां पर मच्छर बहुत बढ़ गये हैं। मैंने लेडी डाक्टर से पूछा कि आपने मच्छर मारने के लिए डी० डी० टी० क्यों नहीं छिड़कवायी? उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैसे से छिड़कवायी है और सरकारी पैसा इतना नहीं है कि जो डी० डी० टी० छिड़कवायें। मैं मन्त्री जी से कहूंगा

[श्री भजनलाल]

कि जरा उस अस्पताल की ओर ध्यान दिया जाय। जो मरीज वहां जाते हैं उनको मवेशियों की तरह मच्छर काटते रहते हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज वहां पर हैं लेकिन दवा पर उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है जितना कि वैद्यों तथा कर्मचारियों पर रुपया खर्च होता है। मैं मांग करूंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों पर और डिस्पेंसरीज पर अधिक से अधिक तादाद में पैसा खर्च किया जाय ताकि ८० प्रतिशत जनता का उससे हित हो सके।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह अनुदान इतने महत्व का है कि हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत कम है। इस में और भी ज्यादा रुपया होता तो शायद कुछ हो सकता। १९५९ में जैसी कि गणना हुई है सरकार १ रुपया ३९ पैसे प्रति व्यक्ति पर खर्च कर रही है, तो भी इतने बड़े प्रदेश को देखते हुये यह रकम बहुत थोड़ी है।

गांवों की चिकित्सा के लिये बहुत कुछ कहा गया। यद्यपि इस पुस्तिका में देखने से मालूम पड़ता है कि १६८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक खंडों में खोले जा रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूं। महिला चिकित्सालय भी हमारे प्रदेश में बहुत कम हैं और उनकी दशा भी बहुत बुरी है। मैं आप को शाहाबाद के महिला चिकित्सालय का हाल बतलाऊं। वहां पर एक कमरा है और टूटी फूटी ५, ६ चारपाइयां हैं। महिलायें बेचारी जो आती हैं वे पयाल डाल कर जमीन पर लेटती हैं और वहां कोई दवा या लेडी डाक्टर का उचित इन्तजाम नहीं है। हमारी सरकार को महिला चिकित्सालयों के लिए अधिक धन देना चाहिए तथा उनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस साल जो ५ चिकित्सालय मंजूर हुये हैं, उनमें से कदाचित शाहाबाद में एक अवश्य खुलेगा। वहां ३० हजार की आबादी है पर एक भी महिला चिकित्सालय नहीं है।

शिशु चिकित्सालय की ओर भी कुछ ध्यान गया है। यद्यपि अभी बहुत कम है, शिशु हमारे देश के भावी नागरिक हैं और हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं तो भी हमारे यहां शिशु चिकित्सा की ओर थोड़ा ही ध्यान गया है। लखनऊ मेडिकल कालेज में एक चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट खोला गया है, जो अभी काफी उन्नत नहीं कहा जा सकता; लेकिन कुछ थोड़ी सी प्रगति हुई है। जच्चा-बच्चा केन्द्र खोल कर गर्भवती स्त्री तथा बच्चों की ओर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है। इस साल ७३८ जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले गये हैं जो इतने बड़े प्रदेश के लिए बहुत कम हैं। लेकिन इन केन्द्रों की बदौलत पहले जो बच्चे हमारे यहां बहुत मरा करते थे, प्रसूति-गृह में उनकी संख्या में बहुत बड़ी कमी अवश्य हुई है और मैं समझती हूं कि इस ओर हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी और हमारा जो हास्पिटल है चिल्ड्रेन का उसका प्रबन्ध मेडिकल कालेज से अलग हो जायगा जिससे उसकी उन्नति हो सके और डाक्टर लोग रिसर्च आदि कर के नयी नयी चीजों का आविष्कार कर सकें और अच्छे से अच्छा प्रबन्ध दवाई और बच्चों के लिए हो सके। यह सही है इसमें बहुत खर्चा होगा, लेकिन और देशों को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वहां बच्चों की तरफ कितना खयाल किया जाता है। इंग्लैण्ड में ५ हजार चाइल्ड वेल्फेयर सेन्टर्स हैं। स्काटलैन्ड में ४३० चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स तथा ६५० डे नर्सरीज हैं। हमारे यहां तो एक दो ही चाइल्ड हास्पिटल हैं। मेरा सुझाव है कि चिल्ड्रेन हास्पिटल मेडिकल कालेज के प्रबन्ध से अलग कर दिया जाय।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि इस विषय में बहुत-सी बातें इस पुस्तिका में कही गयी हैं जिनके लिए सरकार बधाई की पात्र है। समय कम है वरना मैं बतलाती। लेकिन डाक्टरों की कमी के विषय में मुझे थोड़ा-सा और कहना है। मेरी समझ में डाक्टर मानव-समाज की सबसे अधिक सेवा करता है और डाक्टरों की पढ़ाई में भी सबसे अधिक व्यय होता है और सबसे अधिक समय लगता है। एक डाक्टर करीब ६-७ साल के बाद पी० एम० एस०

(२) में जाने लायक हो पाता है। लेकिन उनके वेतन वही हैं जो एक मामूली बी० एस-सी० वगैरह का होता है। इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि पी० एम० एस० (२) के ग्रेड को बढ़ाये। इसके अलावा गांवों में जो डाक्टर्स भेजे जाते हैं उनके रहने के स्थान का प्रबन्ध किया जाय और उनको कुछ न कुछ ग्राम भत्ता दिया जाय। चिकित्सा की मीटिंग में यह तय भी हुआ था। इसके अलावा यातायात का भत्ता भी डाक्टरों को मिलना चाहिए। इस तरह का प्रबन्ध किया जायेगा तो गांवों में डाक्टर्स को जाने में एतराज न होगा। कम से कम मेरे जिले में ८ अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर और लेडी डाक्टर नहीं हैं। मैं आशा करूंगी कि जल्दी से जल्दी वहां यह प्रबन्ध किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा कुछ सुझाव मैं ऐसे रखना चाहता हूं कि सरकार को कम से कम १७–१८ करोड़ रुपये सालाना का फ़ायदा हो। यह कुछ अच्छा नहीं लगता है कि बापूजी की इच्छा के विरुद्ध और आज जो सन्त विनोबा भावे हैं उनकी मरजी के खिलाफ यहां से ५–६ हजार मील पर बनी हुई चिकित्सा पद्धति को अब भी यहां कायम रखा जाय। हमें बुनियादी इख्तलाफ है। यह जो करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है यह सिंचाई के काम में भी लगाया जा सकता है और राष्ट्र के निर्माण में भी लगाया जा सकता है और अगर यह आज न हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकता।

आज अगर हम बापूजी के कहने के अनुसार अश्लील सिनेमाओं को बन्द कर दें, डाल्डा, कोटोजम को बन्द कर दें तो ये बीमारियां खुद रुक जायंगी। बापूजी ने खुले आम कहा था और 'यंग इन्डिया' में लिखा था 'हरिजन' में भी लिखा था कि जिस तरह से जाली रुपया बनाने वाले को सजा दी जाती है उसी तरह से जाली घी बनाने वाले को भी सजा दी जाय और कठोर से कठोर सजा दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो हम करोड़ों रुपया इस लिए बरबाद करते हैं कि हमारे देश के स्वास्थ्य में सुधार हो और दूसरी तरफ हम उन प्रथाओं को जारी रखना चाहते हैं जिनसे स्वास्थ्य खोखला होता जाता है। एक बर्तन में आप घी भरते जाइये लेकिन अगर उसकी तली में छेद हो गया है तो वह घी कभी रुक नहीं सकता। हमारे समाज की तली में दो छेद हो गये हैं। अगर आप अश्लील सिनेमाओं और डालडा को एक कलम रोक दें तो तो बीमारियां रुक जायेंगी। यह करोड़ों रुपया राष्ट्र निर्माण के काम में लग सकता है।

आज हम देखते हैं कि दिन रात खर्चा बढ़ रहा है। यह कोई बधाई देने की बात नहीं है। अगर चिकित्सालय बढ़े हैं, मेडिकल कालेज बढ़े हैं, डाक्टर्स बढ़े हैं और पेशेन्ट्स की तादाद बढ़ी है तो यह इस बात का सबूत है कि सरकार की पालिसी रोग को रोकने में कामयाब नहीं हुई है। इसलिए यह कोई बधाई की बात नहीं है। आचार्य विनोबा भावे के कहने के अनुसार, जो कि आप के गुरु हैं, कांग्रेस के गुरु हैं, मेरे गुरु नहीं हैं, मेरे गुरु तो भगवान राम और कृष्ण हैं, सुभाषचन्द्र बोस हैं, चन्द्रशेखर आजाद हैं, किन्तु आचार्य विनोबा जो कि आपके गुरु हैं वे कहते हैं कि इस वक्त जो चिकित्सा पद्धति यूरोप की बनायी हुई है उस को इस देश के भीतर कायम रखना इस देश के ऊपर सब से बड़ा कलंक है। हमारे यहां तो यह कहा गया है––

युक्ताहार विहारस्य,
युक्तचेष्टस्य कर्मसु,
युक्तः स्वप्नाव बोधस्य,
योगो भवति दुःखहा।

यदि खाने-पीने का सुधार किया जाय, आचार-विचार का सुधार किया जाय, कानून बना दिया जाय कि रात को १० बजे के बाद कोई जाग नहीं सकेगा और सबेरे ४ बजे के बाद कोई

[श्री यशपालसिंह]

सो नहीं सकेगा, अगर यह व्यवस्था कायम हो जाय तो करोड़ों रुपया बच सकता है। आज हम देखते हैं कि एक तरफ लड़कों का इम्तहान हो रहा है, नमाज का वक्त है, संध्या का समय है, चिन्तन का समय है और दूसरी तरफ सिनेमा के अश्लील गाने हमारे ऐटमास्फियर में गूंजते हैं, कोई रुकावट नहीं है। आदमी के पेट में छुरा भोंकने वाला मुल्जिम है, कत्ल करने वाला मुल्जिम है लेकिन मनुष्य के सदाचार को जख्मी करने वाला मुल्जिम नहीं है। नैतिक स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला तो सब से बड़ा अपराधी माना जाना चाहिए। यह सब से बड़ा अपराध है और हमारे समाज का मौरल कायम नहीं रह सकता है, हमारे विद्यार्थियों का मौरल कायम नहीं रह सकता है, उनका सदाचार कायम नहीं रह सकता है जब तक कि अश्लील सिनेमा खत्म न किये जायं, अश्लील नाच-गाने खत्म न किये जायं। उस समय तक जनता का स्वास्थ्य हरगिज कायम नहीं रह सकता है और हमारे देश से बीमारियां कदापि खत्म नहीं हो सकती हैं।

आज श्रीमन्, जरूरत इस बात की है कि बापू जी की बतायी हुई पद्धति के अनुसार तथा हमारे राष्ट्र ने जो कल्चर रखा है उसके ऊपर हम लोगों को अमल करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि दुनिया में दूसरे मुल्कों को औषधियों के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है, रूस आज औषधियां कहीं बाहर से नहीं मंगाता है, अमेरिका कहीं बाहर से औषधियां नहीं मंगाता है, लेकिन हमको श्रीमन्, मामूली इन्जेक्शनों के लिए भी दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ता है, विदेशों के हम इस मामले में अधीन रहते हैं यानी साधारण सी औषधियों के लिए भी हमें विदेशों का मुंह ताकना पड़ता है। बाइबिल में बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है:—

"We have done those things which we ought to have left undone. We have left undone those things which we ought to have done. So there is no health in us."

बीमारियों का कारण यह है कि हमने धर्म को छोड़कर अधर्म का पालन किया, कर्त्तव्य को छोड़कर अकर्त्तव्य का पालन किया है। इसीलिए हमारे यहां बीमारियां आयी हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि अपने देश में धर्म को कायम किया जाय, सिनेमाओं को खत्म किया जाय, अश्लील नाच गानों को खत्म किया जाय। आप जो परिवार नियोजन कहते हैं वह परिवार नियोजन नहीं है बल्कि यह व्यभिचार नियोजन है, दुराचार नियोजन है। हम ऋषि मुनियों के देश के हैं। हम बर्थ कन्ट्रोल में विश्वास नहीं करते हैं बल्कि हम सेल्फ कन्ट्रोल को मानते हैं, हम ब्रह्मचर्य को मानते हैं, हम गर्भ निरोध को नहीं मानते हैं बल्कि हम आत्म निरोध को मानते हैं। यह जो आप की परिवार नियोजन की योजना है, इस के द्वारा खुले आम व्यभिचार का प्रचार किया जाता है। यह हमारे गांधी जी के देश में नहीं होना चाहिए। यह हमारे गौतम जी के देश में नहीं होना चाहिए। यह हमारे ऋषि मुनियों के देश में नहीं होना चाहिए। यह हमारे देश की संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। बापू जी ने "यंग इन्डिया" में कहा था कि यह जो परिवार नियोजन है यह दुराचार है, व्यभिचार है। यहां तक उन्होंने लिखा था कि यह प्रत्यक्ष व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक है।

आज श्रीमन्, जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश की संस्कृति की ओर बढ़ें। आज हमारे देश के जो बच्चे १९-२० साल की उम्र में एम० ए० पास कर लेते हैं, यह देश के लिए फख्र की बात नहीं है, यह देश के लिए गौरव की बात नहीं है, यह देश के लिए अभिमान की बात नहीं है। ऐसे छोटे विद्यार्थी या तो निरे बच्चे ही रह जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं, उन के ऊपर कभी भी सच्चे माने में जवानी नहीं आ सकती है। इसलिए मेरा श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि इसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाय कि कोई भी लड़का २२ साल से कम उम्र का एम० ए० में नहीं बैठ सकता है। जो लड़के २० साल की उम्र में एम० ए० पास कर लेते हैं, उनकी छाती चौड़ी नहीं हो सकती है, उनके अन्दर दिल और दिमाग नहीं रहता है, उनका स्वास्थ्य एक कागजी डिग्री के पीछे नष्ट हो जाता है। उनकी ओरिजिनैलिटी

किताबों की भेंट चढ़ जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कानून शीघ्र बनाया जाय। देश में कोई रिक्शा न खींच सके। जो खींचते हैं उनको तपेदिक हो जाती है, उनके फेफड़े में बलगम पैदा हो जाता है और जो रिक्शे में बैठते हैं उनको मनुष्य की सवारी का पाप लगता है। इस पाप से दोनों बच सकते हैं यदि हमारे माननीय मन्त्री जी, जिनका बड़ा यश है, जिन की बड़ी कीर्ति है, वह एक ऐसा बिल लायें कि कोई भी नागरिक न रिक्शा खींचे और न उस पर बैठे।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महीनों के बाद थोड़ा समय देने की कृपा की। मंत्री महोदय द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने अंग्रेजी राज्य भी देखा था और उस इलाके का मैं रहने वाला हूं जहां मलेरिया का उग्र रूप दिखाई पड़ता था जिसको अंग्रेजों ने भी देखा था। वह इलाका बनारस और गोरखपुर डिवीजन का था। मैं अगर अपनी सरकार को धन्यवाद दूं तो यह कोई छोटी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने वहां देखा था कि कोई आदमी ऐसा नहीं था जो क्वार और कार्तिक के महीने में मलेरिया से पीड़ित न रहता हो। लेकिन अब केवल रुपये में एक आने या दो आने रोग चलता रहता है। और बकिया रोग इस सरकार की ओर से निर्मूल कर दिया गया। अंग्रेजी जमाने में जेलखाने से निकल कर १९४२ में जब मैं गांव गया तो मेरे जिले में और बनारस कमिश्नरी में एक भी ऐसा घर नहीं था जो ताऊन से पीड़ित न हो। आज मैं इस सरकार को धन्यवाद दूं, बल्कि पूरे देश को सरकार को धन्यवाद दूं कि ताऊन को हमारे इलाके से निकाल कर बाहर किया। क्या यह छोटी बात है ?

मैं आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था। कहा गया कि धर्म के नाम से ही रोग छूट सकते हैं। मैंने भी आयुर्वेद में ऋषियों की जड़ियों का अध्ययन किया, चर्क, शुश्रुत और वाग्भट्ट की किताबों का अध्ययन किया। मलेरिया को दूर करने की विधि उन ग्रंथकारों ने भी दी है। लेकिन हमें इस दृष्टि से देखना है कि एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद जिससे भी देश को लाभ हो वह करना है। हमें यह चीज नहीं सोचनी चाहिए कि एलोपैथी या होम्योपैथी, अच्छी चीज नहीं है, धर्म के नाम पर।

उन्होंने एक चीज उदाहरण में रखी कि आज आदमी के ऊपर लोग सवारी करते हैं, उस को रोकथाम करें। लेकिन बदरीनारायण उन्हीं के धर्म में था, उनके पुराने ऋषियों के धर्म में था। लोग कंधे पर बैठकर बदरीनारायण और केदारनाथ जाया करते थे, जहां इस गवर्नमेंट ने खाली १९ मील छोड़ा है। आज की गवर्नमेंट यह धर्म नहीं करती है ? हमें बड़ा ताज्जुब होता है जब कहा जाता है कि गवर्नमेंट धर्म नहीं कर रही है, पाप कर रही है।

कोढ़ियों के लिए कहा जाता था उस गवर्नमेंट में जबकि धर्म का नारा लगाया जाता था, कि इनको गांव से बाहर करो नहीं तो संक्रामक रोग फैल जायगा। आज की गवर्नमेंट कोढ़ियों के लिए अस्पताल बना रही है और उनको अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि धर्म और अधर्म की परिभाषा है क्या ? क्या धर्म के मानी यही हैं कि कुछ बातों को धर्म का नारा लगा कर पुकारते रहें ? लखनऊ से पश्चिम में ताऊन का प्रकोप नहीं था, लेकिन बनारस और गोरखपुर के क्षेत्रों में एक एक झोपड़ी के अन्दर लोग जाड़ों के दिनों में यह मनाया करते थे कि भगवान् कब उद्धार हो। लेकिन १२ साल हो गये, उस क्षेत्र में ताऊन का नाम तक नहीं है। इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाय, उतना कम है।

हमारे इलाके में फाइलेरिया का रोग और घेघा बड़े उग्ररूप में फैला हुआ था। आज गोरखपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बस्ती आदि के सब लोगों को इस सरकार को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

धन्यवाद देना चाहिए कि आज फाइलेरिया को रोकने के लिए गवर्नमेंट की कितनी ताकत लगी हुई है और वह रुक रहा है । यह नहीं है कि रुपया बरबाद किया जा रहा है । जो रुपया व्यय किया जा रहा है उससे वहां की जनता को फायदा हो रहा है ।

एक रोग मैंने और देखा । वह पूर्वी इलाके म भी था और पश्चिमी इलाके में भी था जिसको आपके यहां टी० बी० का नाम दिया जाता है । उसे भी जोरों से रोकने की कोशिश हो रही है और वह रुक भी रहा है । ऐसा नहीं है कि केवल पैसा ही खर्च हो रहा हो और रोग में कोई रोक न हो रही हो । पांच, सात, दस मील के अन्दर अस्पताल चल रहे हैं । आयुर्वेद के अस्पताल चल रहे हैं, एलोपैथिक अस्पताल चल रहे हैं । रहा यह कि जो धर्म के नाम पर कहा गया, तो पुराने समय में धर्म के नाम पर कोई किताब नहीं थी । लोग धर्म के नाम पर आहूति किया करते थे, होम किया करते थे । जड़ी-बूटियों को अग्नि में होम किया करते थे । उसे आज भी कौन रोक रहा है ? कहां गवर्नमेंट उसको रोक रही है ? जो धर्म प्रचार करने वाले हैं उनका कर्त्तव्य है कि धर्म का प्रचार करें और होम करायें । उससे भी उन्हीं कीड़ों का नाश होता था जो कि दवाइयों से हो रहा है ।

अब मैं थोड़ा-सा सुझाव अपने क्षेत्र के लिए माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं । हमारे यहां जौनपुर में मड़ियाहू तहसील के अन्दर एक स्थान बंडेरी है जहां मछलीशहर और मड़ियाहूं हर जगह से सात मील की दूरी है और अभाग्यवश वहां कोई सड़क भी नहीं है । बरसात में तो बिलकुल रास्ता ही बन्द हो जाता है । मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वहां एक अस्पताल बनवाने की दया जरूर करें । वहां की जनता करीब ५० हजार की है । उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती । और एक दूसरा क्षेत्र है भवानीगंज । वहां भी ९ मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है । जिले से कई बार लिखकर के आया । चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल दिया जाय, चाहे एलोपैथिक दिया जाय, किसी भी ढंग का अस्पताल वहां अवश्य कायम किया जाय । इसके लिए मैं फिर से उनसे अपील करता हूं कि जो ऐसे स्थान हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान दिया जाय ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आज हमारे उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े योग्य डाक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं और कालेज भी बढ़ते चले जा रहे हैं । लेकिन उनसे जो गरीब जनता है क्या उनका हित होने वाला है ? मान्यवर, जितना बड़ा और योग्य डाक्टर होगा उसकी उतनी ही बड़ी फीस होगी और उसके मानी यह है कि जो निर्धन है वह उसका कभी उपयोग नहीं कर सकता । आज हर एक आदमी जानता है और यह मानता है कि हमारे समाज के अन्दर गरीबी बहुत बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है । तो फिर वह दवा कहां से ले सकेगा ? उन बड़े बड़े डाक्टरों का उपयोग वह नहीं कर सकता है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जो गरीब जनता है उसके लिए कोई न कोई इन्तजाम होना चाहिए ।

जो पांच मील के अन्दर की व्यवस्था की बात बतायी जा रही है कि हर पांच मील पर सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक तथा यूनानी या होम्योपैथिक या एलोपैथिक का कोई न कोई अस्पताल रखा जायगा, वह भी नहीं रखा गया है और खासकर के मेरे क्षेत्र के अन्दर यह चीज नहीं है । तो मैं इस तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि इन बड़े-बड़े डाक्टरों से हमारे क्षेत्र का तो कल्याण होने वाला नहीं है । इसलिए जो छोटे डाक्टर या वैद्य हैं उनको कम से कम ५ मील की दूरी पर रखने की व्यवस्था की जाय, उनको वहां भेजा जाय और उनको दवाइयां दी जायं । ऐसा न हो कि वह हफ्तों खाली बैठे रहें और मरीज रोते रहें, उनको दवा न मिले । आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो ए बी सी क्लास के रजिस्टर्ड वैद्य या हकीम या होम्योपैथ हैं ये भी एलोपैथिक नुस्खा लिख देते हैं, चाहे उसके बारे में कुछ जानते हों या न जानते हों । जब उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि लोगों को एलोपैथिक पर विश्वास ज्यादा है कि वह जल्दी फायदा

करती है इसलिए हम लिख देते हैं। नतीजा उसका क्या होता है कि उनका मर्ज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब वह उस चीज को नहीं जानते हैं और लिख देते हैं तो उससे उनका रोग बढ़ता है और फिर पैसे की खूब लूटपाट होती है। इतना ही नहीं कि जो देहात के रजिस्टर्ड ए बी सी क्लास के वैद्य हकीम हैं वही यह चीज लिखते हों, बड़े-बड़े जिले के स्तर के या बड़े-बड़े करबों में जो डाक्टर होते हैं उनमें भी यह मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। यह आंकड़े जो इस आंकड़े की पुस्तिका में दिये गए हैं उससे मालूम पड़ता है कि सन् ५९ में सिविल अस्पताल में ४,५९,६५० आदमी ट्रीटमेंट में आये। उनमें से जो रोगी चले गये उनकी संख्या १,०२,३८७ है। ये लोग अपनी इच्छा से चले गये। जो डिस्चार्ज किये गये हैं वे ३६,९८१ हैं। गरज यह कि लगभग २५, २६ फीसदी ऐसे लोग थे जिनको गलत दवाइयां दी जा रही थीं। मैं यह कहता हूं कि अपने निजी लाभ के लिये उनको रिलीव कर दिया गया या उनको दवाई नहीं दी जाती थी या उनको असाध्य रोगी कह कर टाल दिया गया। वह तो यह चाहते हैं कि मर्ज बढ़ता रहे, बीमार होते रहें। इतने रोगियों के चले जाने का दूसरा और कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। काफी बड़े बड़े शफाखाने हैं। उनमें कम्पाउन्डर जो रहते हैं उनसे वहां का सिविल सर्जन यह चाहता कि वह कम्पाउन्डर इधर उधर जाकर नगर में प्रोपेगन्डा करता रहे जिससे उनको विजिट करने का अवसर मिलता रहे। यदि इस तरह से वे कम्पाउन्डर न करें तो उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। खासकर एटा जिले में ऐसा हुआ है। उस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि जो अच्छे योग्य कम्पाउन्डर सिविल अस्पतालों में काम करते हैं उनको छोटे-छोटे स्थान पर ट्रान्सफर न किया जाय।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी आंकड़ों की पुस्तक में एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि एपेडेमिक के विषय में कही गई है।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

इसके आंकड़ों को "एपेडेमिक इन उत्तर प्रदेश" के अन्तर्गत देखें कि पेचिश, डिसेन्टरी और डाइरिया बड़े जोरों से बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि तेल, दूध और घी इत्यादि जनता को शुद्ध नहीं मिल पाता है। उस सूरत में जनता का पेट खराब हो जाता है और इस तरह से यह मर्ज बढ़ता जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय। जो वैजिटेबिल घी चल रहा है वह बहुत नुक्सानदेह है, यह डाक्टरों की राय है। माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि इसमें रंग देने की एक योजना चली थी। पता नहीं उसके विषय में क्या हुआ। यह योजना सफल हो जाती तो अच्छा था। जिससे जो लोग प्योर घी खरीदना चाहते हैं उनको मालूम पड़ जाता कि यह प्योर घी है या नहीं। अगर ऐसा हो जाय तो लोगों को अच्छी चीज मिल सकती है। आज आपके यहां दवाइयों में भी मिलावट है। असली दवाइयां भी मिलना कठिन सा हो गया है। कम्पनी का लेबिल तो वही लगा रहता है, लेकिन उनमें मिलावट रहती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

मेरे ही क्षेत्र में गांव के अन्दर एक नदी है जो वहां पर लोगों को रोगी कर देती है। उससे बहुत मच्छर पैदा होते हैं। उससे हैजे और डाइरिया का प्रकोप होता है। वहां पर आने-जाने की सुविधा के न होने के कारण डाक्टर वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो वहां के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि उन जगहों में आने-जाने की सुविधा हो और लोगों को दवाइयां आसानी से मिल सकें। जब तक वहां पर यातायात के साधन नहीं पहुंचाये जायंगे तो तब तक लोगों को आसानी नहीं होगी। अगर ऐसी जगहों के लिये इस प्रकार के साधन हो जायं तो यह बीमारी को रोकने में सहायक होगा।

आज हम देखते हैं कि स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चे के स्वास्थ्य का निरीक्षण नहीं हो पाता है। जहां पर आस-पास में डाक्टर हैं उनको कहा जाय कि उन स्कूलों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य

[श्री हिम्मत सिंह]

का निरीक्षण करें। उनको बताया जाय कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

गांवों में जो डी० डी० टी० छिड़की जाती है उससे मच्छर नहीं मरते हैं। उसमें चूना और खड़ियां का इस्तेमाल होता है। यह डी० डी० टी० अच्छी होनी चाहिये जिससे संक्रामक रोग न फैल सकें। आज ब्लाक के अन्दर और बी० डी० ओ० के अन्डर ये डाक्टर किये जा रहे हैं और हैं इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्तुत अनुदान २१ और २२ का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

पहले तो यह कि इसमें धन इतना कम है कि उसके लिये कटौती के प्रस्ताव को कहां आवश्यकता रह गई है। अगर इससे दस गुना रुपया और होता तो वह भी हमारे इतने बड़े प्रदेश के लिये कम ही होता। इसलिये उस कटौती के प्रस्ताव की आज इसमें आवश्यकता नहीं मालूम होती है। वह परम्परा को मानते हुये रखा गया? इसलिये मैं उसपर कुछ नहीं कहती। सवाल यह है कि इस विभाग ने सन्तोषजनक तरक्की की है या नहीं? अगर इस विभाग की तरक्की का अन्दाजा लगाना हो तो एक चीज से लगाया जा सकता है जीवन की आशा की अवधि। जीवन की आशा की अवधि जो पहले ३२.२० थी वह बढ़ कर ४२.०० वर्ष हो गयी है। यह कमी नहीं है किसी प्रदेश के लिये और इससे ही हमारी कार्यक्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रीमन्, समय कम है इसलिये मैं केवल अपने सुझाव ही दे सकती हूं और आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे।

सब से बड़ा सवाल डाक्टरों की कमी का है। इसलिए जगह जगह पर medical outposts खोली जायें। दूसरे प्रान्तों में ऐसा होने से कार्य में सुविधा हो गई है। मैं चाहती हूं कि डाक्टरों के दौरे गांवों में हुआ करें, जहां पर कि आबादी अधिक है। इस तरह से वे पीरियडिकली जा कर देख सकेंगे मरीजों को, रोगियों को और जो गरीब आदमी हैं, जो पैसे के कारण शहर तो क्या घर के बाहर भी नहीं निकल सकता उन्हें कुछ मदद मिल सकेगी। उसके दरवाजे पर अगर डाक्टर पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा आसानी हो जायगी और वह अपना इलाज करा सकेंगे।

मान्यवर, क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यह ठीक है कि इस अनुदान के लिये हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है और उसने १३ लाख ४५ हजार रुपया क्षय रोगियों के लिये रखा भी है, लेकिन यह भी देखा जाय कि यह कितना भयानक रोग है और कितनी ज्यादा संख्या में यहां फैल रहा है। इसे देखते हुए यह धन अधिक नहीं दिखायी देता और इसलिये मेरा एक निवेदन है। इस समय २० हजार रुपया प्रति बेड क्षय रोगियों के लिये होता है और यह होना भी चाहिये, लेकिन उसमें आप कितने आदमियों को जगह दे पाते हैं मौजूदा हालत में, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े से बड़े रोग के लिये अस्पताल में जगह मिल सकती है, लेकिन क्षय रोगी को अस्पताल में जगह प्राप्त करना बड़ा कठिन है। बड़े-बड़े आदमियों को ही उसमें कठिनाई पड़ती है, गरीब का तो कहना ही क्या? इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम प्रत्येक गांव के बाहर एक ऐसा झोपड़ा बना दिया जाय कि जिसमें जब तक किसी रोगी को क्षय का बेड न मिल सके तब तक वह अपने कुटुम्ब से अलग वहां रखा जा सके। यह कोई बड़ा कार्य नहीं है और इस पर अधिक धन भी नहीं लगेगा, लेकिन उन गरीबों के लिये बड़ी चीज हो जायगी।

तीसरी चीज यह है कि जितने मेडिकल कालेज और नर्सेज के इंस्टीट्यूशन्स खुलते हैं वे सब शहर में खुलते हैं। यह ठीक है कि उनको देहात में खोलने में बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन हम यहां कठिनाइयों का सामना करने ही तो आये हैं। हम ऐसा ध्येय बना लें कि जितने नर्सेज

के इंस्टीट्यूशन्स और मेडिकल कालेज खुलेंगे वे सब देहात में ही खुलेंगे ताकि शहर के आदमियों को भी देहात में रहने की, वहां के वातावरण की कुछ आदत पड़ जाय और वे वहां के जीवन के अभ्यस्त हो सकें ।

इसके अलावा महिलाओं के अस्पतालों की ओर मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी का बहुत ध्यान है । मैं चाहती हूं कि नर्सेज से ट्रेनिंग के समय ही ऐसा वादा करा लिया जाय कि अपना कोर्स समाप्त करने के बाद उनको इतने समय के लिये गांव में रहना होगा । ऐसा करने से गांव में कुछ लोग पहुंच सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त कुछ मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं । करछना तहसील, इलाहाबाद में बहुत घनी आबादी है । वहां २०९ गांवों में हेडक्वार्टर पर एक ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का छोटा-सा अस्पताल है । तीन चार जगहें ऐसी हैं कि जहां दूर-दूर तक कोई अस्पताल नहीं पड़ता । करमा गांव है, घरवारा गांव है, वहां हजारों की तादाद में आबादी है, लेकिन कोई छोटा-मोटा दवाखाना वहां पर नहीं है । इसके लिए मैंने लगातार तीनों वर्ष के बजट में कहा ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि डाक्टरों को गांव में पहुंचने के लिये उन्हें यातायात भत्ता मिलना चाहिये । गांव में उनके रहने का भी प्रबन्ध होना चाहिये । जब उनके लिये वहां कुछ प्रबन्ध होगा तो उनसे यह कहा भी जा सकता है कि भाई, हमारे देश की अधिक आबादी गांवों में है, उसका कुछ खयाल करो, और वहां पर चल कर रहो । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं ।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--धन्य है श्रीमान् जी कि आपने आते ही मुझे समय दिया । मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जायं ताकि मुझे बोलने के लिये मौका मिल जाया करे । आप कभी भी बीमार न पड़ें, यह मेरा आशीर्वाद है । आप खूब रबड़ी मलाई खायं ताकि तन्दुरुस्त रहें ।

श्रीमन, मुझे बड़ी खुशी है । दुख की बात तो मैं कभी करता ही नहीं हूं, लेकिन प्रजातन्त्र जो है इसमें चार चीजों की मुख्य आवश्यकता है । खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ।

एक सदस्य--यह तो पांच हो गये ।

श्री टीकाराम पुजारी--हां, ठीक है । पांच चीजें हैं । इनमें से अगर एक चीज की भी कमी हो गयी तो प्रजातन्त्र कमजोर हो जाता है । प्रजातन्त्र के अन्दर एक दूसरी शक्ति भी होती है जिसे विरोधी पार्टी कहते हैं । जिस तरह से राज्य में एक चपरासी होता है, एक पहरेदार होता है, एक आवाज देने वाला होता है माल की सुरक्षा के लिये, उसी तरह प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिये एक विरोधी दल भी होता है । प्रजातन्त्र बिना विरोधी दल के चल ही नहीं सकता है । मेरा निवेदन यह है कि यह डाक्टर जो होते हैं वह तो शहरों में ही होते हैं । गांव में तो उनको कोई जानता तक नहीं । गांव में तो आप देखेंगे कि नये नये हकीम डाक्टर हो गये हैं । आज वे भी सुई लगाते हैं । वे सुई लगाना नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वह सुइयां भोंकते हैं । ५० सुई अगर लगाते हैं तो २५ सुई तो गलत लगती हैं और जिसके कारण वे पक जाती हैं और लोग मर जाते हैं ।

अब गांव में चूहों के बारे में क्या कहूं । वहां चूहों के मारने के लिये दवाई छिड़की जाती है । उससे चूहे तो नहीं मरे, पर बच्चे मर गये । यह दवाई हमारे बच्चों के लिये बड़ी खतरनाक होती है । मेरा सुझाव है कि यह ऐसी चीज होनी चाहिये जो बच्चों को नुकसान न पहुंचावे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

आज धर्म कहां रह गया ? आज वह कोई चीज ही नहीं दिखाई देती है जिसे हम धर्म कहें। धर्म में जिन चीजों की जरूरत होती है वह आज दिखाई नहीं देतीं--

"धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्म लक्षणम् ।।"

धर्म में तो यह गुण होने चाहिये। आज जातिवाद भी कम नहीं है। सन् १९३२ में और १९३७ में हम कहा करते थे--

"आ रहा है कर्म युग, कुछ कर्म करना सीख लो,
देश पर और धर्म पर हंस हंस के मरना सीख लो।
मारने का नाम मत लो, पहले मरना सीख लो,
देश-दुख की अग्नि में तुम पहले जलना सीख लो ।।"

आज धर्म में यह चीज नहीं है।

इसके अलावा, श्रीमन्, आज ए० बी० सी० रजिस्टर बना दिये गये हैं। अब खेती में देखो, भूमिधर, सीरदार, अधिवासी, आसामी--चार कौमें उसमें भी कर दीं। तो यह कौमें नहीं होनी चाहिए।

मेरा सुझाव है कि ऊंचा गांव, तहसील सादाबाद में ६-६ मील तक आसपास में कोई औषधि का इन्तजाम नहीं है और जच्चाखाने तो गांव में हैं ही नहीं, सब आगरा, लखनऊ, बाराबंकी के हिस्से में आ गये। हमारी माता-बहिनें तो ऐसी समझी जाती हैं कि जैसे पशु हों और मरी हुई हों। जहां ८५ फीसदी जनता रहे वहां की माताओं और बहिनों के लिए कोई इन्तजाम न हो, यह कितने दुःख की बात है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गांव के लिए खयाल किया जाय। प्रजातन्त्र की व्यवस्था तभी चल सकती है जब दुःख में, सुख में, हानि में, लाभ में, शत्रु और मित्र, सब के साथ एक-सा व्यवहार किया जाय। जब इन्द्र बरसता है तो सब ठौर पर बरसता है। ईश्वर के यहां तो गरीब-अमीर सभी बराबर होते हैं। आज गांवों में माताएं, बहिनें त्राहि-त्राहि करतीं हैं, उनको औषधि नहीं मिलती है। चेचक निकलती है तो उस गांव में देखने के लिए कोई नहीं आता है।

एक अर्ज यह है कि जो जिला परिषद् के तहसील के अस्पताल हैं वहां गरीब हो या अमीर हो, फौजदारी हो जाय, तो अगर उसके पास देने के लिए १० रुपये हों तो डाक्टरी हो वरना नहीं होती, न उसकी चोट लिखी जाती है। तो इस सुझाव को आप जरूर लिखें और इस पर खयाल करें।

श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपकी आमद से मुझे भी आज वक्त मिल गया। इसका सिला खुदा आपको यह दे कि आप कभी बीमार न हों और बीमार हों तो जल्दी अच्छे हो जायं।

आज का जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है, वह बहुत बड़ी अहमियत रखता है और इस अनुदान से हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा उठ सकता है, लेकिन इस अनुदान के सिलसिले में भी कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कटौती हो जाय, यह बड़े दुःख की बात है। यह मसला हेल्थ, तन्दुरुस्ती का है। अगर नेशन की तन्दुरुस्ती ठीक है तो वह मुल्क हर शोबे में तरक्की करेगा, अपना और कौम का नाम ऊंचा करेगा।

इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि धर्म से बहुत ऊंचे इलाज हो सकते हैं। आज भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। धार्मिक इलाज हर वक्त हो सकते हैं। धर्म की लाइन को हर इन्सान हर वक्त अपना सकता है, कोई सरकार धर्म को नहीं रोक सकती। जो पहले इलाज धर्म से होते थे उनमें दवायें नहीं बल्कि दुवाएं काम करती थीं, दवाओं का नाम ही नाम होता था। इसी सिलसिले में यह भी जाहिर है कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके वक्त में इलाज के सिलसिले में जितनी तरक्की हुई है, मेरा दावा है कि वह ला-मिसाल

है और उसे देख कर ताज्जुब होता है। ज्यों-ज्यों हम इलाज के मुताल्लिक सुनते हैं और जिस किस्म की नयी-नयी ईजाद और आपरेशंस हुए हैं वह हर इनसान को हैरत में डाल देते हैं। हां, यह लाइन ऐसी है कि अगर इसको ईमानदाराना जो डाक्टर हैं वह चलाएं तो वह एक किस्म की पूजा ही कहलाती है और इस लाइन से बढ़ कर दुनिया में और कोई सोशल सर्विस नहीं हो सकती। लेकिन शर्त यह है कि ईमानदाराना काम करते रहें। इस सिलसिले में एक अर्ज है कि बहुत सी जगहों पर जो हास्पिटल्स हैं उनमें इतने ज्यादा मरीज आ जाते हैं जिससे दवाई काफी नहीं पहुंचती। इसलिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा रकम भेजी जाय जिससे सब आदमियों का अच्छी तरह से इलाज किया जा सके।

दूसरी अर्ज यह है कि बहुत से हास्पिटल्स में ऐसा देखा गया है कि कोई गरीब आदमी भरती हो गया लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और उसके मोहलिक मर्ज है जिसके लिये कीमती दवाई की जरूरत होती है। डाक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है, हम मजबूर हैं तो वह गरीब आदमी क्या करे, सिवाय इसके कि वह हास्पिटल में पड़ा-पड़ा जान दे दे। इसलिये मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे अस्पतालों में डाक्टरों को इतना हक जरूर होना चाहिये कि जिस वक्त कोई गरीब मरीज आये, वह जांच कर ले और मार्केट से उस दवाई को लोकल पर्चेज करके उस मरीज का इलाज करे और उस गरीब आदमी की जान बचाये।

एक और सुझाव मेरा यह है कि बहुत से गरीब मरीज मोहलिक मरजों में मुब्तिला होकर छोटे-छोटे अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं लेकिन उन अस्पताल में उस मर्ज के इलाज का कोई साधन नहीं होता, लिहाजा डाक्टर कहता है कि हम मजबूर हैं, आपके लिये हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी अर्ज यह है कि इस तरह के जो मोहलिक मर्जों में मुब्तिला मरीज ऐसे छोटे अस्पतालों में पहुंच जायं उनको वह अस्पताल अपने सर्फे से दूसरे अस्पताल में पहुंचा दे जहां पर कि उस मर्ज का इलाज हो सके, क्योंकि उस मरीज के पास पैसा नहीं होता जिससे वह दूसरे अस्पताल तक पहुंच सके। ऐसी हालत में यह जायज नहीं है कि वह मरीज उस अस्पताल से निकल कर बाहर या अपने घर पर पड़ा पड़ा अपनी जान दे दे। इसलिये उसकी मदद जरूर होनी चाहिये। मुझे बड़ी खुशी है कि इस गवर्नमेंट ने मरीजों और गरीब आदमियों को जितना रुपया दिया है उतना किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। जिलों-जिलों से और गांवों-गांवों से दरख्वास्तें आती हैं कि हम गरीब हैं, हमें इलाज के लिये रुपया मिलना चाहिये और मंत्री जी इस सिलसिले में काफी रुपया देते हैं और इससे काफी सैटिस्फेक्शन है।

एक दूसरा सुझाव मेरा और है। जो मेडिकल कालेज हैं वह एक जगह पर ही हैं। मेरी इस सिलसिले में दरख्वास्त है कि आप कम से कम मेरठ डिवीजन और गोरखपुर डिवीजन में अलग-अलग मेडिकल कालेज खोल दें जिससे वहां के इलाके के आदमी भी सहूलियत से डाक्टरी की तालीम हासिल कर सकें।

एक थोड़ी-सी मेरी अर्ज और है। जहां पर शुगर फैक्टरीज हैं वहां पर मुसलसल तौर पर गन्दगी और बदबू रहती है जिससे वहां पर ज्यादा बीमारियां फैल जाती हैं और किस्म किस्म के मच्छर और जानवर पैदा हो जाते हैं। वह मच्छर अगर काट लेते हैं तो उसका इलाज मुहाल हो जाता है। इसलिये शुगर फैक्टरीज के हल्के में सरकार को मुसलसल पूरी तवज्जह रखनी चाहिये जिससे इस इलाके की गरीब जनता अपनी जिन्दगी आराम से गुजार सके।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण राय जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट पिछले बारह वर्षों के शासन काल में अब तक इस नीति को साफ नहीं कर सकी कि आखिर कौन सी संस्था की दवायें पूरे राष्ट्र के लिये लाभदायक होंगी। आज कोई आयुर्वेदिक के लिये चिल्ला रहा है, कोई होमियोपैथिक के लिये, कोई एलोपैथिक के

[श्री रघुवीरराम]

लिये तो कोई यूनानी दवाओं के लिये ही चिल्ला रहा है । लेकिन सरकार अभी तक यह तय नहीं पर पायी कि कौन सा तरीका इलाज का सारी स्टेट में रहेगा ।

सरकार की एक यह भी नीति है कि हर ५ मील की दूरी पर एक अस्पताल होगा । लेकिन हमारे गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद तहसील में बहादुरगंज टाउन एरिया है जहां की आबादी साढ़े छै हजार की है, लेकिन अभी तक वहां कोई अस्पताल नहीं है । वहां से बलिया का रतनपुरा ७ मील है, आजमगढ़ जिले का मऊ भी ७ मील दूर है, मरदह ७ मील है, कासमाबाद भी ७ मील है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह बाढ़ का इलाका है, बाढ़ के जमाने में चारों ओर जाने के रास्ते बन्द हो जाते हैं, बहादुरगंज जजीरा बन जाता है, इसलिये वहां पर एक अस्पताल का इन्तजाम किया जाय ।

बलरामपुर अस्पताल के बारे में हर पार्टी के लोग जानते होंगे कि वहां पर सारे प्रदेश से लोग आते हैं । लेकिन वहां पर बिल्डिंग की कमी है, मरीजों को रहने की जगह नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उसके करीब ही जमीन खरीद कर वहां बिल्डिंग बनवाई जाय ।

तीसरी बात यह है कि मेडिकल कालेज में जो साथ-साथ अस्पताल भी चलाया जा रहा है, वह उचित नहीं है । अस्पताल अलहैदा होना चाहिये । वह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है । वहां के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इस पर पाबन्दी होनी चाहिये, क्योंकि इससे मरीजों को असुविधा होती है ।

आज कल देहात और जिलों में जो दवायें होती हैं उनमें खासतौर से गुलाबी रंग छोड़ कर दवायें बनायी जाती हैं । एक-एक अस्पताल में २०-२० साल से एक ही कम्पाउन्डर है । जब नया सिविल सर्जन वहां आता है तो वह उसको नचाता है । वहां से वे उन दवाओं को ले जाकर दूसरी दूकानों पर बाहर बेच देता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से खासतौर पर अनुरोध करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और जो कम्पाउन्डर २०-२० वर्ष से एक एक अस्पताल में पड़े हुए हैं उनका तबादला होना चाहिये । बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर डाक्टर ही नहीं हैं, बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां डाक्टर और कम्पाउन्डर दोनों ही गायब हैं । बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां अस्पताल की बिल्डिंग कुछ बनी है और कुछ उसी तरह से पड़ी हुई है, इसलिये मैं खास तौर पर माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इन अस्पतालों की तरफ ध्यान दें ताकि वहां दवाइयों का प्रबन्ध किया जाय, उनमें डाक्टरों का प्रबन्ध किया जाय, उनमें कम्पाउन्डरों का प्रबन्ध किया जाय । ऐसे अस्पताल जिनकी अधूरी बिल्डिंग्स खड़ी हैं उनसे फायदा ही क्या है ? हर एक अस्पताल में मिडवाइफ रखी जाय । देहाती क्षेत्रों में अगर अधिक मिडवाइव्ज नहीं रख सकते तो कम से कम एक-एक, दो-दो तो रख ही दें ।

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों पर अब तक जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है । कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय रामायण राय जी ने जो विचार प्रकट किये, उनको मैंने बहुत गौर से सुना । मेरा अपना ऐसा खयाल है कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वे प्रशंसनीय हैं । यह दूसरी बात है कि सरकार के सीमित साधनों के होते हुए वे सब सुझाव कार्यान्वित न हो सकें, यह एक अलग बात है । किन्तु उनके सुझाव विचारणीय अवश्य हैं । दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सरकार को जो सुझाव दिये हैं, मैं उन सुझावों के लिये उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं ।

मुझे श्री शिव प्रसाद नागर के विचारों को सुन कर बड़ी तकलीफ हुई । उन्होंने माननीय मंत्री जी से कुछ समय पूर्व कुछ शिकायतें खीरी अस्पताल के बारे में कीं । वे स्वयं इस बात को मानते हैं कि सरकार की ओर से तत्परता की गयी, जांच-पड़ताल की गयी और जांच के बाद जो नतीजा निकला उसको भी वे भली प्रकार जानते हैं । उनका शायद यह विश्वास था कि उनकी जो गलत शिकायतें थीं उनको संचालक, स्वास्थ्य विभाग मान लेंगे और वहां के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अवश्य उनको करनी चाहिये थी । मैं समझता हूं कि

उनका यह खयाल सही नहीं था और उनको यहां पर इस प्रकार के विचार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे जहां तक जानकारी है, जो भी शिकायतें लखीमपुर अस्पताल के बारे में उन्होंने कीं, वे सर्वथा असत्य साबित हुईं। मुझे उनके विचारों को सुन कर बड़ी तकलीफ हुई।

यहां पर यह कहा गया कि गांवों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने ये विचार जाहिर किये हैं उनसे मेरा यह निवेदन है कि वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको देखें और अगर वे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसके पेज ११ पर वे देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक ५५९ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना हो जावेगी और पूरे प्रदेश में टार्गेट ८६९ खोलने का है। जब पूरे प्रदेश में एन० ई० एस० ब्लाक्स इतने हो जायेंगे, उसी तादाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना भी हो जायगी। तो यह सारे चिकित्सालय जो ग्रामों में स्थापित हो रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों में, वह सब गांव के लोगों के हित के लिये ही स्थापित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन चन्द वर्षों में ग्रामीण जनता की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग ने जो सेवा की है उसकी माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की है और माननीय सदस्यों ने ही नहीं, बाहर की जनता भी उसकी प्रशंसा करती है।

एक शिकायत यह की गई कि ग्रामीण चिकित्सालयों में या दूसरे चिकित्सालयों में उचित मात्रा में औषधियां नहीं पहुंचतीं। मैं उनसे यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त औषधि देने की एक योजना तैयार की गई थी। उसके तहत में अब तक १७,८९,४०० रु० की अतिरिक्त औषधि इस प्रदेश के चिकित्सालयों को दी गई। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों ने कैसे अनुमान लगा लिया कि हमारे अस्पतालों में औषधियों की कमी है। मेरा विश्वास है कि जनता में घूमने फिरने और अस्पतालों को देखने का मौका हमें भी मिलता है, हमें कहीं भी जनता की ओर से इस तरह की शिकायत नहीं मिली कि अस्पतालों में औषधियां नहीं हैं।

यहां पर यह भी चर्चा हुई कि अस्पतालों की स्थापना शहरों में की जा रही है और शहर के अस्पतालों में जब गांव के लोग आते हैं तो उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। मेरा खयाल है कि यह बात सही नहीं है। यहां लखनऊ का ही मुझे रात दिन का अनुभव है और आप सबको होगा कि यहां सूबे के प्रत्येक जिले से रोगी आते हैं और माननीय सदस्यों को भी इसका ज्ञान है। मैं नहीं कह सकता कि मुझे भी और दूसरे लोगों को कई बार बलरामपुर अस्पताल को टेलीफोन करना पड़ता है कि इन रोगियों को अस्पताल में दाखिल किया जाय और इसी तरह से जो दूसरे अस्पताल हैं उनमें सब को दवा दी जाती है और इलाज किया जाता है। इसलिये यह शिकायत ठीक नहीं है कि गांव के आदमी जब शहर में आते हैं तो उनको शहर के अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। मेरे खयाल से जितने भी रोगी किसी अस्पताल में पहुंचते हैं उनको जगह अवश्य दी जाती है, चिकित्सा की जाती है और यदि वह रोगी दाखिल करने योग्य मालूम पड़ते हैं तो उन को दाखिल कर के चिकित्सा की जाती है।

यह भी कहा गया कि डाक्टरों की कमी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है और सही तथ्य है कि हमारे यहां अस्पतालों में अभी डाक्टरों की कमी है और वह कमी तब तक रहेगी जब तक कि हमारे देश में डाक्टरों में और हमारे मेडिकल कालेजेज से जो विद्यार्थी निकलते हैं उन में गांवों में जाने की रुचि पैदा न होगी। मेडिकल कालेज के वातावरण में रहकर कोई भी विद्यार्थी जो वहां से निकलता है वह गांव में रहना पसन्द नहीं करता। उस के सामने भी कुछ कठिनाइयां हैं। बी० एस-सी० के बाद वह ५ साल तक मेडिकल कालेज में रहता है, वहां के रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है उसको वह गांव में मेनटेन नहीं कर सकता, इस को हम आप सभी महसस करते हैं। इसलिये अब आवश्यकता इस बात की है कि मेडिकल कालेज से अब ऐसे

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

विद्यार्थी निकलें जिनमें गांव में जाकर जनता की सेवा की रुचि हो और इसी वास्ते अब सरकार ने इस प्रकार का आदेश दिया है कि जो भी विद्यार्थी मेडिकल कालेज में भर्ती किये जायं उनसे एक एग्रीमेन्ट किया जाय कि वह कम से कम ३ साल तक ग्रामों तथा पर्वतीय इलाकों में या सीमान्त क्षेत्र में अवश्य रखे जायेंगे।

इस बात की भी चर्चा हुई कि जो डाक्टर गांव में काम करते हैं या सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं या पर्वतीय क्षेत्र में काम करते हैं उन का वेतन कम है। यह तो माननीय सदस्यों को भली प्रकार ज्ञात है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों पर जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोले जा रहे हैं उनमें जो डाक्टर काम करते हैं उनको १२० रुपया अतिरिक्त वेतन और भत्ते के रूप में दिया जाता है। इस तरह से उनके वेतन और एलाउन्सेज में वृद्धि कर दी गई है। मैं समझता हूं, इस वृद्धि से डाक्टरों का रुझान गांवों की ओर जाने का होगा और गांवों वालों को जो शिकायत है कि डाक्टर वहां रहना पसन्द नहीं करते, वह शिकायत भी दूर होगी।

माननीय रामायण राय जी ने कहा कि पी० एम० एस० द्वितीय और प्रथम का जो अलग-अलग ग्रेड है इसको समाप्त कर दिया जाय। मैं नहीं कह सकता कि आज की परिस्थिति में सरकार उसको करने के लिये तैयार होगी या नहीं, पर उनका एक सुझाव है उस पर विचार तो किया जो सकता है। वह बात विचारणीय है।

टी० बी० क्लीनिक्स की कमी की चर्चा की गई। हमारे प्रदेश में जितने लोग यहां बीमार पड़ते हैं उस अनुपात से हम उनको समुचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं क्योंकि सरकार के साधन सीमित हैं और उसमें जो कुछ सरकार कर सकती है वह कर रही है। मैं आपको बताऊं, ७ सरकारी संस्थायें हैं जिनमें ७०२ शैयायें हैं और इनके अतिरिक्त ३ प्राइवेट संस्थायें हैं जिनके पास २७० शैयायें हैं। इसी तरह से और हमारे यहां क्लीनिक्स हैं और प्रदेश में रेडक्रास सोसायटी के भी क्लीनिक्स हैं जो जिला अस्पतालों से लगे हुये हैं, वहां भी कुछ बेड्स हैं और टी० बी० के मरीजों का इलाज होता है। इसके अतिरिक्त न्याय मंत्री के चैरिटी फंड से प्रदेश के मरीजों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे अगर रोगी को किसी अस्पताल में जगह न मिले तो बाहर रह कर अपना इलाज करा सकता है। ऐसी सहायता बराबर ऐसे रोगियों को दी जा रही है।

एक समस्या अब तक सरकार के सामने थी कि जो टी० बी० के मरीज सैनीटोरियम से निकल आते हैं, जिन्हें आराम हो जाता है उनके पुनर्वासन का कोई इंतजाम नहीं था। अब सरकार ने निश्चय किया है कि ऐसे रोगियों का रिहैबिलिटेशन किया जाय। ऐसे २०० रोगियों को प्रशिक्षण दिया जायगा जिसमें टोकरी बनाने की शिक्षा, खिलौने बनाने और टैलरिंग आदि की शिक्षा दी जायगी, क्योंकि टी०बी०का मरीज कोई हार्ड काम नहीं कर सकता, इसलिये यह व्यवस्था की जाती है। १००, १०० के बैच में ६, ६ महीने की ट्रेनिंग दी जायगी। इस ट्रेनिंग पीरियड में सरकार की ओर से उन्हें स्टाइपेंड दिया जायगा। ऐसी योजना सरकार के सामने है।

यहां पर कुछ परिवार नियोजन की भी चर्चा हुई है। श्री यशपाल सिंह जी ने तो मारेल ऐजूकेशन की ओर संकेत किया। इसमें कोई शक नहीं अगर हमारा देश प्राचीन संस्कृति पर चले तो उनकी शिक्षा, मुमकिन है, हमारे देश के लिये इस समय उचित हो। किन्तु आज हम यह देखते हैं कि उस शिक्षा का असर आज की दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा है। जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसका लोग अधिक अनुसरण किये हुये हैं। हमारे देश में दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी हाल में गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ने एक परिवार नियोजन की समिति बैठाई थी और उसकी श्रीमती धनवंतरी रामाराऊ अध्यक्षा थीं। उन्होंने जो प्रतिवेदन सरकार को दिया है उसमें कहा गया है कि ३० वर्ष में जो मौजूदा जनसंख्या है वह दुगुनी हो जायगी। इसको रोकने का उनका एक सुझाव यह है कि १९८६ तक ५० प्रतिशत जो जनसंख्या

है उसको कम कर देना चाहिये जिससे यहां का आर्थिक व सामाजिक जीवन ठीक तरह से चल सके। उनका एक सुझाव यह भी है कि परिवार में औसत ३ बच्चे होने चाहिये। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह कही है कि जन्म कर लगना चाहिये, जो ज्यादा बच्चे पैदा करें उन पर टैक्स लगना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि केन्द्रीय सरकार उनके इस सुझाव पर कहां तक अमल करेगी, लेकिन इस तरह से हमारे देश में विचार होने लगा है कि हमारे देश की जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, उसमें कमी होना चाहिये।

हमारे यहां १३ जिलों में फैमिली प्लानिंग की सब कमेटीज बनाई जायेंगी। अभी तक तो जो हमारा फैमिली प्लानिंग बोर्ड है वह सीधा काम करता था लेकिन जिलों में ऐसा वातावरण पैदा करने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् के साथ १३ जिलों में ऐसी सब कमेटीज होंगी, फैमिली प्लानिंग कमेटी, जो जिलों में प्लानिंग के कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी।

इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोग निरोधक कार्य भी हमारे प्रदेश में चल रहा है। उसके लिये एक कुष्ठ रोग निरोधक समिति हमारे प्रदेश में कायम है जिसके अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री तथा सेक्रेटरी स्वास्थ्य संचालक हैं। हमें यह उम्मीद है कि कुछ वर्षों में हमारे प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कुष्ठ रोग अधिकता से है वह समाप्त हो जायगा।

श्री खयाली राम (जिला लखनऊ)––अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि कई बार उठने बैठने के बाद मुझे भी आपने इस अनुदान पर जो चर्चा चल रही है उससे सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दिया। मैं उस समाज से आया हूं जहां की जनसंख्या इस प्रदेश में ८६.३ फीसदी है। सरकार ने आज तक स्वास्थ्य से सम्बन्धित जितनी भी सुविधायें दी हैं वे केवल १३.७ फीसदी लोगों के लिये ही दी हैं, जो ज्यादातर शहरों के लिये हैं। श्रीमान आज देहातों की दशा जो है वह दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। एक तो आर्थिक परेशानी की वजह से लोग ज्यादा पीड़ित हो गये हैं और कोई भी उनके पास ऐसा साधन नहीं है कि वे अपने मर्ज का इलाज करा सकें। वहां पर दवाखाने भी १४, १५ मील या इससे अधिक दूरी पर है। दूसरे वहां आमदरफ्त के साधन नहीं हैं जिससे मरीज को अस्पताल तक ले जाया जा सके। तीसरे वहां पर अत्यधिक मेहनत करने के बाद संतुलित आहार नहीं मिलता जिससे वहां बीमारियां भी शहरों से अधिक ही रहती हैं जिसके कारण देहात की जनता बहुत पीड़ित है।

(इस समय ३ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

शहरों में मुझे दो तीन साल रहने का अवसर मिला। शहरों में करीब करीब सब जगह अस्पताल हैं। दूसरे मरीजवाहक भी यहां हैं जो मरीज को अस्पताल तक ले जा सकता है और यह मरीज वाहक वहां है जहां पर डामर की सड़कें हैं। देहात में यह मरीज वाहक नहीं मिलेगा जहां आमदरफ्त के अच्छे रास्ते नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूं कि जहां पर डामर की सड़कें बनी हैं वहां तो इक्के और तांगे से भी मरीज अस्पताल जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा इंश्योरेंस कार्पोरेशन है जिसका सम्बन्ध सरकार से हो गया है, इसमें बसों में चलता फिरता दवाखाना होता है। वह भी शहरों में ही है। जहां देहात की गरीब जनता रहती है वहां के लिये ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे वह अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सके।

अब मैं देहातों में जो कुछ अस्पताल हैं उनमें डाक्टरों के द्वारा क्या हो रहा है उसकी कुछ चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। देहातों में जितने भी अस्पताल हैं वे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। उनको अस्पताल न कह कर अगर भ्रष्टाचार के अड्डे कहा जाय तो बेजा न होगा। वहां पर फौजदारी के ३२५ और ३०७ के मुकदमों को ३२३ लिखना और ३२३ दफा का ३२५ व ३०७ बनाना डाक्टरों का रोज का काम है, लेकिन अगर कोई ऐसा केस किसी हरिजन के खिलाफ

[श्री खयालीराम]

हो तो डाक्टर लोग उसे ३२३ के बजाय ३०७ और ३२५ लिख देते हैं । मैं गुजारिश करूंगा कि देहात के डाक्टरों पर यह सरकार ऐसा नियंत्रण रखे ताकि जो राष्ट्र पिता बापूजी ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को सच्चाई और त्याग के साथ राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देना चाहिये जिससे उसकी पूर्ति हो सके ।

सरकार की जो यह नीति है कि १३.७ फीसदी जिन लोगों की आबादी है उनके लिये प्रचुर मात्रा में साधन तथा सुविधायें हैं, उन्हीं लोगों को सुविधायें प्रदान करती है उसको वह बदले । मैं गंगागंज के अस्पताल के बारे में बतलाऊं। वहां हरदोइय्या में एक चमार को एक पंडितजी जबरदस्ती काम पर लिये जा रहे थे । उसने जाने से इन्कार कर दिया, तो उन पंडितजी ने ५-६ आदमियों को लेकर उसके घर पर हमला कर दिया और उसके छोटे भाई को लाठियों से मार गिराया । यह देख कर उसके तीन भाई भी लाठी लेकर अपने भाई को छुड़ाने के लिये निकल आये । पंडितजी को कुछ चोट भी नहीं आई थी लेकिन इस पर हमारे लखनऊ जिले के एक पंडित विधायक वहां पहुंचे और डाक्टर से ३२५ की दफा लिखवाई । इसी प्रकार दइहर में एक चमार को एक पंडितजी ने कांता मारा था जिसे लाठी की चोट लिख कर ३२३ दर्ज किया। उसमें उसी जिले के पंडित विधायक अस्पताल गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या डाक्टर की सलाह से मारा था ? यह जो आप कह रहे हैं इसका इस अनुदान से क्या सम्बन्ध है ?

श्री खयालीराम--डाक्टर ने जो गलत दफा लिखी उसके बारे में मैं कह रहा था । लेकिन मोहनलालगंज के डाक्टर ने ३२३ की दफा लिखी जबकि ३२५ और ३०७ का मुकदमा वह बनना चाहिये था ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एक डाक्टर को तीन साल से अधिक एक जगह पर नहीं रहना चाहिये, यह प्रतिबन्ध सरकार हटा ले । लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है कि एक डाक्टर को एक साल से अधिक एक जगह न रखा जाय और यह इसलिये कि जब एक साल से अधिक एक जगह पर वह रहता है तो वह पार्टी पोलिटिक्स में पड़ कर इस तरह के अन्याय करता है । बद्री हरिजन की बात मैं बतलाऊं जो समेसी का रहने वाला था । वह कई बार बलरामपुर अस्पताल आया लेकिन उसकी भरती नहीं हुई । आखिर में जब लड़ झगड़ कर २ मार्च को उसकी भरती हुई तो परसों मैं समेसी गया था, वहां मैंने पूछा कि वह आ गया या नहीं तो मालूम हुआ कि वह अभी नहीं आया । आज मैं बलरामपुर अस्पताल पता लगाने पहुंचा कि वह भरती है या नहीं तो मुझे मालूम हुआ कि वह २ तारीख को भरती हुआ था और उसी दिन निकाल दिया गया था । अब तक वह घर नहीं पहुंचा इसका राज मेरी समझ में नहीं आता । तो जैसा कि उपमंत्री जी ने कहा कि देहात के लोगों को यहां भरती होने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जो पचासों केसेज उन्होंने टेलीफोन से कहे उनकी भी भरती नहीं हो सकी और जो दो, एक टी० बी० के मरीजों के लिये उन्होंने कई बार टेलीफोन किया उस पर भी उनकी भरती नहीं हो सकी और वे मर गये । तो देहातियों के लिये एक तो कोई उचित व्यवस्था नहीं कि वे देहात में अपना इलाज करा सकें और दूसरे जब वे देहात से शहर आते हैं तो यहां भी उनकी भरती नहीं होती । देहातों में सरकार को चाहिये कि ऐसे चिकित्सालय कायम करे जिससे जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके या जो जनता देहात से शहर में आये तो उसके लिये डाक्टरों को ऐसे आदेश होने चाहिये जिससे उनकी भरती अस्पताल में हो सके ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो बातें अपोजीशन की तरफ से या इधर से कही जाती हैं वह बहुत कुछ सही होती हैं । आज लोगों को तकलीफ है । लोगों को मर्ज से छुटकारा तभी हो सकता है जब मर्ज न रहे । जब तक वह रहेगा तकलीफ भी रहेगी । इतना पैसा नहीं होता है जो अच्छी तरह से इलाज किया जा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है

कि हमारा जो मेडिकल का बजट है वह अन्य रियासतों से कम होता है । यहां तक कि १५ वर्ष पहले यह कहा गया था कि १ रुपये १४ आने पर हैड खर्च होना चाहिये । वह भी नहीं हो सका है और आज मुश्किल से पर हैड १ रुपये तीन आने या एक रुपये चार आने हो पाता है। हमारे मंत्री जी भी इसको महसूस करते होंगे और ऐसी बातें सुनकर उनको भी तकलीफ होती होगी । वह इतना नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना वह करते हैं और कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे प्रदेश का फायदा होगा ।

आज के अखबारों में मैंने देखा है कि सरकार डाक्टरों के लिये शार्ट टर्म कोर्स के लिये तजवीज कर रही है । मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि परमात्मा के नाम पर ऐसा न करें । यह पहले भी आया था और इसको रिजेक्ट कर दिया गया । मध्य प्रदेश ने भी तजवीज की थी कि चार साल का कोर्स रखा जाय । पहले चार साल का कोर्स था लेकिन यह तय हो चुका है कि यह कोर्स काफी नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि कोर्स कम न किया जाय । जो कम्पाउंडर्स और फारमाकोलाजिस्ट हैं उनके लिये दो साल का कोर्स रखा गया है, ऐसी हालत में डाक्टरों का कोर्स ज्यादा होना चाहिये । साइंस में बहुत ज्यादा चीजें हैं । आपने सुना होगा कि फलां जगह ईथर दे रहे थे कि आदमी मर गया । आपको मालूम होना चाहिये कि जब हवा और रोशनी जाती है तो ईथर में चेंजेज हो जाती हैं और वह मुहलक हो जाता है । जब अच्छे साइंटिस्ट नहीं होते तो ऐसी चीजें हो जाती हैं और लोगों को यह बात मालूम नहीं है । इसलिये जरूरी है कि कोर्स कम नहीं होना चाहिये। अगर शार्ट टर्म कोर्स रखेंगे तो लोग सर्विस तो कम करेंगे लेकिन जनता में जाकर लोगों को ठगेंगे कि हम इतने दिन सरकारी डाक्टर रह चुके हैं, हमारा इलाज कराओ क्योंकि उनके लिये और कोई गुंजायश नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि मेडिकल कालेज का खर्चा ज्यादा है लेकिन जनरल प्रैक्टीशनर्स आप निकाल सकते हैं। जैसे दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएट का कालेज है, इसी तरह से एक आध कालेज में कोर्स बना दीजिये जिनमें लोग अपने को स्पेशलाइज कर सकें । इन कालेजों से जनरल प्रैक्टीशनर्स निकलने लगें तो खर्चा कम हो सकता है ।

दूसरी बात टी० बी० क्लिनिक का जिक्र किया गया है । उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा है कि इतना रुपया लगा कर बनाया जाय तो इतना तो नहीं है। मेरा खयाल यह है कि जैसा यह रोग है, जब तक यह क्लिनिक्स बनेंगे तब तक हमारे सैकड़ों, हजारों नौजवान खत्म हो जायेंगे । मेरा खयाल यह है कि हम चीप क्लिनिक्स बनायें और म्युनिसिपैलिटीज को मजबूर करें कि वह इनको बनायें । एक छप्पर ही डाल दें और नीचे से पक्का कर दें तो हजारों आदमियों की लाइफ बचा लेंगे । म्युनिसिपैलिटीज के डाक्टर सेंटरों में जाकर देख आया करें ।

हमारे यहां रिसर्च का काम कम हो रहा है । ड्रग्स की रिसर्च रशिया, चायना में इस कदर हो रही है, इतनी ड्रग्स निकल रही हैं कि ऐंटी बायोटिक्स से आगे जा रही हैं । हमारे यहां रिसर्च वर्क बहुत कम है । सी० डी० आर० आई० और मेडिकल कालेज में कुछ होता है लेकिन वह बहुत कम है । इसको बढ़ाया जाय, Scholarships दिये जायं ।

फैमिली प्लानिंग के बारे में मैंने सुना । मारल टीचिंग बहुत ठीक है । कौन मना करता है ? और भी ज्यादा हो । लेकिन जो उधर रुजू न हो सकें वह क्या करें ? अगर यह नहीं होगा तो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और भी भूखे मरेंगे लोग । इतनी जमीन नहीं है, जितनी आबादी हो जायगी। इसलिये फैमिली प्लानिंग पर भी ज्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत है ।

एक बात और मैं हर दफा कहता हूं और इस बार भी कह दूं । कम से कम मेडिकल कालेज में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय । मैंने सुना था कि वह बन्द होने वाली है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि बन्द हुई । टीचिंग इंस्टीट्यूशन्स में प्राइवेट प्रैक्टिस

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

बन्द होनी चाहिये । वेतन कुछ बढ़ाया जाय । अगर बन्द नहीं होगी तो डाक्टर गरीबों को वक्त नहीं दे सकते ।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो अनुदान चल रहा है दिल तो यह चाहता था कि इसका समर्थन करूं लेकिन मजबूर हूं । उसका विरोध इसलिये करता हूं :—

"ना खुदा मदमस्त है, दरिया भी तुगियानी पे है ।
या इलाही खैर कर, किश्ती किनारे से लगे ।।"

सरकार आज अमेरिका और इंगलैंड के ढंग पर हिन्दुस्तान में काम कर रही है । अभी डाक्टर साहब ने जैसे कहा कि सरकार की यह स्कीम है कि टी० बी० अस्पताल बहुत बड़ा होना चाहिये । न इतना पैसा सरकार के पास होगा और न अस्पताल बन पायेगा । दिन पर दिन टी० बी० बढ़ती जा रही है । नतीजा होगा कि वह और बढ़ जायगी और एक दिन ऐसा आयेगा कि बर्थ कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी । वह खुद ही हो जायगी ।

चार तरह के इलाज आम तौर से हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में चलते हैं—एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी । सरकार एलोपैथी को २९ फीसदी रुपया देती है । आयुर्वेदिक को साढ़े चार फीसदी देती है और होम्योपैथिक का खुदा ही हाफिज है । सरकार को तो अंग्रेजी चाहिये, चाहे वह दवा हो, चाहे भाषा हो, चाहे भूषा हो, अंग्रेजी की ही जरूरत है, हिन्दुस्तानी से कोई मतलब नहीं । जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में नहीं थे तो अंग्रेजी इलाज नहीं होता था । उस समय क्या यहां दवा दारू नहीं होती थी ? अगर सरकार चाहती है कि ४२ वर्ष के बजाय ७२, ८२ और ९२ वर्ष की उम्र हो जाय तो जरूरत इस बात की है कि सरकार आयुर्वेदिक दवाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा मदद करे क्योंकि वे सस्ती भी होती हैं और एक खास बात होती है। जहां तक मैंने डाक्टरों से मालूम किया है, एलोपैथिक इलाज में मर्ज को फौरन तो जरूर अच्छा कर देते हैं लेकिन उस मर्ज की जड़ को कभी नहीं खो पाते । साल दो साल में मर्ज फिर उभड़ जाता है । आयुर्वेदिक इलाज में एक खास बात होती है कि जब एक दफा मरीज का मर्ज दूर हो गया तो फिर जिन्दगी भर में दुबारा वह मर्ज नहीं होगा, दूसरा मर्ज चाहे भले ही हो जाय ।

अब मैं आपको यह भी बताऊं कि देहातों से सरकार को कोई वास्ता नहीं है, शहरों से वास्ता है । शहरों में बड़े-बड़े डाक्टर हैं, बड़े पड़े अस्पताल हैं । सब कुछ है । लेकिन देहात खाली पड़े हुये हैं । हमारे जिले शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के खेराबझेड़ा परगने में कटरा से लेकर दातागंज तक करीब ३० मील का फासला है जहां शफाखाना एक भी नहीं है । वहां तीन-तीन, चार-चार नदियां पड़ती हैं । अब मान्यवर, आप सोचिये और मंत्री जी सोचें कि जहां तीन-तीन, चार-चार नदियां पड़ें बीच में और जहां ३० मील तक कोई अस्पताल न हो, बरसात के मौसम में जब जूड़ी-बुखार चलता है तो फिर वहां की देहाती जनता का क्या हाल होता होगा ? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम उस इलाके का जरूर वह ध्यान रखें और एक अस्पताल वहां खोलने की कृपा करें ।

एक बात मैं और बताऊं । अस्पतालों में लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार होता है । मैं उसे भ्रष्टाचार कहूं या क्या कहूं ? अस्पतालों के करीब में डाक्टर लोग दूकान रखवा देते हैं दूसरे डाक्टर के नाम से या किसी नाम से और अस्पताल की दवा बिकती है उस दूकान पर। मरीज आता है, उससे कहते हैं कि अस्पताल में दवा नहीं है, जाकर फलां दूकान से मोल ले लो । अब भला बताइये कि मरीज तो आता है यह सोचकर कि चलूं अस्पताल में चलकर दवा कराऊं, अगर उसके पास पैसा ही होता तो फिर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह प्राइवेट डाक्टर के पास क्यों न जाता ? अस्पताल में तो वह इसी मतलब से आता है कि उसके पास पैसा नहीं है होता, दवा वहां उसे मुफ्त मिल जायगी । लेकिन वहां जाकर फिर उसे वही मुसीबत आ घेरती है कि दवा दूकान से जाकर लो । तो कम से कम इन बातों की ओर तो माननीय मंत्री जी ज्यादा ध्यान दें । तभी देश का उद्धार होगा जब गरीबों की तरफ वह ध्यान रखेंगे और शहरों की तरफ से हटकर देहात की तरफ सोचेंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कि आपने सुबह व्यवस्था दी थी, दस मिनट लेना चाहूंगी ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है ।

श्रीमती चन्द्रावती—धन्यवाद । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं । यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पुस्तिका बंटी है इसमें सबसे पहले यह लिखा गया है कि जहां पर राज्य की ८० प्रतिशत जनता रहती है वहां जनता को यह सेवायें आसानी से सुलभ हो सकें । ८० प्रतिशत जनता का जो यह नाम लिया गया है यह ग्रामीण क्षेत्र की संख्या है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को निस्संकोच कहती हूं कि जितने भी डिपार्टमेन्ट से किताबें निकली हैं सबमें ही इस ८० प्रतिशत जनता का उल्लेख मिलता है । जैसे कि रामायण और धार्मिक पुस्तकों की शुरुआत होती है उसी तरह से हरएक विभाग की पुस्तिका में ८० प्रतिशत जनता का उल्लेख मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता ह । यह सही ह कि वोट लेना देहाती क्षेत्र से है, किसानों से है इसलिए उसका नाम सब जगह पहले मिलता है । लेकिन ८० प्रतिशत जनता का नारा लगाना दूसरी बात है और लोक–व्यवहार में जो चीज प्रचलित है वह दूसरी बात है । यहां पर थोड़ा सा उल्लेख में यह कर दूं कि अगर प्रत्येक जिले का विवरण हास्पिटल्स का देखा जाय तो सभी जिलों में शहर के हैडक्वार्टर पर हास्पिटल्स खोले गए हैं और खोले जायेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इस तरह से हास्पिटल वगैरह खोलने की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की जाती है और न ही उसका कोई औचित्य ही समझा जाता है । मेडिकल कालेज कानपुर शहर में खोला गया । अच्छा होता वह ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाता । मैं इस विवाद में अधिक न पड़कर यहीं पर इसे खत्म कर देना चाहती हूं ।

आगे चलकर इसमें लिखा गया है कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनेक अन्य अंग हैं। जैसे रोगों पर नियंत्रण रखना, उत्तम प्रकार की चिकित्सा सहायता और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जिसमें परिवार नियोजन भी सम्मिलित है व्यवस्था करना । मैं इन तीनों चीजों को उचित समझती हूं बशर्ते उसमें पूरा ध्यान दिया जाय। बहुत सा रुपया खर्च करने से एक चीज में सुन्दरता नहीं आ सकती भले ही थोड़े देर के लिये उपयोगी सिद्ध हो जाय लेकिन थोड़े पैसे में ज्यादा उपयोगी चीज दिखायें तो कुछ बधाई के पात्र हो सकते हैं। एक चीज यह जो हमारी पुस्तक में है उसमें पिछले दस वर्षों में चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य के कार्यों पर हुये व्यय की प्रगति का विवरण दिया गया है और जिसका आधार सन् १९५१ से लेकर १९६० तक बताया जाता है और जिसमें चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, भवन, चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य का योग २ से लेकर ८ करोड़ तक बढ़ता हुआ दिखाया जाता है । यह सही है कि इस विभाग की ओर जो व्यय भार बढ़ा है उससे थोड़े से रोगों पर कंट्रोल और थोड़ी-सी विभाग की खूबसूरती पाई गई है, लेकिन जहां पर ६,३२,३५,४४२ जनसंख्या है वहां पर एक रुपये से अधिक प्रति मनुष्य पर जरूर खर्चा पड़ जाता है किन्तु मैं यह जानना चाहूंगी कि ग्रामीण जनता के ऊपर कितना प्रतिशत इसमें से मिलता है । मैं यह समझती हूं कि शहरी क्षेत्र में यह सारी धनराशि व्यय की जाती है । इसमें भी अगर आप इन्क्वायरी करके आंकड़ें देखे तो कर्मचारियों के लिये जो मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दी गई है उसमें

[श्रीमती चन्द्रावती]

ज्यादा व्यय पाया जायगा। मैं इस अवसर पर एक बात कहना नहीं भूलूंगी और माननीय मंत्री जी इस बात को सोचें कि आपने जो यह मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रखी है इसको न करके अगर उसको रुपये में कर दिया जाय तो अधिक अच्छा रहेगा। जैसे कि वह अपने पास से खरीदकर डिपार्टमेन्ट से रुपया लेते हैं उसी तरह से वहां से रुपया ले लें। आज यह है कि अस्पतालों से दवाई लाकर अपने घरों में जमा करते हैं और बाज वक्त देखा गया है कि घरों में व्यर्थ दवा पड़ी रहती है और वह इस्तेमाल में नहीं आती है। रुपये की व्यवस्था करने पर ऐसा नहीं हो पायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आजकल दवा खाने की प्रणाली-सी बन गई है। हम लोगों की कुछ ऐसी मनोवृति बन गई है कि उसके लिये प्रचार करना आवश्यक अंग बन गया है। जिस प्रकार से दवा खाने का एक शौक-सा बन गया है और टानिक के लिये दवाई खायी जाती है तो वह नहीं होना चाहिये.....

श्री उपाध्यक्ष---आशा है विधान सभा के सदस्य आपकी इस बात पर ध्यान देंगे।

श्रीमती चन्द्रावती---उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गवाही के लिये यहां पर डाक्टर साहब मौजूद हैं। मैं तो इन दवाइयों से कोसों दूर रहती हूं। मैं सब से ज्यादा बीमार रहती थी लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से मै बिलकुल वंचित सी हो गई हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त चूंकि एक इसका प्रचलन सा बढ़ गया है और सब का नियम सा बन चुका है और इसके बगैर हम लोगों का जरा भी विमाग टिकता नहीं है लेकिन अगर देखा जाय तो बलरामपुर अस्पताल में जो योगिक आसनों का विभाग खोला गया था उसको प्राथमिकता देनी चाहिये, जल चिकित्सा को प्राथमिकता देनी चाहिये और जैसा कि और भाइयों ने यहां पर कहा है कि आयुर्वेदिक प्रणाली को प्राथमिकता देनी चाहिये, यूनानी पद्धति को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस प्रकार के सस्ते इलाज से बहुत से रोग निर्मूल हो सकते हैं।

अब मैं थोड़ा-सा ध्यान एक और चीज पर दिलाना चाहती हूं। जैसा कि अभी तीन रास्ते बताये गये है, उनमें से मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि कितना रुपया व्यय किया जाता है। महिला विभाग पर कितना व्यय किया जाता है? महिला अस्पतालों का यदि मरदाने अस्पताल के साथ मिलान किया जाय तो बजट में उनका प्रतिशत बहुत कम पाया जायगा जब कि उनका रोग यह समझना चाहिये कि जो हमारे आगामी बच्चों पर बनने वाले नागरिकों पर असर डालेगा। उसकी ज्यादा परवाह करनी चाहिये, लेकिन दुख है कि मातृशक्ति को कुछ न कुछ इस तरह की शिकायत पकड़ने पर जिससे भविष्य में सन्तान बहुत कमजोर पैदा होती है उनके रोग दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें तो वे अपने डिपार्टमेन्ट को सुधार के रूप में पा सकेंगे। इस सुधार के विचार से परिवार नियोजन के लिये मैं अपना एक सुझाव देना चाहती हूं। परिवार नियोजन की यहां बहुत चर्चा है। हर साल इस पर चर्चा होती है। जैसा कि मुझे ज्ञात है, केन्द्रीय सरकार के द्वारा इसमें कुछ रुपया दिया जाता है और कुछ इस विभाग से भी दिया जाता है जो प्रान्तीय शाखाओं द्वारा खर्च किया जाता है। मैं इस प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगी कि कुछ रुपया और मिलाकर गांवों में इस के यूनिट खोल दिये जायं और उस के साथ मिडवाइफ रख कर एक सेंटर सा खोला जाय। इसमें रुपया भी कम लगेगा और जच्चा-बच्चा की रक्षा हो सकेगी। इसमें थोड़ा रुपया ही खर्च होने की संभावना है। इसके अलावा परिवार नियोजन इस तरह से चलने वाला नहीं है। इसमें रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और इससे उचित लाभ नहीं होता। इसमें हर आदमी के लिये एक सटेंन एज के बाद आपरेशन कराना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये, तभी यह सफल हो सकता है।

इस को बढ़ाने के लिये आपको आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि एक सर्टेन एज के बाद यह कार्य अनुचित हो जाता है।

इसके साथ हो साथ में यह सुझाव भी देना चाहती हूं कि हमारे यहां एक बार बहुत पेनिसिलीन चलो और उस समय २० रुपया तक एक पेनिसिलीन एंजेक्शन पर खर्च किया जाता था। यह ठीक है कि अब वह इतनी अधिक अपने देश में बन गयी है कि सस्ती हो गयी है लेकिन उसके जो भयंकर परिणाम हो रहे हैं उनको ओर से यह सरकार उदासीन है। दवाई बनाने के लिये जो इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट अपने कारखाने बढ़ाते जा रहे है उन पर रोक होनी चाहिये और वे कारखाने सरकार के अधीन होने चाहिये। यह इस तरह से जीवन के साथ खेलना है। प्राइवेट कैपिटलिस्ट मिलावट करके दवाइयां तैयार कराते हैं जिससे आये दिन हम देखते हैं कि बुरा रिएक्शन होता है और बहुत सी डेथ्स हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ। श्री राजाराम शर्मा जी, आप केवल ५ मिनट लेंगे।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है और रुपया भी कम है, लेकिन फिर भी कटौती का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष---आप माननीय मंत्री जी के बहुत नजदीक हैं।

श्री राजाराम शर्मा---तो यह उचित नहीं मालूम होता और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसे वापस कर लेना चाहिये। मुझे कुछ जरूरी बातें कहनी हैं, वह सुनें।

एक तो हमारे यहां का अस्पताल हटाकर मुंडेरवा चला गया है और वहां १० मील के एरिया में कोई अस्पताल नहीं है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मेंहदावल अस्पताल जो है उसमें साल भर तक दवाइयां ही नहीं पहुंची। फिर जब लिखा गया तो उसके बाद पता नहीं चला कि वहां दवाइयां पहुंची या नहीं। मेरा सुझाव है कि दवाइयां समय पर पहुंचनी चाहिए। किसी भी नुस्खे में ४ या ५ दवाइयां पड़ती हैं। अगर एक भी दवा उनमें से नहीं है तो नुस्खा बेकार हो जाता है। इसलिये हर दवा को समय पर पहुंचना चाहिये।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवायें गांव के सस्ते इलाज हैं। मैं यह नहीं कहता कि एलोपैथिक से लाभ नहीं होता या नहीं हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिये। यह गांव की चीज है, सस्ती चीज है, और अगर अस्पताल में दवा न हुई तो वे वैद्य नुस्खा ही लिख देंगे कि इस तरह से यह दवा बना लो और उससे लाभ हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शोर बहुत हो रहा है। मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि अगर बात करनी है तो लाबी उसके लिये बनी है।

श्री राजाराम शर्मा---हमारे यहां सफाई इंस्पेक्टर हैं। वह दूध और मिठाई पकड़ने में ही ज्यादा जोर लगाते हैं, यह नहीं देखते कि गांव में कहां और कितनी गन्दगी है, कहां सफाई नहीं है। इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। दूध और मिठाई पकड़ कर वे कुछ प्राप्ति कर लेते हैं और उनका काम समाप्त हो जाता है इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा चेचक के टीके की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। पहले हर साल प्लेग फैलता था, हैजा फैलता था। उसी को लोग जानते थे। किन्तु सरकार के प्रयत्नों से अब उस पर काबू पा लिया गया है। अब हैजा और प्लेग आदि बहुत कम सुनाई पड़ते हैं। बच्चे पूछते हैं कि प्लेग कौन बीमारी है? अब तो चेचक ही सुनाई पड़ती है। इसको हमारे यहां

[श्री राजाराम शर्मा]

बेवीजी कह कर ही लोग जिन्दा रक्खे हैं। इसके लिये जब लोग छापा लगाने के लिये जाते हैं तो गांव वाले अपने बच्चों को घरों में छिपा लेते हैं और छापा लगाने वालों को कुछ 'सीधा' नकद या अनाज वगैरह देकर चलता कर देते हैं। वे इतना उससे डरते हैं जिससे कि यह बीमारी फैलती चली जा रही है। सरकार को इस तरह का एक अभियान चलाना चाहिये जिसके द्वारा लोगों को टीका लगाया जाय और यह बीमारी खत्म हो।

इसके अलावा मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि बस्ती में फल अनुसन्धानशाला है। यदि उसमें जड़ी-बूटियां भी लगायी जायं तो इससे हमारे वैद्यों को भी मदद मिलेगी और प्रदेश का भी कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दो तीन मिनट दे दिये जायं, क्योंकि मेरी निजी भावना का कुछ सवाल है जिसे मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप दो-तीन मिनट बोल सकते हैं।

श्री बुद्धीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार स्वास्थ्य के संबंध में जो कदम उठा रही है उसमें उसे सफलता अवश्य मिली है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। ऐसी जगह अस्पताल खोलने की जरूरत है जहां पर यातायात के साधन नहीं हैं और न डाक्टर ही हैं। वहां वही पुरानी लकीर के फकीर हैं जो उन इलाकों में अपनी पुरानी दवादारू से इलाज कर लिया करते हैं। मैं इस सदन में सन् ५७ से साल ब साल देख रहा हूं और चिकित्सा के सम्बन्ध में मुझे कुछ अनुभव भी हुआ है। जो बीमारी मेरे दिमाग में भी न थी और जिसका नाम भी पहले न सुना था वह आज सुन रहा हूं। आज बहुत-सी बीमारी वैज्ञानिक ढंग की खोज से निकली है। इन बीमारियों को लोग देहातों में जानते तक नहीं। मेरी स्त्री काफी बीमार हुई, उसको गांव के हकीमों ने पेट का दर्द बताया। मैं जब आन्दोलन में जेल गया था तब वह बीमार हुई थीं। उनकी असली बीमारी का पता तब चला जब मैं उसको बलरामपुर अस्पताल ले आया। यहां बलरामपुर में दाखिल होने के ५० दिन बाद इस बात की घोषणा की गयी कि कैन्सर की बीमारी है। कैन्सर सुन कर मैंने यह समझा कि यह कोई नयी बीमारी है। अंत में लाइलाज होने के कारण मेरी स्त्री का स्वर्गवास हो गया। उसको देखने मेरी लड़की आया जाया करती थी। उसी की फिक्र में वह भी ऐसी बीमार हुई कि वह मेडिकल कालेज में टी० बी० से बीमार है। यहां तक कि मैं स्वयं भी ऐसी बीमारियों को सुन कर, उनकी मौत को देख कर इतना कमजोर हो गया हूं। मेरी प्रार्थना यह है माननीय मन्त्री जी से कि बेरनी, जिला मुरादाबाद में एक अस्पताल खोला जाय। जब जनतंत्रीय सरकार है तो मंत्रियों, मुख्यमंत्री का ध्यान जरूर जायगा हर इलाके की ओर। लेकिन जब मैं देखता हूं अपने इलाके और अपने जिले में कि जहां मंत्रियों के दौरे होते हैं, प्रोग्राम रखे जाते हैं जिस जगह अस्पतालों की सिफारिश की जाती है वह ऐसी जगह पर की जाती हैं जहां पर जल्दी से उनकी मोटर पहुंच जाय या उनके स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी पहुंच जायं और कागज में रिपोर्ट दे दें कि वह बहुत अच्छे चल रहे हैं।

लाल बत्ती जल गयी है, अब मैं सुझाव दिये देता हूं। मैंने यह नीयत कभी नहीं रखी कि मेरे यहां कोई अस्पताल खोला जाय। मैंने स्वय एक तजुर्बा किया, मंत्री जी से सहायता न मांगकर अपने ही तौर पर एक अस्पताल अपने यहां खोला है, किसी से कुछ नहीं मांगा। यह जरूर है कि मुरादाबाद के कलेक्टर ने मेरी निजी भावना को देख कर कुछ रेड-क्रास से सहायता की और वह कम से कम १२ हजारकी लागत से की, जिससे कलावती प्रसूति गृह का निर्माण हुआ है और वह इसी हफ्ते में बन कर तैयार हो गया है। मेरी निजी भावना यह है कि अगर मंत्री जी प्रान्त भर का सर्वे करा रहे हैं और ऐसे इलाकों की खोज करा रहे हैं जहां अपस्तालों की वास्तविक जरूरत है तो माननीय मंत्री का ध्यान गांवों की ओर जाना चाहिये जहां पर जो जनने वाली

औरते हैं, वह परेशानी में हैं। यहां पर दाई आकर जंग लगी हुई दराती से बच्चे की नाल काट देती हैं जिससे हजारों बच्चे मर जाते हैं। चन्दौसी और मुरादाबाद पहुंचने के लिये रास्ते ही में औरतों की मौतें हो जाती हैं। इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि लोगों को उत्साहित करने के लिये जिससे लोगों में जनतंत्र के प्रति आस्था बढ़े तो मैं दावत देता हूं कि कम से कम उस कलावती प्रसूति गृह को आप मेरे गांव में चल कर देख लें और देखने के बाद में आप से यह मतालबा करूंगा कि उसको कुछ मदद देकर उसे और आगे बढ़ाने का इन्तजाम कर दें। मैं कोई भीख के तौर पर सहायता नहीं मांगता हूं..

श्री उपाध्यक्ष––आप का समय समाप्त हुआ। श्री कल्याण चन्द मोहिले, आपके लिये दो-ढाई मिनट हैं।

*** श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)–– दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में याद दिलाऊंगा सरकार को कि जो माननीय खेर जी के सभापतित्व में १९४६ में कमेटी बनी थी जिसमें सरकार ने यह तय किया था कि दो मेडिकल कालेज, लखनऊ के अलावा कानपुर और इलाहाबाद में बनाये जायं, तो दुर्भाग्यवश इलाहाबाद का तो पीछे रह गया और कानपुर में मेडिकल कालेज बन गया। इस समय वहां पर एक अस्पताल बन रहा है जो ८–१० बेड का बन रहा है। मैं सरकार से कहूंगा कि खेर जी की रिपोर्ट के अनुसार वहां मेडिकल कालेज शीघ्रातिशीघ्र बनाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का समर्थन करता हूं।

श्री रामायणराय––मान्यवर, आज के इस महत्वपूर्ण अनुदान के संबंध में दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने काफी गम्भीर सुझाव दिये हैं। हां, इतना जरूर है कि अभी थोड़ी देर पहले उधर की एक सदस्या ने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में एक ऐसा सुझाव दिया जिसको सुन कर मैं तो बहुत घबरा गया। ठाकुर साहब तो वह उम्र पार कर चुके हैं, मुझे अभी काफी दिन इस दुनियां में रहना है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रतिक्रिया स्वरूप सुझाव न लाये जायं तो अच्छा हो। मैं मानता हूं कि ठाकुर साहब केवल सदस्यों को ही देखने नहीं जाते हैं अस्पतालों में, गांवों के अस्पतालों को भी जा कर देखा है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने यह भी जानने की चेष्टा की है कि उनके विभाग के जो बड़े-बड़े अफसर हैं उन्होंने कभी शहरों को छोड़ कर गांवों में जाने की कोशिश की है? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले १०–१२ वर्षों में कौन बड़े अफसर हैं उनके विभाग के जिन्होंने गांवों में चिकित्सालयों की दुर्दशा को जा कर देखने का प्रयास किया?

दूसरी एक आवश्यक बात आपके द्वारा मुझे उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं एक नयी प्रकार की व्यवस्था के सम्बन्ध में। आजकल उच्च अधिकारियों को और हम माननीय सदस्यों को दवाई के बदले रिइम्बर्समेन्ट की सुविधा हमारी सरकार ने दे रखी है। रिइम्बर्समेन्ट के मामले में मेरा अपना खयाल यह है कि अगर पैसा न देकर दवाइयां दी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसा सुझाव इसलिये दे रहा हूं क्योंकि कभी-कभी फर्जी कागजात आते हैं। जिले में कलेक्टर साहब सोने जैसी क़ीमती दवा खरीदकर खा जाते हैं, सिविल सर्जन की क्या हिम्मत है कि वह इनकार कर सके। मान्यवर, ऐसा भी होता है कि वही दवाई हास्पिटल को कम दाम में मिलती है––यह आप मानेंगे––लेकिन प्राइवेट केमिस्ट के यहां वही दवाई हाई रेट पर मिलती है। जो दवाई ७ रुपये में हास्पिटल सप्लाई कर सकता है उसको प्राइवेट केमिस्ट १०–१२ रुपये में देता है। तो अधिक पैसा हमारी स्टेट का रिइम्बर्समेन्ट के झगड़े में खर्च हो जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस को दूर करने के लिये हमारे अस्पतालों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

को दवाई के क्षेत्र में सम्पन्न बनाया जाय ताकि पैसे के स्थान पर दवाई दी जा सके। पैसे की सहायता नहीं मिलनी चाहिये।

ग्रामीण अस्पतालों के सम्बन्ध में मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसा कि अभी एक माननीया सदस्या ने कहा कि कुछ रोगों में उनको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन फौरन वहां तक पहुंचने के लिये उनके पास कोई साधन नहीं होते जिससे मरीज समाप्त हो जाता है। इसलिये ऐसे अस्पताल जिला अस्पतालों से कोई सहायता ले सकें, इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रामीण अस्पताल में एक मोटर गाड़ी जरूर होनी चाहिये। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं वहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसका कारोबार तथा आकार बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर न तो पैथालोजिस्ट हैं और न रेडियोलोजिस्ट हैं। आखिर रेडियोलोजिस्ट कहां से मिलें ? दूसरे देशों में रेडियालोजिस्ट के लिये तरह-तरह की सुविधायें हैं। यह बड़ा टेक्निकल किस्म का काम है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इस पेशे में जो डाक्टर जाता है उसकी आंखें भी अन्धी हो सकती हैं। दूसरे देशों में उसके सीने पर एक घड़ी लगी रहती है जिससे यह मालूम हो जाय कि रेडियो मशीन कितनी एक्सपोज्ड हो, जब वह हट जाय। तो डाक्टर इसमें जाने के लिये हिचकते हैं। आज कोई डाक्टर अनेस्थीसिया में स्पेशेलिस्ट होने को तैयार नहीं होता, क्या इसका कारण जानने की मंत्री जी ने कभी कोशिश की ? तो ये ऐसी सेवायें हैं जिनके बिना अस्पताल अधूरे रहते हैं। एक सर्जन से कम इम्पार्टेन्ट अनेस्थीस्ट नहीं होता। मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि उनका अभाव है, जितनी संख्या में सरकार चाहती है उतने वह नहीं मिलते। अभी एक माननीय सदस्य के भाषण के सम्बंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में एक अच्छे से अच्छा अस्पताल बनें, लेकिन बहुत अच्छे अस्पताल कब बनेंगे, इसको माननीय मंत्री जी स्वयं जानते होंगे। मैं सीमित साधनों के अन्दर उनसे आग्रह कर रहा हूं कि बलरामपुर जैसा अस्पताल भी तो आप सारे जिलों के केन्द्रों में बना दें, जिसकी प्रशंसा दोनों तरफ के लोगों ने की है। एकाध लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है।

कुछ लोगों ने एलोपैथी सिस्टम के खिलाफ भी प्रवचन कर डाला। मैं जानता हूं कि उनके बड़े से बड़े नेता एलोपैथिक अस्पतालों में भरती हुये हैं। मेरा मतलब समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य से है। मैंने देखा है कि हिन्दी, हिन्दुस्तान, भारतीय औषधि का ये लोग नारा लगाते हैं, लेकिन जाते हैं एलोपैथिक अस्पतालों में। ज्ञान चाहे अमरीका का हो या रूस का हो, यदि उपादेयता उसमें हो तो उसे लेना चाहिये। ज्ञान से ऐसे नहीं भड़कना चाहिये जैसे कि लाल कपड़े से सांड़ भड़कता है।

अगर मंत्री जी दो एक घोषणायें भी कर दें तो मैं समझूंगा कि आज के अनुदान के बारे में जो विचार प्रकट किये गये हैं वे सफल हुये हैं। माननीय उपमंत्री जी ने भी स्वयं कबूल किया कि वे विचार काफी मूल्यवान थे। पहली बात पूर्वी जिलों में गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज खोलने की कृपा करें। गोरखपुर में इसलिये कह रहा हूं कि वह डेढ़ करोड़ जनपद के अन्दर एक ऐसा स्थान है जहां इस बात की नितान्त आवश्यकता है। मेरा लोकल पैट्रियोटिज्म नहीं बोल रहा है। मैं उस जिले का रहने वाला भी नहीं हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कई मेडिकल कालेज खोलने वाले हैं, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में। हमारे कोटा का कालेज गोरखपुर में खोला जाय, यह हम चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि केवल मंत्री जी की सक्रियता से ही काम चलने वाला नहीं है। जिस लगन से वह इस विभाग को संचालित करने की चेष्टा कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने अफसरों को भी उसी लगन से संचालित किया होता और उन बड़े अफसरों ने गांवों के अस्पतालों को जाकर देखा होता तो जो शिकायतें आज उन्हें सुनने को मिली हैं वे कदापि न मिलतीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सब से पहले मैं भाई रामायणराय जी का शुक्रिया अदा करता हूं और दोनों तरफ के भाइयों का भी कि उन्होंने जिस तरह से कल हमारे विभाग के अनुदानों

पर कृपा दृष्टि रखी वैसी ही मुझे आज भी नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि जिस हंसी-खुशी के साथ वे पास हुये वैसे ही आज भी होंगे। आज एक खूबी मैंने और देखी कि कुल १ रुपया काटना चाहा है। यह भी खुशी की बात है। मैं आशा करता हूं कि रामायणराय जी जो बलरामपुर अस्पताल की ७५ फीसदी दवा खा गये वह कैसे यह कहेंगे कि सारी धनराशि काट कर १ रुपया कर दी जाय। उन्होंने जो रियायत की है उसमें उनका भी स्वार्थ है और हमारा भी स्वार्थ है, वरना हम कहां से उनके लिये इतनी दवाइयां लाते ?

बहुत से सुझाव दिये गये। हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया कि हमारे डाक्टर बी० डी० ओ० के मातहत हो जाते हैं, इससे डाक्टरों में बेचैनी है। मैं भी इसको महसूस करता हूं और हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। हमारा विभाग और प्लानिंग विभाग इस सम्बन्ध में परामर्श कर रहा है। कोई न कोई इसका हल अवश्य निकलेगा।

डाक्टरों के देहात में न जाने की बात भी कही गयी। उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये गये। हम भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेरे जिले में ६-७ अस्पताल हैं, उनमें से एक भी डाक्टर नहीं है और इस वजह से नहीं है कि कहीं कोई यह न कह दे कि पक्षपात किया। इस सम्बन्ध में भी हमने सोचा है। जैसे बार्डर एरिया के लिये २०० रुपया प्रतिमाह का एन्हैंसमेंट किया गया है और इसके कारण से बार्डर एरिया में अब डाक्टरों की कमी नहीं है। हमने यह भी सोचा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में तनख्वाह के अलावा ७० रुपया एलाउन्स देंगे और ५० रुपया सीनियारिटी के हिसाब से उसको नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देंगे।

कुछ जगह मकानात नहीं हैं। इसमें हमारी दिक्कतें हैं। उसके लिये हमारी स्कीम है कि हम हर साल कुछ अस्पताल, कुछ मकान और कुछ क्वार्टर बनायेंगे। इसमें समय अवश्य लगेगा, एक दिन में तो यह बन नहीं जायेंगे।

यद्यपि हम अभी नहीं कह सकते कि हम अपने प्रयास में पूर्ण सफल होंगे या नहीं, लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि पी० एम० एस० २ का पे स्केल कितना रहे। आज कल के जमाने में पैसे से लोग आकर्षित होते हैं। उसको हम इतना रखना चाहते हैं कि लोग उसको पसन्द करें और आकर्षित हों।

इसके साथ-साथ यह भी प्रयास किया है कि हमारे कालेजों में आगरा, लखनऊ और कानपुर में, जो लड़के पढ़ने के लिये आते हैं उनसे इस स्टेट में तीन-तीन साल सर्विस करने का बान्ड लिखाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐडमिशन्स की तादाद भी हमने बढ़ा दी है। आगरा में ७५ के बजाय १०० कर दी है। इससे आशा है कि हमारे यहां से जो लड़के निकलेंगे वे हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, अगर साथ ही हम उनको कुछ सुविधायें दे दें।

बहुत शोर मचाया गया कि देहात की ८० प्रतिशत जनता का खयाल नहीं रखा जाता है। या तो हमारे मित्र ने पढ़ा नहीं या उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैं तो कहता हूं कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वे सब देहात में ही खोले जा रहे हैं। उनमें जच्चा-बच्चा केन्द्र, चाइल्ड सेंटर और एक हेल्थ विजिटर रहेगा। उसमें एक जच्चा-बच्चा केन्द्र वहां रहेगा और तीन उसी ब्लाक एरिया के अन्दर मुख्तलिफ इम्पार्टेंट जगहों पर रहेंगे। इस तरह से अगर मैं कहूं तो फर्स्ट प्लान शुरू होने से पहले एलोपैथिक अस्पताल मेल २५८ थे और फीमेल अस्पताल ५१ थे, आयुर्वेदिक ४३३ थे और यूनानी ८१ थे। अब फर्स्ट और सेकेंड प्लान में हमने ३७५ और खोले हैं मेल के और फिमेल के ६६ खोले हैं, आयुर्वेदिक ५१ खोले हैं और यूनानी ११ खोले हैं। इस तरह से कुल मिला कर ५३३ देहातों में खोले। इसके अलावा सन् १९५८-५९ में १०० प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेडिकल डिपार्टमेंट ने खोले और १०७ सेंटर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने खोले, इस तरह से कुल टोटल २०७ हुआ। और ७२८ मेटरनिटी ऐंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर खोले। सन् १९५९-६० में प्लानिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट ने २७४ प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले और १,०९६ मेटरनिटी ऐंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर खोले।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

सन् १९६०-६१ में प्लानिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट मिल कर ६७ और खोलने वाले हैं। इस तरह से ५४८ अस्पताल और खुले हैं। इसके बावजूद भी यह कहा जाय कि नहीं साहब, देहातों की उपेक्षा हुई, तो मैं उसे बहुत ठीक नहीं समझता। अगर रात को रात कहा जाय और दिन को दिन, तब तो लोगों पर असर पड़ेगा लेकिन अगर रात को दिन और दिन को रात कहा जाय तो किसी दानिशमन्द पर उसका कोई असर नहीं पड़ सकता है।

सारी सुविधायें हम देते हैं, लेकिन यह कहा गया कि साहब दवाइयों में बड़ी उपेक्षा की गयी। अब मैं क्या बतलाऊं, हम सब को पैसा देते हैं, टी० बी० वाला भी कोई विमुख नहीं जाता, थोड़ा बहुत जो कुछ होता है उसे दिया ही जाता है। दवा के बारे में भी कहा गया, यह दूसरी बात है कि कोई कह दे कि दवा के बदले में लाल रंग डाल दिया जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९५९-६० में ५२,७१,२०० रु० की दवायें दी गयीं जब कि इस बजट में उसके लिये ६८,६१,००० रु० की रकम रखी गयी है। कोई १८ लाख के करीब रकम इस बजट में बढ़ायी गयी है। तो इस तरह से क्या काम पूरा नहीं होगा? मैं समझता हूं कि जरूर पूरा हो जायगा।

खुराक के सम्बन्ध में भी एक मित्र ने कहा कि रसोइये का तो आपने इन्तजाम कर दिया और खाने का पता ही नहीं। तो उसके लिये २६,९३,२०० रु० की जगह रकम बढ़ा कर २७,४०,७०० रु० कर दी गयी है। इस तरह से दवाइयों और खुराक के लिये कांटिजेंसी से हमने खर्च करने का प्रयास किया है और अब आगे और बढ़ाते जायेंगे। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि हमारे सूबे की जरूरियात बहुत ज्यादा हैं। आबादी बहुत बड़ी है और जितनी जल्दी, जितनी तेजी के साथ लोग अस्पताल माइंडेड हुए हैं उतनी तेजी के साथ हम अपने अस्पतालों का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं अपने लड़कपन की हालत जानता हूं कि लोग कहा करते थे कि मैं अस्पताल की दवायें नहीं खाऊंगा, लेकिन अब गांव का हर आदमी, हर फैमिली का हर आदमी ऐसा चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट अस्पताल में हो। आमतौर से लोगों के बच्चे घर ही पर पैदा हुआ करते थे, लेकिन अब सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अस्पताल में ही पैदा हों। फिर बच्चा पैदा होने में कमी नहीं है, उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि उतनी जल्दी हम मेटरनिटी ऐंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मथुरा में भी बड़ी पैदावार है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आप सब इस बात को मानेंगे कि हमारी आप की जो पूंजी है वह सीमित है, हमारे अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं हैं। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे सूबे में टोटल बजट का प्रतिशत मेडिकल पर कम है लेकिन यू० पी० ऐक ऐसा सूबा है जहां यह न पूछिये कि कौन प्राबलम हैं, बल्कि यह कहिये कि कौन प्राबलम यहां नहीं है? लिहाजा जहां इतनी प्राबलम हों उनको मीट करने की जरूरत है और सभी मुखतलिफ प्राबलम पर काफी रुपया खर्च किया जाय तो वह रुपया आयेगा कहां से? फिर भी जितने हमारे साधन हैं उनका हम सदुपयोग करना चाहते हैं और उसका हम ठिकाने से बटवारा भी चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि शहर या गांव किसी को भी उपेक्षा हो, गांव की तरफ हमारी तवज्जह ज्यादा है। अभी लोगों को इस बात का अहसास कम होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हमेशा से होती आई है, उनकी जितनी प्राबलम हैं, जितनी उनकी जरूरत हैं उनका हम अभी ठीक अन्दाजा भी नहीं कर सकते। अगर हम तरक्की भी उसमें कुछ करते हैं तो वह प्रयास ऐसा है कि अभी कुछ दिन तक उसका अहसास किसी को न होगा, जब तक देहात के क्षेत्र में हमारा काम एक सब्सटेंशियल डिग्री तक नहीं पहुँचेगा, जब तक काम काफी जहूर में न आ जाय तब तक उस का अहसास न होगा। इसलिये भले ही कोई कह दे कि देहाती क्षेत्र की उपेक्षा होती है, लेकिन ऐसा है नहीं।

शहर में भी टी० बी० की बीमारी होती है और वह देहातों में भी होती है। लोग कहते हैं कि टी० बी० बढ़ती जा रही है, मैं कहता हूं कि वह बढ़ नहीं रही है, बल्कि वह अब जहूर में ज्यादा आने लगी है। देहातों में दिक के मरीज पड़े रहते थे, कोई पुरसांहाल न था, लोग घरों में

बड़े मर जाते थे, लेकिन अब सब को मालूम है कि सरकार की तरफ से मदद भी मिलती है और इलाज भी होता है, रोज मेरे पास बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बहराइच और पश्चिमी जिलों के लोग आते हैं, मैं डाक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे यहां लोग आकर फाटक पर चक्कर लगाते हैं। जब उनको लखनऊ जैसे सेन्टर्स पर सब सुविधा मिलती हैं तो वह आते हैं, वह भी जानते हैं कि अब जनता की सरकार है, मंत्री जी भी हमारी मदद करेंगे और काफी लोग मदद पाते भी हैं। इन कारणों से मैं कहता हूं कि अब बीमारी जहूर में आने लगी है। पहले कोई पुरसांहाल न था । अब ७०,००० रुपये साल टी० बी० के लिये दे रहे हैं।

कुछ भाई असन्तुष्ट हो जाते हैं, और कहते हैं कि जो रकम भी दी जाय वह अच्छी तादाद में दी जाय। लेकिन बाकी लोग जो उनसे ज्यादा जरूरतमन्द हैं, उनको फिर हम क्या दें? इस वास्ते हमने एक उसूल बना लिया है कि किसी को २०० रु० से अधिक और २५ रु० से कम न देंगे। हम देते सब को हैं, इन रकमों के बीच में कुछ न कुछ, किसी को विमुख नहीं जाने देते और जिन को देते हैं उनमें अधिकांश देहात के लोग ही होते हैं। फिर कैसे कहा जाता है कि देहाती क्षेत्र की उपेक्षा होती है? इस तरह से एक संतुलित ढंग से हम काम करते हैं और किसी की उपेक्षा नहीं होने देते । अगर दुख १०० मन है, एक मन मिटे और ९९ मन रह जाय तो पता नहीं चलता कि दुख मिट रहा है। कम से कम १०० मन में से ५० मन दुख मिटे तब पता लगे कि कुछ काम हो रहा है। उसमें अभी समय लगेगा और तब उसका अहसास हो सकेगा ।

टी० बी० के बारे में मेरे पास बड़ा मसाला है, वह मैं सब दे सकता हूं। हमारे कई क्लिनिक्स चलते हैं, सैनीटोरियम्स हैं जिनके विषय में सभी सदस्य जानते हैं, प्राइवेट एजेंसीज के भी क्लिनिक्स हैं जिनको हम सहायता देते हैं, वह सब चल रहे हैं । हम उन सब को ग्रान्ट देते हैं और हमारी बी० सी० जी० की टीम भी चल रही है, वह भी काम कर रही है। तो इस तरह से टी० बी० का जितना प्रबन्ध हम कर सकते हैं कर रहे हैं, हम हर जिले में टी० बी० क्लीनिक लगाना चाहते हैं।

इसी तरह से लेप्रोसी की भी प्राबलम हमारे सामने है, उसकी भी तमाम संस्थायें चल रही हैं। हमने कुष्ठ निवारक संघ को रीकांस्टीट्यूट किया है और १,००,००० रुपया उनके डिसपोजल पर रख दिया है to start with। और ७४,००० रुपया इस बजट में भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि उनकी और ऐक्टिविटीज जारी की जायं और बुढ़ी में भी कुष्ठ आश्रम खोलने जा रहे हैं और ब्रह्मपुरी (ऋषीकेश) में भी इन्तजाम करने जा रहे हैं। इनके जरिये से आशा है, हमारे प्रदेश में इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही बढ़ेगी। कुष्ठ आश्रम कई हैं, गोरखपुर में भी है, बहुत सुन्दर आश्रम है और वहां दवाई का भी इन्तजाम है और मरीज हैं, वे सब खुद फुलवाड़ी ठीक करते हैं, अलग-अलग क्वार्टर हैं जो सुचारु रूप से चल रहा है, कोई त्रिपाठी या तिवारी जी उसके संचालक हैं, बाबा राघवदास के समय से चल रहा है। इसी तरह से कई और आश्रम हैं जो चल रहे हैं और जो संघ हैं उसके जरिये से हम इसके बारे में और विस्तृत कार्यवाही करना चाहते हैं। झांसी तथा और कई जिलों में क्लीनिक बने हैं और मोबाइल वान्स भी गांवों में जा करके काम कर रहे हैं। तो इधर भी जो कुछ हम से हो सकता है, कर रहे हैं।

फ़ाइलेरिया की यूनिटें भी काम कर रही हैं और मलेरिया तो बिलकुल ही खत्म हो गया। बाज लोगों ने तो कहा है कि प्लेग देखने को तरसते हैं। फ़ाइलेरिया की ८, ९ यूनिटें काम कर रही हैं और जहां भी जरूरत होगी, बढ़ायेंगे। तो इन सबसे हमारा प्रयास साबित होता है। स्माल-पाक्स के बारे में हम सोच रहे हैं कि उस सिलसिले में कोई न कोई कदम बढ़ाना है।

कुछ मित्रों ने कहा कि मेडिकल कालेजेज देहात में खोले जायं। किसी ने कहा, लखनऊ मेडिकल कालेज से अस्पताल निकाल लिया जाय। अस्पताल निकाल दें तो पढ़ावें कैसे? तो

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अस्पताल तो रहेगा, हां, उसके इन्तजाम, देखरेख में कुछ सख्ती की जाय तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वह यूनीवर्सिटी के तहत में है, वहां हमारा कोई दखल नहीं है, हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं है, इस वजह से मैं कोई ऐश्योरेंस नहीं दे सकता।

कहा गया, देहात में मेडिकल कालेज खोले जायं। मैं क्या बतलाऊं सुझाव है। मैं यह भी जुर्रत नहीं कर सकता कहने की कि यह सुझाव वाकयात न जानने पर आधारित है। कोई मेडिकल कालेज बिना अस्पताल के नहीं चल सकता। उसमें ४, ६ यूनिट्स होते हैं। हर विद्यार्थी पर १० बेड होने चाहिये तभी तालीम उनकी हो सकती है। अगर १०० विद्यार्थी आप दाखिल करें तो कम से कम १००० बेड का सवाल पड़ता है। तो १००० बेड जहां होंगे वह कितना बड़ा अस्पताल होगा इसे आप अन्दाजा कर सकते हैं। बिना अस्पताल के अगर किसी गांव में हम १००० बेड्स का अस्पताल बनायें और एक मेडिकल कालेज खोलें तो बिजली चाहिये, एक्सरे प्लांट्स चाहिये, सारे औजार चाहिये। बड़े-बड़े प्रोफेसर जो आयेंगे वे कच्ची सड़क पर नहीं चलेंगे। तारकोल तथा सीमेंट की रोड्स बनानी होंगी, अच्छे-अच्छे बंगले बनाने होंगे। वह भी एक शहर हो जायगा। अगर गांव में कालेज बना दें तो गांव भी शहर हो जायगा। तो फिर अपने गांव से भी आप हाथ धोवें। तो यह तजवीज कुछ ऐबसर्ड सी तजवीज है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—ऐसे डाक्टर रखिये जो बंगलों में न रहते हों।

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे डाक्टर मिलेंगे नहीं, मास्टर मिलेंगे।

एक तजवीज और की गयी कि मेरठ में, इलाहाबाद में तथा गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज खोला जाय। मैं कहता हूं कि बहराइच में खोला जाय, क्योंकि वहां का कोई एम० एल० ए० बोला नहीं। तो हम ही खोल लें। कहां खोलें, कैसे खोलें यह सब अभी थर्ड फाइव ईयर प्लान में होगा। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार नहीं। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कहां खोलेंगे और कहां नहीं खोलेंगे। जहां कहीं रंग होगा वहां खोलेंगे। कहीं कच्चा रंग हो तो वहां खोलेंगे। इस मौके पर यही कह सकता हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे रामायण राय जी बहुत चतुर आदमी हैं। रेडियोलाजिस्ट की हमदर्दी हासिल की, जितने बलरामपुर में डाक्टर हैं उन सब की हमदर्दी हासिल की, सूबे में जितने पी० एम० एस० वन और टू हैं उन सब की हमदर्दी हासिल की। यह भी कहा कि बलरामपुर में कुछ बेड्स और बढ़ा दिये जायं। वहां अब जगह ही नहीं है। काफी बेड्स बढ़ चुके हैं। ७०, ७५ बेड्स हैं। जहां जगह होगी वहां बढ़ेंगे। फिर अगर इतने माननीय सदस्य चाहते हैं तो बढ़ेंगे। लेकिन इससे मालूम होता है कि रामायण राय जी ने एक तीर से सबका शिकार कर लिया। अब रोज चाहे लेटे रहिये, कोई परवाह नहीं। इतनी देखरेख व खातिर होगी, जितनी आज तक हुई है, उससे दुगनी व चौगुनी होगी।

फैमिली प्लानिंग के बारे में हमारी चन्द्रावती जी ने कहा कि आपरेशन कम्पलसरी करा दें तो रामायण राय डर गये। उन्होंने खुद कहा मैं नहीं जानता। उनको डरने की जरूरत नहीं। आपको तो आपरेशन कराने की जरूरत नहीं, डरे वह जिसको आपरेशन कराने की जरूरत हो।

हमारे भाई यशपाल जी ने भी कहा और उन्होंने बड़ी उलझनों में डाला। उन्होंने कहा कि मारेल टीचिंग होना चाहिये, तो हम फैमिली प्लानिंग में उसे डिबार कब करते हैं? हम तो इम्मारेलिटी को रोकना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं कि इसमें सब का सहयोग होना चाहिये। सभी भाई इससे इत्तफाक करेंगे और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे सूबे की आबादी बड़े जोरों के साथ बढ़ रही है। चाहे कुछ फीगर्स गलत हों लेकिन एक दफ़ा मैंने कहीं देखा था तो उसमें यह था कि ४,४०० बच्चे रोज पैदा होते हैं। उसमें मरने की तादाद भी कोई

२,४०० के करीब दी हुई थी लड़के और बुड्ढे मिला कर। तो २,००० का खालिस मुनाफा रोजाना का है। महीने में ६० हजार हो जायेंगे और उसे १२ से जरब दीजिये तो ७ लाख, २० हजार होते हैं एक साल में। है खतरनाक खबर या नहीं ?

खाद्य समस्या हमारे और आपके सामने है और हम और आप प्रयास भी कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ जाय लेकिन कहीं ओला गिर पड़ता है, कहीं पानी बरस जाता है। होली के बाद ओले और पत्थर पड़े तो इन विपत्तियों का भी तो कुछ खयाल करना है। हमने जब सीलिंग का बिल पेश किया था तो किसी ने कहा कि सवा ६ एकड़ बहुत काफी है, किसी ने कहा साढ़े १२ एकड़ बहुत काफी है, मगर ओला पत्थर का हिसाब नहीं लगाया। हम कहते हैं कि ५० एकड़ भी, अगर ओला पत्थर पड़ जाय तो बिलकुल नाकाफी है। तो उधर फूड प्रोडक्शन की यह हालत है और इधर आबादी बढ़ने का यह हाल है । लिहाजा अगर हमें खाद्य समस्या को हल करना है तो दोनों फ्रन्ट्स पर हमको और आपको लड़ना पड़ेगा, एक तो खेती की पैदावार बढ़ाने में और दूसरे खाने वालों की तादाद को बढ़ने से भी रोकना है। मैं यह नहीं कहता कि कतई रोक दिया जाय, और यह कानून के जरिये से हो नहीं सकता, क्योंकि कानून बनाने के बाद उसे इम्पलीमेंट कौन करेगा ? एम० एल० एच० के सुपुर्द करें तो ये खुद मुजरिम साबित हो जायेंगे। मैं तो मुजरिम नहीं साबित होऊंगा, लेकिन हमारे सब नौजवान लोग हैं। तो इम्प्लीमेन्टेशन कानून के जरिये से हो नहीं सकता, मगर आत्म संयम के जरिये से, जैसा कि हमारे भाई यशपाल जी ने बताया और जो माडर्न मैथड्स बताये जा रहे हैं उनको अमल में लाकर आबादी को बढ़ने को रोका जा सकता है ।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि डाक्टर बड़ा गड़बड़ करते हैं। भई, करते होंगे। इतनी बड़ी फौज हमारे पास है, जो हमारी आंखों से ओझल हो जाय मुमकिन है कुछ कर डाले, लेकिन जिसे हम पकड़ पाते हैं ठीक भी करते हैं। मुझे यह कहने में दुःख होता है, अगर हुक्म हो तो कहूं (कहिये, कहिये की आवाजें)। हमारे भाई खयालीराम जी जिन्होंने कहा कि मोहनलालगंज के डाक्टर के कांते से एक आदमी मारा गया मगर उसको ३२३ में लिख दिया। अब मैं क्या कहूं, हमारे भाई ने बलरामपुर अस्पताल के सर्जिकल ब्लाक के एक डाक्टर के बारे में शिकायत लिख कर मुझे दी जिसमें कहा कि बहुत गड़बड़ है और यह खराबी है और वह खराबी है। मैंने शिकायत ले ली और फौरन हुक्म दिया कि तहकीकात की जाय। दूसरे दिन आप दूसरी चिट्ठी लिखते हैं कि मेरी वह खबर गलत थी। (हंसी) दोनों चिट्ठियां मेरे पास मौजूद हैं।

श्री खयालीराम—इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले मुझे कह लेने दीजिये, बाद में स्पष्टीकरण दीजियेगा। मैं अगर एम० एल० ए० की बात न मानूं तो नाजेबा होगा, विवाद में आक्षेप होगा कि हमारी सुनी नहीं जाती है। अपोजीशन के हैं मेरे भाई, हालांकि मैं तो अपोजीशन और अपने में कोई फर्क नहीं समझता, उधर के भाई भी मेरे पास टी० बी० के मरीज लाते हैं और इधर के भाई भी लाते हैं। मैं सब को एक आंख से देखता हूं। एक आंख से देखने के माने यह नहीं हैं कि दूसरी आंख से मुझे दिखायी नहीं देता। (हंसी) मैं समझता हूं कि मैं पेशेंट्स की मदद करता हूं चाहे इधर से आयें, चाहे उधर से आयें। हमारे मित्र ने कहा तो हमने कहा कि जब इतने बड़े आदमी कहते हैं तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिये। मैंने उसी समय हरा लेबिल लगा कर आर्डर किया। दूसरे दिन हमारे सेक्रेटरी के पास हमारे भाई पहुंचे और शायद डाक्टर के साथ पहुंचे और दूसरा खत दे दिया कि हमारी खबर गलत थी। अब हम क्या करें, हम कहां डूब मरें ? जब हम तहकीकात करते हैं और आप मदद न करें तो हम क्या कर सकते हैं। आप ही शिकायत करें और आप ही मदद न करें तो हम क्या कर सकते हैं ? अगर मैं आयन्दा न करूं तो कोई भाई बुरा न मानें। इसी तरह से एक मिर्जापुर के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

फलां आदमी बेईमानी कर रहा है, दवा बेच रहा है, हमने उसका तबादला कर दिया। चौथे दिन उनकी चिट्ठी आई कि हमारी खबर गलत थी, उसको वहीं रहने दिया जाय। जब तक आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तब तक इन्तजाम में जो खराबी है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। मोहनलालगंज के बारे में कैसे मान लूं कि कांते से मारने पर डाक्टर ने ३२३ लिख दिया। कल को ऐक्शन ले लूं तो वह कह देंगे कि हमारी खबर गलत थी। अब मैं इस तरह से नहीं मान सकता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारी पोजीशन बड़ी खराब हो जाती है। बड़ी जिम्मेदारी का काम है और जब ऐसे मामले पैदा हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

मैं आशा करता हूं कि हमारे साथी हमारा सहयोग करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारा यह प्रयास रहता है कि हम स्वास्थ्य सम्बन्धी सारी सुविधायें प्रदेश की जनता को दे सकें। लेकिन जो दिक्कतें हैं वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन हमारी इच्छा में, हमारे प्रयास में शक करने की गुंजाइश नहीं है। मुझे खुशी है कि बहुत से हमारे भाई, इधर के भी और उधर के भी, घर पर और दफ्तर में आते हैं और कहते हैं कि आपने काफी टोन अप कर दिया है। लेकिन खामियां अब भी हैं और मैं परफेक्शन कभी क्लेम नहीं कर सकता। परफेक्शन तो एक ही हस्ती क्लेम कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना कहने का दावा करता हूं कि हमने इस विभाग को ऊंचा उठाया है और नीचे गिरने नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि रामायण राय जी और दूसरे भाई इसको कबूल करेंगे।

श्री भजनलाल---सैनीटरी इंसपेक्टर पुखरायां के खिलाफ जो शिकायत थी उसका कुछ नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष---जब तक वह बैठते नहीं हैं, तब तक आप न बोलें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत से मित्र कहते हैं कि अस्पतालों की कमी है। यहां भी कमी है और उनके जिले में भी कमी है। बहुत दूर दूर अस्पताल हैं। हमारी योजना चल रही है और पांच मील पर एक अस्पताल हो, इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। इस साल पांच आयुर्वेदिक अस्पताल खुलने हैं, ४ जनाने अस्पताल खुलने हैं, इस तरह से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम प्रदेश में जहां मुनासिब समझेंगे वहां खोलने की चेष्टा करेंगे और जहां हम न खोल पायें उसके लिये हमारे मित्र हमें माफ करने की कृपा करें क्योंकि ५ को ५१ में डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा मैथमेटिक्स हम पढ़े नहीं हैं। यह सब हमारी दिक्कतें हैं।

एक बात कल मैं भूल गया था। जैसे कलेक्शन स्टाफ को रेवेन्यु डिपार्टमेंट में, १/३ पारसाल रिकमेंड किया और १/३ इस साल कर रहे हैं, ऐसे ही कम्पाउन्डर्स का, एक्सरे टेक्नीशियन्स का, लैबोरेटरी असिस्टेंट्स का (व्यवधान) इन सबका का स्केल बढ़ा रहे हैं। शायद ७५ से १२० तक है।

कहा गया कि सरकार १२ साल में यह तय नहीं कर पायी कि कौन सी पद्धति अपनायी जाय? यह कोई सरकार तय नहीं कर सकती। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत से मित्र कहते हैं कि आयुर्वेदिक हो और जाते हैं बलरामपुर में। सरकार नहीं तय करेगी। हम सब यह तय करेंगे। सरकार इसको रोक नहीं सकती कि आप फलां पद्धति से दवा न कराएं। हम एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी सभी को प्रोत्साहन देते हैं। होम्योपैथी का कालेज है, उसको डिग्री कालेज बनाना चाहते हैं। आगरा से एफीलिएट करने का प्रयास है। तो सरकार किसी सिस्टम को कंडेम नहीं कर सकती। सब सिस्टम चलते रहें।

इन शब्दों के साथ मैं, सदन ने मुझे जो शान्तिपूर्वक कहने का मौका दिया है, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय रामायण राय जी ने जो नयी बात करके केवल एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया है, जब कि औरों ने बहुत बड़ी रकमें काटने का प्रस्ताव किया था, वैसी ही नयी बात करके वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री खयालीराम—मुझे ठाकुर साहब की मंशा के बारे में पहले से ही मालूम था। मैंने १९५७ में शार्ट नोटिस क्वैश्चन रखा था। चन्द्रावती .....

श्री उपाध्यक्ष—केवल उसी घटना के बारे में स्पष्टीकरण दें जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बतायी।

श्री खयालीराम—मैंने सचिव से जो बात कही, मंत्री जी पूछ लें, सचिव से मैंने कहा था कि जो लिखा है वह सही है। लेकिन दो तीन कांग्रेसी विधायक दो-तीन दिन से मुझे घेरे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह रिश्तेदार हमारे हैं, उन्होंने कहा कि यह रिश्तेदार उनके हैं। उधर के ही खान्दान के हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१ की धनराशि में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५,०२,१६,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२ की धनराशि में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—जन स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३,०१,७५,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

तालिका १

जिलों के नाम जहां इस समय ए० डी० एम० (ई०) तैनात हैं

जिलों का नाम	संख्या	विवरण
१—देहरादून	१	
२—मेरठ	१	
३—आगरा	२	*इसमें एक ए० डी० एम० (ई०) जो १ अक्तूबर से ३१ मार्च तक protocol का कार्य करता है, सम्मिलित है।
४—बरेली	१	
५—कानपुर	२	
६—इलाहाबाद	२	
७—बाराणसी	२*	
८—गोरखपुर	१	
९—लखनऊ	१	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

तालिक (२)

जिलों के नाम जहां से ए० डी० एम० (ई०) हटा दिये गये हैं

१—जौनपुर

२—बस्ती

३—आजमगढ़

४—मेरठ

५—मुजफ्फरनगर

६—आगरा

७—लखनऊ

८—सहारनपुर

९—अलीगढ़

१०—मुरादाबाद

११—फैजाबाद

नोट—मेरठ, आगरा और लखनऊ में दो-दो ए० डी० एम० (ई०) तैनात थे। उनमें से एक-एक हटा दिये गये हैं।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१६ पर)

राजकीय कार्य के हित में राजकीय मुद्रणालयों के निम्नलिखित कर्मचारियों से किराया वसूल नहीं किया जाता है:—

(१) ऐशबाग प्रेस के १४ कर्मचारियों से जो ९ वर्षों से क्वार्टरों में रहते हैं।

(२) जांच प्रेस लखनऊ के ६ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जो १५ वर्षों से रहते हैं।

(३) राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के फायर फाइटर एवं चतुर्थ श्रेणी के २४ कर्मचारियों से। वे जब से अपने-अपने पदों पर नियुक्त हुए हैं, बिना किराये के रहते हैं।

(४) राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद केयर टेकर तथा फायर आफिसर से जो १० वर्षों से रहते हैं।

(५) ऐशबाग प्रेस के वेलफेयर आफिसर से जो लगभग २–१/२ वर्षों से रहते हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१७ पर)

नाम तहसील	स्वीकृत कूपों की संख्या	कुएं जो बने
१	२	३
१—सदर	१४५	३५
२—मोहम्मदाबाद	३८	२९
३—सगड़ी	३३	५
४—घोसी	१४६	७७
५—लालगंज	३१	२२
६—फूलपुर	१७	५
	४१०	१७३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२१ पर)

सीमान्त निवासी भोटियों से प्राप्त प्रतिवेदन के उद्धरण

१---जिन व्यक्तियों के पास निजी हिस्सेदारी की भूमि है वह उनके अपनी जोत के लिये उन्हें पुनर्ग्रहण करने की कानून द्वारा व्यवस्था कर दी जाय ताकि वह अपनी हिस्सेदारी भूमि में पुनर्वास कर सकें ।

२---जोहार के नितान्त भूमि हीन सिर्तानों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को तराई भाबर में बसाने की समुचित व्यवस्था कर दी जाय। इन लोगों को घर बनाने, हल बैल व कृषि के साधन जुटाने के लिये पर्याप्त सहायता दी जाय ।

३---पुरुषार्थी लोगों की भांति ही इन्हें सरकारी नौकरियां तथा गृह उद्योग के प्रशिक्षण तथा विशेष अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कर दी जाय। और विशेष तथा सीमावर्ती क्षेत्र की नौकरी में प्राथमिकता सीमावर्तियों को ही दिया जाय। क्योंकि अन्य लोग वहां रहना पसन्द नहीं करते। तिब्बती भाषा व स्थानीय भाषा की अजानकारी से उन्हें असुविधा होती है वहां के रहन-सहन व जलवायु उनको कष्टकर हैं।

४---शिक्षा संस्थाओं में डाक्टरी, पशु डाक्टर, इंजीनियरी आदि में उनके लिये स्थान सुरक्षित किये जायं। छात्रवृत्तियां उदारतापूर्वक दी जायं।

५---राजकीय शिक्षा संस्थायें इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बालिकाओं के लिये अलग व बालकों के लिये अलग खोली जायं।

६---ऊनी गृह उद्योग के प्रोत्साहन हेतु अनुदान उदारतापूर्वक दिये जायं और उनके बनाये वस्तुओं के विक्रय पर अखिल भारतीय चर्खा संघ की भांति खादी बोर्ड से सुविधाएं व रिवेट दिलाने की कृपा की जाय ।

७---समितियां व संघ, कृषि बागवानी, ऊनी उद्योग अन्य गृह उद्योग श्रमिक कर्जा बाटने वाली व बहुधंधी बनाई जायं ।

८---सस्ते गल्ले की दो सरकारी गोदाम एक क्वीठि व एक मुनसारी में हो, जहां पर्याप्त मात्रा में अन्न बरसात आरम्भ होने के पहिले ही संग्रह कर लिया जाय। वर्षा होने पर इस ओर यातायात रुक जाता है ।

९---आदर्श बस्तियां औद्योगिक शिल्पियों को पहाड़ में ही बंजर भूमि व बस्ती से मिल हुए जंगल से बसा दी जाय और इनकी सुविधाओं के लिये सभी संस्थाएं हों।

१०---भेड़ पालन के लिये वृहद योजना बनाई जाय ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

तालिका (क)

कर्मचारियों की मांगें

१---पिछले साल सीजन में काम करने वाले आदमियों को शुरू सीजन से ही स्थाई कर्मचारी मानकर सवेतन रखा जावे ।

२---प्राविडेन्ट फंड स्कीम को उसी समय से लागू होना चाहिए, जब से सारे देश में चीनी मिलों में लागू हुआ है ।

३---जो कर्मचारी अब तक कैजुअल या टैम्पोरेरी रखे गये हैं उनको स्थाई कर्मचारी मानकर पूरी सुविधा शीघ्र ही मिलना चाहिए ।

४---दवा के सम्बन्ध में डाक्टर और कम्पाउन्डर २४ घंटा फैक्ट्री क्षेत्र के अन्दर रहना चाहिए । साथ ही साथ दवा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए ।

५---शेल्टर हाउस का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध होना चाहिये ।

६---कैन्टीन का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । जैसे कि और मिलों में है । इसके साथ ही साथ इसकी एक कमेटी रहनी चाहिए, जिसके द्वारा प्रबन्ध हो ।

७---क्वार्टरों की कमी से मजदूरों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है । तथा उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है । प्रांतीय सरकार के स्वीकृति के भरोसे पर मजदूर के संतोष का बांध टूट रहा है । क्वार्टर या मकान किराया मिलना चाहिये ।

८---प्रतिदिन के काम करने वाले तथा ठीके पर काम करने वाले मजदूरों को २ रु० ६ आने से कम मजदूरी नहीं दी जाय । और जब कभी फैक्ट्री में स्थाई जगह हो तो इन्हीं वर्तमान मजदूरों को प्राथमिकता दी जावे । तथा उनको अपने ड्युटी के बाद काम लिया जाता है उसकी मजदूरी सिंगल दी जाती है, वह दुगुने के रेट से मिलना चाहिए ।

९---जिन कर्मचारियों से जनवरी, सन् १९५९ से साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम लिया जाता है और २७ सितम्बर तक सिंगल पैसा दिया गया है उसे जोड़कर बाकी पैसा दिया जाय, जैसे अभी दिया जा रहा है । सप्ताह में ४८ घंटा पूरा काम नहीं होने पर जो सिंगल पैसा दिया जाता है उसके बजाय दुगुना मिलना चाहिए ।

१०---रोटेनिंग पाने वाले कर्मचारियों को जो अर्न्ड लीव दिया जाता है, तथा मिल बन्द होने पर उसका पैसा देकर रोटेनिंग में कम कर दिया जाता है । वह उसमें कम नहीं होना चाहिए अर्थात् जिस तारीख तक उसको हाजिरी है उसके ठीक दूसरे ही दिन से रोटेनिंग मिलनी चाहिए ।

११---यह मजदूरों में भेद भाव है कि जिन कर्मचारियों को लकड़ी तथा मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है उन्हें पिछले दिनों से जोड़कर मिलना चाहिए ।

१२---जिन कर्मचारियों से मेठ का काम लिया जाता है परन्तु कागज में मजदूर दिखाया जाता है । इसकी जांच कर ठीक कर दिया जाये, जिससे कि जब से ये काम कर रहे हैं अपने हक को पा सकें ।

१३---यदि कोई कर्मचारी वर्ष पर्यन्त तक बीमार न पड़ा और अकस्मात दूसरे साल के प्रारम्भ में ही कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गया तो उसका पैसा वेतन से नहीं काटा जाना चाहिए जितना को एक वर्ष बीमारी की छुट्टी मिलती है ।

१४---यदि कोई कर्मचारी संघ के काम से बाहर जाय तो उसकी गैरहाजिरी छुट्टी में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि स्पेशल छुट्टी होनी चाहिए।

१५---छोटे छोटे ऐक्सीडेंट होने पर, जिसकी रिपोर्ट नहीं है, अगर उसका सीक लीव का हक नहीं है तो उसे गैर हाजिरी के दिन का पैसा कम्पनी से नहीं मिलता है। उसका पैसा ऐक्सीडेंटल लग्म करके मिलना चाहिए।

१६---जो डेली श्रमिक किसी पद पर पिछले १९५८-५९ ई० के सीजन में काम किये, यदि वह पद इस वष भी हो तो यह पद उन्हीं को मिलना चाहिए।

१७---मेहतरानी, मेहतर तथा माली को मासिक वेतन के रूप में ५८ रु० मिलना चाहिए।

१८---टेम्पोरैरी कमचारियों को भी सीक लीव तथा कैजुअल लीव मिलना चाहिए।

१९---ओवर टाइम का पैसा प्रति दसवें दिन मिल जाना चाहिए।

२०---जिन कर्मचारियों को मिल से क्वार्टर नहीं मिला है उन को क्वाटर भत्ता मिलना चाहिए।

२१---जो सीजनल कर्मचारी बाहर से आते हैं उन्हें यात्रा-व्यय मिलना चाहिए।

२२---कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए।

२३---फैक्टरी क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले सिपाहियों को फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार सुविधाएं मिलनी चाहिये।

२४---जो कर्मचारी बीमार पड़ते हैं और शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है इस के प्रबन्ध के लिए श्री व्यवस्थापक महोदय को प्रार्थना प्रेषित थी अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। इस का उचित तथा शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध होना चाहिए।

२५---नये कर्मचारियों की भर्ती यूनियन के राय से होना चाहिए।

२६---अस्पताल में फेमिली वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक औरत नर्स होना चाहिए।

२७---मनोरंजन के लिए क्रीड़ा-स्थल और चिल्ड्रेन-पार्क होना चाहिए।

२८---हर एक मिलों, में वेतन बढ़ाने की विधि जो लागू है वह यहां भी होना चाहिए।

२९---रीटेनिंग पाने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर काम करने के १५ दिन पश्चात् ही पिछले वर्ष की रीटेनिंग मिल जानी चाहिए।

३०---प्रस्तुत क्वार्टरों में बिजली के रोशनी का प्रबन्ध होना चाहिए।

३१---प्रिविलेज लीव जो २० दिन पर एक दिन मिलता है तो, उस में महीने में साप्ताहिक छुट्टी एवं गजेटेड छुट्टी को मिलाकर केवल काम किये गये दिन के हिसाब से ही P.L. मिलता है। परन्तु वह लीव उतने दिन का मिलना चाहिए जितने दिन का उसका वेतन मिला हो।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

तालिका (ख)

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

1. The management agrees to distribute seasonal and permanent cards to the workers as given in the Standing Orders. The said cards shall clearly bear the designation of the workman concerned.

2. The management agrees to enforce the Employees Provident Fund Scheme in the concern according to the clarification given by the Provident Fund Commissioner, U. P. on the subject, *vide* his letter dated December 10, 1959.

3. The management agrees to draw list of casual workers according to their seniority. The said list shall be maintained up to date and future temporary and permanent vacancies in the concern shall be filled up from this list according to precedence.

4. The management agrees to allot residential accommodation to the factory doctor and compounder close to the factory. This shall be done at an early date.

5. Arrangement for Pual Gadas, Chawkis and benches shall be made in the rest shelter and the same shall be adequately lighted.

6. It is agreed that a committee consisting of Sarvsri M. Aslam, S. K. Chowdhury and Labour Welfare Officer shall mannage the affairs of the canteen. The said Committee shall directly supervise the working and control the finance of the canteen. Management shall provide free services of a cook and a *kahar*, also kitchen utensil, crockery and cutlery shall be provided by the management. The canteen shall continue to draw free fuel and coal from the factory as in the past.

7. The management agrees to pay house rent to those workers who live in the rented house in the locality of the factory or in any house which can be secured on rent by the factory. The management also agrees to prepare some huts temporarily in order to accommodate workers.

8. The Union shall provide list of the workers who have not been paid minimum wages and have been paid off by the factory and the Labour Inspector shall scrutinize the said list and order the management to pay them the minimum wages of the past. These workmen shall have first preference of appointment in the factory in future according to their seniority in length of service.

9. The management agrees to pay double wages to the workers who have worked on their rest days from January, 1959 as per Factories Act.

10. The management agrees to pay the deducted amount of retaining allowance for the off-season of 1958 to the workers which was deducted on account of payment in lieu of their unavailed leave with wages.

11. The management agrees to give 20 seers of soft coke per month free of charge to its unskilled workmen and two bottles of kerosene oil per month against each lantern issued by the factory to its workers. The other categories shall get coke at one maund per month. This is subject to adjustment of the Wage Board decision.

12. Not pressed at present.

13. The management agrees to give sick leave due for the year to the workers even in the beginning of the year, i.e. in January and February. The Union assures that the workmen shall not go on sick leave unnecessarily at the end of the year.

14. The management agrees to grant leave to the workers of the Union to the extent of four days in a year for enabling them to attend the meetings of their federation. The said leave shall be paid leave.

15. Not pressed at present.

16. The manaement agrees to employ old workers working on Boiler, Centrifugal machine, Magma and other places who have been replaced by new workers.

17. The management agrees to pay minimum wages to sweepers, gardeners and hospital boys in future.

18. The management agrees to give casual and sick leave to the temporary workers according to the Standing Orders according to the ratio and proportion of their service in the concern.

19. It is agreed that the payment of overtime money shall be made within 10 days of the work taken from the workmen.

20. This demand has already been discussed and settled, *vide* Demand no. 7.

21. The management shall continue to pay journey expenses to those employees who were paid the same last year.

22. The management agrees to rprovide a primary school teacher for the education of the children of the workers.

23. The management agrees to treat the Watch and Ward staff under the Factories Act with effect from January 1, 1960.

24. The management agrees to provide common latrines for the workers in the quarters area.

25. Not pressed by the Union.

26. The management shall make arrangement for mid-wife for attending maternity and delivery cases in the families of the workers.

27. The management is already making arrangement for children park for the use of children of the workers.

28. Regarding increase in wages, clarification shall be sought from the Wage Board and the same shall be binding on the management.

29. The management agrees to pay retaining allowance to its workmen in the first fortnight of February of each year.

30. Regarding inclusion of weekly rest and gazetted holidays in due leave of the workers, the practice shall be followed as per Government orders.

31. This demand has already been discussed and, settled *vide* Demand no. 11.

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

अलीगढ़ जिले के समग्र विकास सेवा खंडों का विवरण

क्रम संख्या	खंड का नाम	किस श्रेणी का खंड है	खंड के खुलने की तिथि	खंड के वर्तमान श्रेणी में परिवर्तन होने की तिथि	परिवर्तन के बाद खंड किस श्रेणी में आयेगा	टिप्पणी यदि कोई हो
१	२	३	४	५	६	७
१	हसायां ..	प्रगाढ़ विकास क्षेत्र	२६-१-५५	१-४-६०	द्वितीय श्रेणी	यह खंड जुलाई, १९५६ से प्रगाढ़ विकास क्षेत्र के रूप में चल रहा है।
२	जवां सिकन्दरपुर	प्रथम श्रेणी	२-१०-५५	२-१०-६०	द्वितीय श्रेणी	
३	गंगेरी ..	प्रथम श्रेणी	२-१०-५६	२-१०-६१	द्वितीय श्रेणी	
४	गोंडा ..	प्रथम श्रेणी	२-१०-५६	२-१०-६१	द्वितीय श्रेणी	
५	इगलास ..	प्रथम श्रेणी	१-७-५७	१-७-६२	द्वितीय श्रेणी	
६	उतरौली ..	प्रथम श्रेणी	१-७-५७	१-७-६२	द्वितीय श्रेणी	
७	हाथरस ..	प्रथम श्रेणी	१-७-५७	१-७-६२	द्वितीय श्रेणी	
८	खेर ..	प्रथम श्रेणी	१-७-५७	१-७-६२	द्वितीय श्रेणी	
९	टपल ..	द्वितीय श्रेणी	२६-१-५४	..	..	यह खंड १-४-५९ से द्वितीय श्रेणी में चल रहा है।
१०	सिकन्दरा राव	पूर्व प्रसार	१-१०-५९	१-१०-६०	प्रथम श्रेणी	
११	लोधा ..	छाया क्षेत्र	प्रदेश में आगामी अप्रैल मास में खुलने वाले पूर्व प्रसार खंडों (Pre-extension Blocks) का प्रश्न अभी विचाराधीन है अतः यह बतलाना संभव नहीं है कि क्रम संख्या ११—१७ पर दिये गये छाया क्षेत्र कब से पूर्व प्रसार खंडों के रूप में काम करने लगेंगे किन्तु आशा की जाती है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह समस्त छाया क्षेत्र अक्तूबर, १९६३ तक पूर्व प्रसार खंडों में परिवर्तित हो जायेंगे।			
१२	मुरसान ..	छाया क्षेत्र				
१३	चंडौस ..	छाया क्षेत्र				
१४	अकबराबाद	छाया क्षेत्र				
१५	धानीपुर ..	छाया क्षेत्र				
१६	सासनी ..	छाया क्षेत्र				
१७	बिजोली ..	छाया क्षेत्र				

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२८ पर)

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में निम्नलिखित कारखाने चल रहे हैं

	कारखानों के नाम		उद्योग का नाम (वस्तुएं जो बनायी जाती हैं)
१	मेसर्स स्वदेशी काटन मिल	..	स्टेपिल यार्न स्पिनिंग।
२	मेसर्स चैम्पियन साइकिल इन्डस्ट्रीज		साइकिल के पुर्जे बनाना, तथा एसेम्बलिंग करना।
३	मेसर्स लिप्टन लिमिटेड	..	टी पैकिंग ऐन्ड बिलैन्डिंग।
४	मेसर्स रामा स्टील वर्क्स	..	स्टील फर्नीचर, आलमारी, जाली तथा बक्स आदि।
५	मेसर्स समाधिया सोप वर्क्स	..	साबुन बनाना।
६	मेसर्स चैरी केमिकल वर्क्स	..	सोडियम सिलीकेट।
७	मेसर्स शिव इन्जीनियरिंग वर्क्स	..	बेबी एक्सपेलर, कुट्टी काटने की मशीन, केन क्रसर तथा आयल मिल मशीनरी पार्टस्।
८	लाइट इन्डस्ट्रीज ..	..	चूना तथा सुर्खी।
९	मेसर्स मनोहर आयल मिल्स	..	सरसों, तिल्ली तथा रेंडी का तेल।
१०	मेसर्स जनरल एलेक्ट्रिकल कम्पनी	..	ट्रांस्फार्मर।
११	मेसर्स भारत स्ट्रा बोर्ड ऐन्ड पेपर मिल्स।		मिल बोर्ड।
१२	मेसर्स कुमार इन्डस्ट्रीज	..	साइकिल स्पोक ऐन्ड वाशर इत्यादि।
१३	मेसर्स किंग्स फारमेस्टिकल	..	फारमेस्टिकल।
१४	मेसर्स नवीन इन्जीनियरिंग वर्क्स	..	रेन वाटर पाइप, केन क्रशर और मैन होल कवर और अन्य म्युनिसिपल इम्प्लीमेंट्स।
१५	मेसर्स ईस्ट इन्डिया ट्रेडिंग कम्पनी	..	साइकिल स्टैन्ड ऐन्ड कैरियर।
१६	मेसर्स अहूजा लाइम फैक्टरी	..	चूना तथा सुर्खी।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२८ पर)

सूची

क्रम संख्या	नाम रीजनल ट्रांस्पोर्ट अफसर	मुख्यालय का स्थान	तैनाती की तारीख
१	श्री बृजपालसिंह ..	लखनऊ ..	२-१-१९५७
२	श्री डी० डी० बैजल ..	कानपुर ..	५-८-१९५८
३	श्री जे० पी० चन्द्रा ..	बरेली ..	२२-७-१९५८
४	श्री बी० एन० टन्डन ..	मेरठ ..	२७-१-१९६०
५	श्री बी० मुकर्जी ..	आगरा ..	२-७-१९५८
६	श्री जे० पी० अग्रवाल ..	गोरखपुर ..	५-२-१९६०
७	श्री बी० एस० खन्ना ..	नैनीताल ..	९-७-१९५८
८	श्री बी० के० गर्ग ..	इलाहाबाद ..	१६-६-१९५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५–५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर)

१	२	
१–सभा सचिव, जिन्होंने १ सितम्बर, १९५९ से १५ जनवरी, १९६० तक बुलन्दशहर का दौरा किया।	श्री धर्मसिंह ..	.. श्री महमूद अली खां।
२–वह अवधि जिस में वे अपने भिन्न-भिन्न दौरों में बुलन्दशहर में रहे।	९८ दिन ..	.. ६ दिन।
३–बुलन्दशहर में ठहरने के सम्बन्ध में लिया गया दैनिक भत्ता।	२०० रु० .. (अर्थात् १० रु० प्रति दिन के हिसाब से केवल २० दिन तक)	.. ५० रु०। (अर्थात् १० रु० प्रति दिन के हिसाब से केवल ५ दिन तक)
४–रेल की यात्रा सम्बन्धी किराया जो विभिन्न दौरों की अवधि में लिया गया।	४९६ रु० ९८ नये पैसे ..	४३ रु० ८७ नये पैसे।
५–सभा सचिवों द्वारा इस्तेमाल की गयी सरकारी गाड़ियों पर पेट्रोल का खर्चा आदि।		
(क) सभा सचिव द्वारा यात्रिक भत्ते के बिल में ली गयी धनराशि।	५०८ रु० ९ नये पैसे ..	६४ रु० ६ नये पैसे।
(ख) जिलाधीश द्वारा उन के अधिकार में रखी गयी धनराशि से गाड़ियों पर किया गया व्यय।	१५९ रु० ९ नये पैसे ..	
(ग) सभा सचिवों द्वारा स्वयं अपने जेब से किया जाने वाला भुगतान जो सरकार से नहीं मिलेगा।	४१३ रु० २७ नये पैसे ..	
६–अपनी गाड़ियों के उपयोग के लिए यात्रिक भत्ते के बिल में लिया गया सड़क का मील भत्ता (Road mileage)	कुछ नहीं।	.. १४९ रु० ७५ नये पैसे।

(१)		(२)
७–दिनों की संख्या जब तक सरकारी गाड़ियां सभा सचिवों द्वारा इस्तेमाल की गयीं।	६१ .. .. (७२ दिन सरकारी कार्य पर। १६ दिन निजी कार्य पर)	३ (सरकारी कार्य पर)।
८–बुलन्दशहर के दौरे में सभा सचिवों का ठहरने का स्थान।	अन्तरिम जिला परिषद् का डाक बंगला।	अन्तरिम जिला परिषद् का डाक बंगला।
६–सभा सचिवों द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् के डाक बंगले में ठहरने के सम्बन्ध में किया गया खर्चा।		
(क) किराया ..	कुछ नहीं ..	.. कुछ नहीं।
(ख) बिजली का खर्चा ..	१०१ ०२५ नये पैसे	२ रु० ६२ नये पैसे
१०–अन्तरिम जिला परिषद् के डाक बंगले के टेलीफोन से की गयी ट्रंक कालों की संख्या—		
(क) सरकारी खर्चे पर ..	कुछ नहीं ..	.. कुछ नहीं।
(ख) निजी काम पर ..	४५ (यह सूचना १५ दिसम्बर तक की है। १५ दिसम्बर से १५ जनवरी के बिल अभी टेलीफोन विभाग से नहीं आये हैं।) ..	.. कुछ नहीं।
११–अन्य टेलीफोनों से किये गये ट्रंक कालों की संख्या।		
(क) सरकारी काम पर	पब्लिक काल आफिस से २ ट्रंक काल जिन पर २१ रु० १० नये पैसे खर्च हुये।	कुछ नहीं।
(ख) निजी काम पर ..	कुछ नहीं ..	.. कुछ नहीं।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३१ पर)

सूची सं० २

२४८ पुनर्संगठित केन्द्रों में सिखाये जाने वाले शिल्पों का विवरण

क्रम-संख्या	शिल्प	संख्या
१	कताई-बुनाई ..	४
२	कम्बल कताई-बुनाई ..	८
३	कम्बल तथा ड्रगिस्ट ..	१
४	गलीचा बुनाई ..	२
५	कुटीर दरी बुनाई ..	१
६	स्त्रियों के शाल व गलीचे ..	२
७	नम्दा निर्माण ..	१
८	दरी तथा कम्बल ..	१
९	दरी बुनाई ..	७
१०	दरी तथा निवार ..	१
११	टाट पट्टी ..	२
१२	होजरी	६
१३	रंगाई तथा छपाई ..	५
१४	तार बुनाई ..	१
१५	लोहारगीरी ..	२६
१६	लोहारगीरी तथा औजार बनाना	१
१७	बढ़ई गिरी (साइकिल पार्ट)	१
१८	लोहारगीरी (धातु के चदरें)	१
१९	टीन की लोहारगीरी ..	२
२०	लोहारगिरी तेल के इंजन तथा पम्प की मरम्मत ..	१
२१	मोटर पम्प की मरम्मत..	१
२२	फिटर व मेकैनिक ..	९
२३	पीतल के बर्तन ..	४
२४	ब्रास विल्डिंग फिटिंग ..	२
२५	पीतल की मूर्ति बनाना..	१
२६	बढ़ईगीरी व लोहारगीरी	१
२७	बढ़ईगीरी ..	३८
२८	बढ़ईगीरी व छड़ी बनाना	१
२९	टहलने की छड़ी बनाना ..	१
३०	लकड़ी पर कढ़ाई ..	१
३१	वुड लैकरिंग ..	१
३२	करघा बनाना ..	१
३३	लकड़ी के खिलौने ..	२
३४	खेल का सामान ..	१
३५	(पुरुषों) की सिलाई ..	१०
३६	स्त्रियों की सिलाई-कढ़ाई	३६
३७	कढ़ाई एवं सूचिका कार्य	१
३८	कढ़ाई तथा हुक वर्क ..	१
३९	टैपेस्ट्री	१
४०	टोकरी बनाना ..	१
४१	मूंज की टोकरी बनाना ..	२
४२	केन की टोकरी बनाना ..	१
४३	केन का काम ..	२
४४	बेंत तथा चिक का कार्य ..	३
४५	चूड़ी	१
४६	शीशे की गुरिया ..	२
४७	मिट्टी के बर्तन ..	२
४८	गुड़िया बनाना ..	२
४९	चीनी मिट्टी के खिलौने ..	१
५०	संगमरमर ..	१
५१	साबुन बट्टी ..	१
५२	बटन बनाना ..	२
५३	पेपर मशीन ..	२
५४	चर्म कार्य ..	३१
५५	साबुन बनाना ..	७
५६	पहाड़ी कागज ..	१
५७	कम्पोजिंग व प्रिंटिंग ..	१

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३१ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	नाम	पद	वेतन-क्रम	सेवायें वर्ष	माह
१	श्री ओमप्रकाश वर्मा	रिकार्ड कीपर एकाउन्टेंट	८०–१४०	१	२
२	श्री रुद्रबहादुर श्रीवास्तव ..	,,	८०–१४०	४	१
३	श्री उदयसिंह ..	,,	८०–१४०	५	९
४	श्री एन० के० निगम ..	,,	८०–१४०	६	११
५	श्री बी० पी० शर्मा ..	नोटर एन्ड ड्राफ्टर	८०–२४०	३	६
६	श्री आर० सी० शर्मा ..	टाइपिस्ट ..	६०–१००	३	६
७	श्री ओम्प्रकाश ..	रनर ..	२७–३२	–	६

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३४ पर)

सीमावर्ती विधायक संघ से प्राप्त दिनांक २४-११-५९ के पत्र के उद्धरण

१---जो लोग खेती में रुचि रखते हैं उनको सीलिंग हो जाने के बाद तराई भाबर में जमीन दे दी जाय ।

२---नेपाल से व्यापार के नये रास्ते खोले जायं।

३---सीमावर्ती इलाके में निर्माण-कार्य के लिये भोटियों की छोटी-छोटी सहकारी समिति बना कर उनको बिना टेण्डर के दस हजार तक के ठेके दिये जायं।

४---सीमावर्ती इलाके में जो नई मोटर रोड हैं अथवा बन रही हैं उन पर भोटियों के यूनियन बना कर भोटिया मोटर यूनियन सर्विस चलवायी जाय जिससे सड़कों के बनने से उनका आर्थिक ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है वह ठीक हो सके।

५---भोटियों के कताई-बुनाई वाले घरों में सरकार की ओर से चर्खे व ऊन तथा असली नस्ल की भेड़ें दी जायं और उनके द्वारा निर्मित चीजों के लिये बिक्री का प्रबन्ध किया जाय।

६---जिन-जिन स्कूलों में भोटियों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पूरी फीस माफ की जाय और उनको किताबों आदि के लिये आर्थिक सहायता दी जाय जब तक उनकी व्यवस्था ठीक न हो सके।

७---सीमावर्ती इलाकों में जो बाहरी आक्रमण का आतंक छाया हुआ है उसको दूर करने के लिये कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वहां भेजे जायं जो वहां रह कर उनके मोरेल को ठीक रखें ।

८---सीमावर्ती इलाकों में नियोजन की छोटी-छोटी इकाइयां खोली जायं जिसमें वहां के युवकों को नौकरी दी जाय जिससे इलाके में सुव्यवस्थित तथा समुचित विकास हो सके।

९---४० हजार लोगों को किस प्रकार बसाया जाय और वहां वास्तविक वस्तुस्थिति क्या है इसके लिये छोटी-सी मूल्यांकन समिति का निर्माण शीघ्र किया जाय जिसमें भोटिया लोगों की ग्राम सभाओं और पंचायती अदालतों के कुछ प्रतिनिधि तथा सीमावर्ती विधायक संघ के प्रतिनिधियों को भी लिया जाय।

१०---सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा के लिये पी० ए० सी० के अतिरिक्त फौज की टुकड़ी भी भेजी जाय।

११---पी० ए० सी० के लोग वहां रहते और अन्य कर्मचारियों को जो सीमा के करीब रहते हैं उनको शतप्रतिशत बोर्डर अलाउन्स दिया जाय।

नत्थी 'ण

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर)

१९६०-६१ के दौरान में रोडवेज द्वारा अनन्य रूप से गाड़ियां चलाने के निमित अधिकार में लेने के लिये स्वीकृत मार्गों की सूची।

आगरा रीजन

(१) एटा-मैनपुरी (क) एटा-बैवारा ।
(२) अलीगढ़-खैर-टप्पल ।
(क) सौमना-खैर-गोमट-नौझील ।
(३) मथुरा-कामा-कोसी ।
(४) मथुरा-अलवर ।
(५) सादाबाद तथा जलेसर होकर एटा-मथुरा।
(६) देवई होकर अलीगढ़-अनूपशहर ।

इलाहाबाद रीजन

(७) मिर्जापुर-घोरावल ।
(८) सुल्तानपुर-कोरीपुर ।
(९) जौनपुर-शाहगंज (क) जौनपुर-रामनगर ।
(१०) जौनपुर-केराकत ।
(११) राबर्ट्सगंज-दूधी-विध्यागंज।

बरेली रीजन

(१२) धनेटी तथा शाही होकर बरेली-शीशगढ़ ।

गोरखपुर रीजन

(१३) बहराइच-जरवल ।
(१४) आजमगढ़-अजमतगढ़ ।
(१५) आजमगढ़-निजामाबाद।
(१६) शाहगंज-बोस्तपुर ।

कानपुर रीजन

(१७) कानपुर-बेला-विधूना ।
(१८) राठ-हरपालपुर।
(१९) कानपुर-राठ--(क) चरखारी-हमीरपुर-बाया-मशकरा ।
(क) चरखारी-हमीरपुर-बाया-गहरोली-इमीलिया ।
(ग) राठ होकर मझगांव-हमीरपुर।
(घ) मशकरा होकर राठ-मौदहा।
(२०) महोबा-खजराहा ।
(२१) महोबा-चरखारी ।

लखनऊ रीजन

(२२) हरदोई-उन्नाव ।
(२३) बाराबंकी-रामनगर (क) बाराबंकी-कुतवा ।
(ख) बाराबंकी-गनेशपुर ।
(ग) बाराबंकी-महदेवा।
(२४) लखनऊ-नगराम ।

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	मद	वर्ष १९५८–५९ में जो आय हुई (लाख रु० में)	चालू वर्ष १९५९–६० में जो आय होने की सम्भावना है (लाख रुपयों में)	अभियुक्तियां
१	चीनी के उत्पादन शुल्क से ।	..	..	इस मद के अन्तर्गत कोई कर लगाने की व्यवस्था नहीं है। अतः आय का प्रश्न नहीं उठता।
२	चीनी की इक्साइज ड्यूटी से ।	..	..	इस मद के अन्तर्गत आय केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है।
३	खंडसारी के---			
	(१) उत्पादन शुल्क से	..	..	इस मद के अन्तर्गत कोई कर लगाने की व्यवस्था नहीं है। अतः आय का प्रश्न नहीं उठता ।
	(२) इक्साइज शुल्क से	..	..	इस मद के अन्तर्गत आय केन्द्रीय सरकार को होती है।
४	गन्ना परिषदों को कमीशन के रूप में---			
	(१) चीनी मिलों से	५५,५९,१८९.५१	६४,६३,३१३.०२	
	(२) खंडसारी कारखानों इत्यादि से	शून्य	१,००,०००	
५	केन सेस के रूप में---			
	(१) चीनी मिलों से	५५२.१७ लाख	५२०.२१ लाख	
	(२) खंडसारी कारखानों इत्यादि से ..	शून्य	२,००,०००	

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

तालिका

विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ दिनांक २४-१२-५३ के उत्तर में जो निर्धारित लक्ष्य फरेन्दा तहसील के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया था उसमें से निम्नलिखित विकास कार्यों के प्रस्तर में जो पूर्ति हुई है तथा जो कार्य बाकी रह गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

१—कृषि
२—पशुपालन
३—शिक्षा
४—सार्वजनिक निर्माण
५—जन-स्वास्थ्य
६—सहकारिता
७—गृह उद्योग

१—कृषि—

(अ) सिंचाई—

(१) सिंचाई के नये कूपों का निर्माण ..	..	११३
(२) कूपों की संख्या जिनमें बोरिंग हुई	..	२१
(३) पम्पिंग सेट की संख्या जो तकावी पर वितरित किये गये	..	६
(४) रहट की संख्या जो तकावी पर वितरित किए गए	..	५
(५) कठकुइयां जिनका निर्माण तकावी के आधार पर हुआ।	..	१०

अच्छा स्ट्रेटा न मिलने के कारण व्यक्तिगत नलकूपों का निर्माण न हो सका।

चूंकि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग तराई में है और यहां पर अधिकतर सिंचाई तालाब एवं गड्ढों से ही की जाती है इसलिये जनता ने बोरिंग कराने की ओर ध्यान नहीं दिया, परन्तु गत वर्षों से सूखा पड़ने और उसकी प्रतिक्रिया के कारण लोगों का ध्यान बोरिंग के महत्व पर आकर्षित हुआ है। फलस्वरूप बोरिंग के कार्यों में प्रगति बढ़ रही है।

(ब) बीज—

कृषि बीज भंडारों द्वारा ३,२१० मन गेहूं, २,८९९ मन जौ, ७०८ मन चना, ३२६० मन मटर तथा १७,१३७ मन धान का उन्नतिशील बीज वितरित किया गया। इस अवधि में फरेन्दा, बूजमनगंज, घानी तथा लक्ष्मीपुर में कृषि बीज भंडार खोले गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक बीज भन्डार पुरन्दरपुर में खुलने वाला था। यह बीज भंडार वहां न खुल कर लक्ष्मीपुर में खोला गया है।

(स) खाद—

कृषि बीज भन्डारों द्वारा ६७० टन अमूनियम सल्फेट तथा १२१ टन फास्फेट खाद की बिक्री की गई। इसके अतिरिक्त १०२७ एकड़ भूमि में हरी खाद का प्रयोग किया गया।

(द) उन्नतिशील कृषि यंत्र—

इस अवधि में ५१ मैस्टन हल, १३६ हैण्डहो, २ सीड ड्रिल, १ कल्टीवेटर, १ थ्रेसर ४ चारा काटने की मशीनों का विक्रय किया गया।

(य) कृषि रक्षा-कार्य—

फसलों की सुरक्षा हेतु १६८ एकड़ धान के खेतों में गन्धी की रोकथाम हेतु बी० एच० सी०, ५ प्रतिशत का प्रयोग किया गया। फसलों की रक्षा के लिये चूहे मारे गये। सभी बीज भन्डारों को झाड़न तथा बी० एच० सी० ५ प्रतिशत का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया। ३०० मन गेहूं तथा जौ के बीजों को एग्रोसीन जी-एन द्वारा शोधित किया गया।

(र) बागवानी—

इस अवधि में ३,१५० एकड़ भूमि में नये बाग लगाए गये तथा १७ एकड़ पुराने बागों का जीर्णोद्धार किया गया। ४,४४७ फलदार तथा ३,५८७ अन्य वृक्षों का रोपण किया गया। १४३.५७ एकड़ भूमि में तरकारियां बोई गईं तथा ८५ पौंड तरकारी के बीजों का वितरण हुआ ।

(ल) फसल प्रतियोगिता—

इस अवधि में गांव स्तर पर ३,२१०, तहसील स्तर पर ३७ तथा जिला स्तर पर ९ प्रतियोगयों ने भाग लिया । जिलास्तरीय प्रतियोगिता में अब तक ३ प्रतियोगियों को पुरस्कार दिया गया है और उसमें से जोनल स्तर पर एक प्रतियोगी को पुरस्कार मिला है।

२—पशु-पालन—

इस अवधि में पशुपालन सम्बन्धी कार्य निम्न प्रकार हुये हैं:—

(१) बछड़े जो बधिया किये गए	.. ..	२,२६५
(२) एच० एस० के टीके जो लगाये गए	.. ..	१७,७६३
(३) आर० पी० के टीके जो लगाये गये	.. ..	४६,६८०

प्रजनन हेतु जो सांड़ वितरित किये गये

(१) सांड़	.. .. ..	८
(२) भैंसा सांड़	.. .. ..	२
(३) मुर्गे	.. .. ..	४६
(४) बच्चे निकालने के लिये अन्डों का वितरण	..	४००

३—शिक्षा—

इस अवधि में २ प्राइमरी स्कूल भवन निर्मित हो चुके हैं। निम्न ५ भवनों का कार्य प्रगति में है :—

१—बनकट	.. निर्माण-कार्य समाप्त के निकट है ।
२—बलुआ	.. सीमेंट क्य किया जा चुका है।
३—मरहटा	.. निर्माण-कार्य आरम्भ हो रहा है।
४—नौसगरा	.. कार्य प्रगति में है।
५—बृजमनगन्ज	.. कार्य प्रगति में है ।

४—सार्वजनिक निर्माण—

इस अवधि में २८७ मील कच्ची सड़कों का सुधार किया गया है तथा ७ मील ४ फ० पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। २४ पुलियां बनाई गई हैं।

५—जन-स्वास्थ्य—

समस्त कूपों में ब्लीचिंग पाउडर डालकर कीटाणु नष्ट किये गये। एक अवधि में प्रथम बार (प्राइमरी वैक्सीनेशन) ३६,२०७ तथा द्वितीय बार १०,२२८ टीके लगाए गए।

६—सहकारिता—

इस अवधि में ८५ नई सहकारी प्रारम्भिक समितियां स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अधिकांश भागों में क्षेत्रीय सहकारी समितियों का जनवरी, १९५८ में निर्माण किया गया जिनका पंजीकरण नई और पुरानी समितियों को मिला कर किया गया। इस अवधि में "अ" श्रेणी के उन्नतिशील बीज का प्रतिशत रबी में ८० तथा खरीफ में ७९ रहा। भविष्य में "स" श्रेणी का जो बीच वसूल होगा वह बांटा नहीं जायेगा। उसके स्थान पर कृषि विभाग से "अ" श्रेणी का बीज प्राप्त करके बांटा जायगा। इस अवधि में २५० टन अमूनियम सल्फेट वितरित किया गया।

७—गृह-उद्योग—

इस अवधि में कुल १,२३२ चर्खे तथा १,२३२ धुनकी का वितरण हुआ। बाढ़ योजना अन्तर्गत ९५९ चर्खा सेट मुफ्त बांटे गये। ५२ सेट चर्खे रियायती दर पर बांटे गए और अम्बर परिश्रमालय योजना के अन्तर्गत २२१ सेट अम्बर चर्खे कितनों को रियायती दर पर दिये गये।

चूंकि गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत स्टाफ की कमी रही और धीरे-धीरे कर्मचारियों में कमी की गई फिर भी सर्वे कराने से विदित हुआ कि इस क्षेत्र का ६५ से ९० प्रतिशत गन्ना चीनी मिल को जाता है और प्रायः सभी क्षेत्र चीनी मिल निर्धारित क्षेत्र में पड़ता है। अतः इस क्षेत्र में गुड़ विकास सम्बन्धी कोई कार्य नहीं हो सका।

जिले में अम्बर परिश्रमालय की योजना चली। इसके अन्तर्गत आनन्दनगर धानी बाजार नं० १ व धानी बजार न० २ में अम्बर परिश्रमालय संचालित किये गये। यह तीनों फरेन्दा के मध्य निर्वाचित क्षेत्र में चलाये गये। खादी बुनाई का एक प्रशिक्षण केन्द्र आनन्दनगर में चलाया गया जो बाद में विभागीय आदेशानुसार बन्द कर दिया गया।

हरिजन उत्थान—

इस अवधि में गृह उद्योग के लिये ३,०७५ रु०, गृह निर्माण एवं सुधार हेतु १,४१३ रु० तथा पेय जल की सुविधा हेतु ६,४५० रु० स्वीकृत किया गया।

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३९ पर)

विलीनीकरण के समय २५-१-१९५० समथर रियासत के खजानों के धन का व्योरा

	नकद	टिकट (stamps)	योग
	रु०	रु०	रु०
(क) समथर उप-कोषागार ..	१,३५,८८१-८-०	१,८३२-६-०	१,३७,७१३-१४-०
(ख) विभिन्न गांव ..	३,३५२-४-६	—	३,३५२- ४-६
कुल योग ..	१,३९,२३३-१२-६	१,८३२-६-०	१,४१,०६६-२-६

अमर उजाला

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

क्रम-संख्या	पद नाम	१९५८	१९५९
१	कंडक्टर	४६	१४०
२	जूनियर क्लर्क	४२	४६
३	बुकिंग क्लर्क	१८	५६
४	असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पैक्टर	७	६

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४० पर)

जूनियर क्लर्क, बुकिंग क्लर्क और असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पदों के चुनाव के लिये १५-१-५८ तथा ७-८-५८ को रीजनल सैलेक्शन कमेटी की बैठकें हुईं।
कमेटी के सदस्यों के नाम नीचे दिये हैं—

१५-१-५८ (१) श्री ए० बनर्जी, जनरल मैनेजर, गोरखपुर रीजन . . चेयरमैन
(२) श्री बी० सी० पांडेय, जनरल मैनेजर, लखनऊ मेम्बर
(३) श्री विजय कृष्ण गर्ग, रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर गोरखपुर मेम्बर
(४ श्री बी० एस० मल्कानी, सहायक जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी

७-८-५८ (१) श्री आर० पी० वैश्य, उप-परिवहन आयुक्त रो० स० चेयरमैन
(२) श्री एस० दत्त, जनरल मैनेजर, गोरखपुर मेम्बर

विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

जिला बस्ती के विकास खण्ड बढ़नी तथा इटवा में सिंचाई योजना में जो कार्य अब तक किये गये हैं या किए जा रहे हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

विकास खण्ड बढ़नी—

१—बान गंगा नहर की सतह लगभग ६०,००० रुपया खर्च करके ऊंची की गई।

२—पचास सिंचाई के कुएं बनाये गए।

३—चार पम्पिंग सेट लगाए गए।

विकास खण्ड इटवा

१—एक राजकीय नलकूप बनाया गया है और दो नलकूपों का निर्माण-कार्य चालू है।

२—चार व्यक्तिगत नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है और दो नलकूपों की बोरिंग हो रही है।

३—छियासी सिंचाई के कुएं बनाये जा चुके हैं।

प्रेस अकादमी

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

सूची

जिला प्रतापगढ़ में सितम्बर, १९५९ से फरवरी, १९६० तक हुए विकास क्षेत्रों पर किए गए व्यय का विवरण :

विकास क्षेत्रों के नाम	क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रों में शासकीय व्यय
		रु०
१—लक्ष्मणपुर	२	६००
२—कालाकांकर	३	७००
३—पट्टी	१	८५०
४—सांगीपुर	२	७५०
५—भवानीगंज कोटा	१	८००
६—कुंडा	१	८००
७—खंडवा बन्टिका	१	६५४.४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

तालिका

तालिका जिसमें सीतापुर जिले की केवल हरगांव तथा महोली चीनी मिलों ने केवल १६५८-५६ सीजन में अपने जितने रोड सेंटर्स से जितना ढुलाई व्यय स्वीकृत दर से अधिक कटौती कर लिया है उनका विवरण दिया गया।

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	रोड सेंटर्स के नाम	अधिक कटौती की गई रकम
			रु०
१	हरगांव (सीतापुर) ..	(१) लहरपुर	४,६५४.४६
		(२) टिकरा	३,०४०.२३
		(३) इमिलिया	३७८.१५
		(४) बेहजम	२,५३६.४०
		(५) पीपरधाला	३,६४५.६६
		(६) बरूई	७,५५५.१७
		योग ..	२१,८१३.३७
२	महोली (सीतापुर) ..	(१) वजीरनगर	१,५२६.६५
		(२) अकबरपुर	१,४४२.८४
		(३) बड़ागांव	१,३११.२६
		(४) मेतौली	१,०७६.२२
		(५) औरंगाबाद	६६६.५२
		(६) खंजननगर	६६२.५६
		योग ..	७,०१६.०५
		वृहत् योग	२८,८३२.४२

नत्थी 'भ

(देखिये तारांकित प्रश्न १४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

उत्तर प्रदेश में गत १० वर्षों में प्रतिवर्ष खन्डसारी उत्पादन अनुमानतः निम्नलिखित हुआ—

सन्	उत्पादन टनों में
१९४८–४९	८६,०००
१९४९–५०	१,४०,०००
१९५०–५१	१,००,०००
१९५१–५२	८०,३००
१९५२–५३	८०,३००
१९५३–५४	८०,३००
१९५४–५५	९०,०००
१९५५–५६	९०,०००
१९५६–५७	९०,०००
१९५७–५८	१,८०,०००

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २१ एल० ए०—१९६०–८४५